ध्येय IAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

जुलाई 2018 अंक 04

विषय सूची

जुलाई 2018
अंक-4

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-16

- मिलीमीटर तरंग प्रौद्योगिकी: बेतार संचार प्रणाली का भविष्य
- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी: एक अवलोकन
- भारत-दक्षिण कोरिया: मजबूत होता संबंध
- वन धन योजना: आदिवासियों का सशक्तिकरण
- मैनुअल स्केवेंजिंग: विकृत होती कुप्रथा
- बाल अपहरण के बढ़ते मामले
- गैर-जिम्मेदार सर्वेक्षणों एवं रिपोर्टों के निहितार्थ

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 17-21

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 22-29

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30-38

सात महत्वपूर्ण तथ्य 39

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी) 40

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 41

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. मिलीमीटर तरंग प्रौद्योगिकीः बेतार संचार प्रणाली का भविष्य

संदर्भ

एक विशेष प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रौद्योगिकी को मिलीमीटर वेव प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। हाल के वर्षों में इस विकसित प्रौद्योगिकी को औद्योगिक क्षेत्रों में कई अनुप्रयोगों के रूप में अपनाया गया है। वायरलैस संचार में, ये मिलीमीटर तरंग आमतौर पर 30 गीगाहर्ट्ज (GHz) से 300 गीगाहर्ट्ज (GHz) आवृत्ति की रेंज पर कार्य करती है।

मिलीमीटर तरंग प्रौद्योगिकी क्या है?

मिलीमीटर तरंगों की आवृत्ति सूक्ष्मतरंगों तथा अवरक्त तरंगों के तरंगदैर्ध्य के बीच रहती है। इन्हें मिलीमीटर तरंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी लैंथ 1 से 10 मिलीमीटर होती है। यह विद्युत चुबकीय तरंगें हैं। मिलीमीटर तरंगे उन तरंगदैर्ध्यों का समूह हैं जिनकी आवृत्ति 30 GHz से 300 GHz के बीच होती है। मिलीमीटर तरंगे लघु तरंगे होती हैं। मिलीमीटर तरंगों को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) द्वारा एक्सट्रीमली हाई फ्रेक्वेंसी (EHF) या वेरी हाई फ्रेक्वेंसी (VHF) का नाम दिया गया है।

मिलीमीटर वेव, माइक्रोवेव और इन्फ्रारेड वेव तरंगों के गुणों को साझा करता है क्योंकि इसकी वेवलेन्थ इन दोनों के बीच की रेंज को कवर करती है। अर्थात मिलीमीटर वेव इन्फ्रारेड वेव और एक्सरे वेव से बड़ी होती है। लेकिन रेडियो वेव और माइक्रो वेव से छोटी होती हैं।

परिचय

डिजिटलीकरण के युग में तीव्र गति की संचार व्यवस्था सभी उपभोक्ताओं और उद्यमों की पहली प्राथमिकता है। संचार के इस संसार में कुछ आधारभूत जरूरतों को समझना आवश्यक है जैसे– तीव्र गति से संचार की आवश्यकता, बैंडविड्थ (Bandwidth Shortage) की कमी और विभिन्न उपकरणों में इंटरनेट डाटा की प्रचुर आवश्यकता।

मोबाइल डाटा के प्रयोग में वृद्धि तथा तीव्र गति से संचार व्यवस्था में वृद्धि के कारण विश्व भर के वायरलेस सेवा प्रदाताओं को बैंडविड्थ की कमी से जूझना पड़ रहा है। बैंडविड्थ की इस कमी ने ही मिलीमीटर तरंग आवृत्ति स्पेक्ट्रम की आवश्यकता को जन्म दिया है और यह मिलीमीटर वेव प्रौद्योगिकी इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपर्युक्त साधन है।

प्रत्येक प्रकार की वायरलेस संचार प्रणाली जैसे रेडियो, सेलफोन या उपग्रह आदि विशेष प्रकार की तरंगों या आवृत्तियों का प्रयोग संचार के लिए करते हैं। क्षेत्रीय टेलीविजन या रेडियो चैनल के संचालन कर्त्ता को अलग-अलग चैनल प्रदान किया जाता है जिससे वे एक ही समय में बिना किसी आपसी व्यवधान के संचार व्यवस्था कायम कर सकें। इन चैनलों के द्वारा संचार प्रणाली को कार्यरत करने के लिए बैंडविड्थ (जिसे तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति में मापा जाता है।) का होना आवश्यक है। चैनल के प्रसारक को ट्रांसमीटर द्वारा किसी भी सूचना या कार्यक्रम को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए फोन पर बातचीत करने के लिए केवल 6 KHz के बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है जबकि टी.बी. पर किसी कार्यक्रम के संचालन के लिए 6 MHz के बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक मात्रा में सूचनाओं का प्रसारण होता है उतनी अधिक मात्रा में तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति की आवश्यकता होती है। इसी कारण से अधिक मात्रा में सूचनाओं के प्रसारण के लिए मिलीमीटर तरंगों का प्रयोग किया जाता है। मिलीमीटर तरंगों की उच्च आवृत्ति उन्हें बड़े-बड़े आंकड़ों (जैसे कंप्यूटर आंकड़े या एक ही समय में अनेक टीवी चैनल या रेडियो चैनल के सूचनाओं के प्रसारण) को बहुत ही सक्षम तरीके से प्रसारित करने योग्य बनाती हैं।

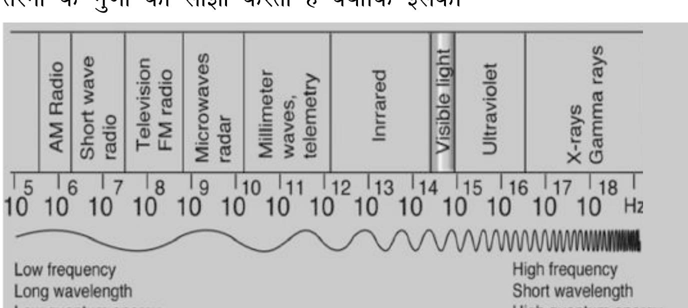

ऊर्जा के निम्नतम तरंगदैर्ध्य से लेकर उच्चतम तरंग दैर्ध्य तक की प्रकृति में विद्यमान चुम्बकीय विकिरण का परास जिसमें रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगें, अदृश्य तरंगें, पराबैंगनी तरंगें, एक्सकिरणें एवं गामा तरंगें शामिल होती हैं।

उपयोग

मिलीमीटर तरंगों को तीव्र गति के वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। मिलीमीटर तरंगें ऐसी तरंगदैर्ध्यों का समूह हैं जिन्हें कई प्रकार के उपकरण एवं सेवाओं में प्रयोग किया जा सकता है जैसे- तीव्र गति के इंटरनेट स्पीड, वायरलेस, लोकल एरिया नेटवर्क (WLANs) तथा ब्रॉडबैंड की सेवाओं के लिए। दूरसंचार में मिलीमीटर तरंगों का प्रयोग मोबाइल तथा वायरलेस नेटवर्क में कई प्रकार की सेवाओं के लिए किया जा सकता है क्योंकि यह 10 Gbps तक की तीव्र गति से डाटा ट्रांसफर कर सकता है।

अभी तक केवल उपग्रह एवं रडार प्रणाली के उपयोगकर्ता ही मिलीमीटर तरंगों का प्रयोग वास्तविक अनुप्रयोगों के लिए करते हैं। हाल ही में कुछ फोन नेटवर्क के संचालक भी अपने नेटवर्क के स्थायी केंद्रों के बीच (दो आधार स्टेशनों के बीच) आंकड़ों को भेजने के लिए मिलीमीटर तरंगों का प्रयोग करना शुरू किए हैं। मिलीमीटर तरंगों द्वारा मोबाइल उपभोक्ताओं को समीप के आधार स्टेशन से जोड़ना पूरी तरह नवीन पहल है।

पिछले कुछ दशकों में तकनीक में हुई प्रगति द्वारा निम्न आवृत्ति तथा गति जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलीमीटर तरंगों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाने लगा है। संचार तकनीक के उद्भव ने 1980 में 1G तकनीक से 2020 में 5G तकनीक के विकास तक लगभग पाँच दशक का लम्बा समय लिया। वर्तमान में मोबाइल उपभोक्ताओं को तीव्र गति की इंटरनेट तथा विश्वसनीय सेवा चाहिए तथा अगली पीढ़ी का वायरलेस नेटवर्क (5G) ऐसा करने में सक्षम है। मिलीमीटर तरंगों द्वारा 5G तकनीक में वायरलेस क्षमता तथा गति में वृद्धि संभावित है। मिलीमीटर तरंगों में 10 गीगा बिट्स प्रति सेकेण्ड की दर से आंकड़ों का स्थानांतरण संभव है जबकि माइक्रोवेब आवृत्ति द्वारा यह स्थानांतरण 1 गीगा बिट्स प्रति सेकेण्ड तक ही सीमित है। इसका उपयोग दवा, अंतरिक्ष, मौसम विज्ञान तथा संचार प्रणाली में भी किया जा रहा है। इसका अनुप्रयोग स्वचालित रडार, स्वास्थ्य, मानव शरीर को स्कैन करने में, वर्चुअल रियलिटी (VR) हेडसेट द्वारा वायरलेस डाटा संचार में, चित्रण (Imaging), तथा गैर विनाशकारी मूल्यांकन (Nondestructive evaluation) में भी किया जा रहा है।

5 जी और स्माल सेल अवधारणा में: हाल ही में बहुचर्चित 5जी तकनीक में भी मिलीमीटर वेव का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 24 गीगाहर्ट्ज से 86 गीगाहर्ट्ज के बीच की रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही टेक कंपनियाँ मिलीमीटर तरंगों, के माध्यम से WLANs के बुनियादी ढाँचें के परीक्षणों पर निवेश कर रही है। मोबाइल बेस स्टेशनों को जोड़ने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल की जगह भी हम मिलीमीटर वेव का इस्तेमाल कर सकते हैं।

एचडी वीडियो के रूप में: मिलीमीटर वेव का उपयोग वायरलैस रूप में अल्ट्रा हाई डेफिनेशन (यूएचडी) वीडियो से एचडीटीवी के रूप में किया जा सकता है। अत: इससे हम हाई क्वालिटी की एचडी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं।

लाभ

मिलीमीटर तरंगों के कई लाभ जैसे- विस्तृत बैंडविड्थ (अधिक आंकड़ों के स्थानांतरण के लिए), अधिक स्पष्टता, कम व्यवधान (इंटरनेट के अधिक मांग को भी सरलता से पूरा करना), उपकरणों के छोटे आकार (छोटा एंटिना), अधिक सुरक्षित, कम लागत आदि के कारण इनका अनेक वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

विस्तृत बैंडविड्थ के कारण हम इससे हाई क्वालिटी के वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ ही किसी भी खेल के प्रसारण को वास्तविक समय में ही देख सकते हैं। क्योंकि यह विस्तृत बैंडविड्थ हमें 10 Gbps से भी अधिक की गति प्रदान करती है और इस कारण हम इससे बड़ी रिजल्यूशन क्षमता को भी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रौद्योगिकी से संचार माध्यमों में आने वाली सिग्नल बाधाओं का भी समाधान हो सका है, साथ ही इससे सुरक्षा में भी वृद्धि हुई है।

चुनौतियाँ

इसकी प्रमुख खामी यह है कि यह मिलीमीटर तरंगे एक सीधी रेखा में गति करती हैं और इन तरंगों का प्रसार क्षेत्र भी कम होता है और ये किसी भी भौतिक अवरोधक द्वारा अवरूद्ध हो जाती है। इसके साथ वायुमंडलीय गतिविधियाँ जिनमें वर्षा आर्द्रता आदि भी इनको प्रभावित करती है जिससे इनके संचरण में बाधा आती है और इनका सिग्नल कमजोर हो जाता है एवं कमजोर सिग्नल क्षमता के कारण ये D2H जैसी सेवा के प्रसारण को भी यह बाधित कर सकती है। वातावरणीय प्रभावशीलता के कारण यह लंबी दूरी के संवाद संचरण के लिए उपयोगी नहीं है।

मिलीमीटर तरंगों का प्रयोग करने में कई चुनौतियाँ भी हैं जैसे- वातावरणीय शोषण, फ्री स्पेश लॉस, सिग्नल (संकेत) में व्यवधान (बारिश, बड़ी ईमारतें, उच्च वोल्टेज के विद्युत तार आदि के कारण उत्पन्न व्यवधान) एवं महगें उपकरण (छोटे आकार के उपकरणों को अधिक स्पष्टता के साथ बनाना अधिक महंगा होता है।) आदि।

मिलीमीटर तरंगे वातावरण के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं और वातावरण में स्थित गैसों द्वारा शोषित होती हैं जिसके कारण इनके फैलाव तथा तीव्रता में कमी आती है। वर्षा एवं आर्द्रता भी उन्हें प्रभावित करती है तथा इनकी तीव्रता को कम करती है। इस अवस्था को रेन फेड कहा जाता है। इसकी एक किलोमीटर से कम रेंज सीमा के कारण मिलीमीटर वेव दृष्टिरेखीय संरचरण करती है। इसलिए इसकी उच्च आवृत्ति वाली वेव लेंथ को इमारतों, पेड़ों और भौतिक अवरोधों द्वारा अवरूद्ध किया जा सकता है।

हालांकि बैडविड्थ के वितरण के लिए बहुत सारी तकनीकियाँ उपलब्ध है इनमें फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे अच्छा बैंडविड्थ वितरण माध्यम माना जाता है। यदि इसके आर्थिक कारकों पर विचार किया जाए तो फाइबर ऑप्टिक सभी माध्यम से अच्छा है। हालांकि मिलीमीटर वेव वायरलेस प्रौद्योगिकी बैंडविड्थ के वितरण माध्यम में फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह क्षमतावान है अगर इसकी आर्थिक आधार पर तुलना न की जाए। क्योंकि यह ऑप्टिकल फाइबर की तुलना में अत्यधिक महंगा है। इस प्रकार हम इस नई तकनीक के अवसरों के साथ-साथ उनकी सीमाओं से भी परिचित हो जाते हैं। उच्च बैंडविड्थ प्वाइंट-टू-पॉइंट संचार लिंक में 71 गीगाहर्ट्ज से 76 गीगाहर्ट्ज, 81 गीगाहर्ट्ज से 86 गीगाहर्ट्ज और 92 गीगाहर्ट्ज से 95 गीगा हर्ट्ज तक की मिलीमीटर वेव का उपयोग किया जाता है। और इसके लिए फेडरल कम्यूनिकेशन कमीशन (एफसीसी) से लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है जबकि 60 गीगाहर्ट्ज की मिलीमीटर वेव को बिना लाइसेंस के भी उपयोग किया जा सकता है।

वर्तमान में वैश्विक बाजार की सबसे बड़ी चुनौती मिलीमीटर वेव प्रौद्योगिकी के वितरण को लेकर है हालांकि वैश्विक बाजार इसके वितरण को लाइसेंस, उत्पाद अनुप्रयोग और आवृत्ति बैंड के आधार पर विभाजित करता है। लाइसेंस के आधार पर मिलीमीटर वेव प्रौद्योगिकी के वैश्विक बाजार को पूर्ण लाइसेंस लाइट लाइसेंस और लाइसेंस के बिना में बाँटा गया है। उत्पाद के आधार पर वैश्विक बाजार को स्कैनर सिस्टम, दूरसंचार उपकरण और रडार एवं उपग्रह संचार प्रणाली में वर्गीकृत किया गया है। अनुप्रयोगों के आधार पर वैश्विक बाजार को स्वास्थ्य देख-भाल, एयरोस्पेस एवं रक्षा, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार, सैन्य, मोटरवाहन और पहिवहन में बाँटा गया है।

आवृत्ति बैंड के आधार पर बाजार को 8 से 57 गीगाहर्ट्ज, 58 से 86 गीगाहर्ट्ज, और 87 से 300 गीगाहर्ट्ज बैंड की आवृत्तियों में बाँटा गया है। हालांकि इन सभी आधारों में से अभी किसी भी एक आधार पर सहमति नहीं बन पायी है। बाजार में मिलीमीटर वेव प्रौद्योगिकी में शामिल कुछ प्रमुख कंपनियाँ साइट टेक्नोलॉजी इंक, एमआई-वेव इंक, सिक्लू कम्युनिकेशन लिमिटेड, मिलीटेक इंक आदि हैं जो इससे जुड़ी प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रही हैं।

आगे की राह

मिलीमीटर तरंग प्रौद्योगिकी इस दशक में सबसे तेजी से बढ़ती प्रौद्योगिकियों में से एक है। हाइ स्पीड डाटा की बढ़ती माँग, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन मल्टी मीडिया, एचडी गेमिंग, सुरक्षा और निगरानी आदि को मिलीमीटर तरंग प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा और अधिक विकसित किया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।

■

2. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसीः एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक नई संस्था 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' बनाने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री के अनूसार राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा आईआईटी जेईई मेन और एनईईटी ऑनलाइन परीक्षा वर्ष 2019 से वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी। शिक्षामंत्री के अनुसार संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मुख्य और राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) नवगठित परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाएगी। नीट और जेईई (मुख्य) के अलावा, NTA अब से यूजीसी नेट और 'सीएमटी' (CMT) परीक्षा भी आयोजित करेगी।

ग्रामीण छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनटीए उप-जिला / जिला स्तर के केंद्रों का पता लगाएगा जहां छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद एनटीए की अध्यक्षता करेगा। एनटीए के सीईओ सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक होंगे और उपयोगकर्ता संस्थानों के सदस्यों सहित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे।

क्या है एनटीए?

विश्व के अधिकांश उन्नत देशों की भाँति भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले हेतु आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने हेतु कोई विशेषीकृत निकाय मौजूद नहीं था। इसलिए एक विशेषीकृत निकाय की आवश्यकता को समझते हुए वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा वर्ष 2017-18 के अपने बजट भाषण में उच्च शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सभी प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने हेतु एक स्वायत्त तथा आत्मनिर्भर शीर्ष परीक्षा संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency - NTA) की स्थापना की घोषणा की थी। तत्पश्चात 10 नवम्बर 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए परीक्षाएँ आयोजित करने के लिये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency - NTA) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (Indian Societies Registration Act), 1860 के अन्तर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत एक स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर शीर्ष परीक्षा संगठन के रूप में एन.टी.ए. के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

एन.टी.ए. की संरचनाः एन.टी.ए. की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रख्यात शिक्षाविद् द्वारा की जाएगी। इसके सी.ई.ओ. भारत सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक होंगे। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत एक शासक मंडल भी होगा, जिसके सदस्य प्रयोक्ता संस्थाओं (User Institutions) से होंगे। वर्तमान में 1992 बैच के मणिपुर कैडर के आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

प्रमुख तथ्य

- शुरुआत में एन.टी.ए. द्वारा उन प्रवेश परीक्षाओं का संचालन किया जाएगा, जिन्हें वर्तमान में सी.बी.एस.ई. द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- एन. टी. ए. द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार ऑनलाइन पद्धति से परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी। ऐसा करने का उद्देश्य विद्यार्थी को उसके सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करना है।
- ग्रामीण छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उप-जिला/जिला स्तर पर परीक्षा केंद्रों को स्थापित किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो सकेगा विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
- भारत सरकार द्वारा एन.टी.ए. को इसके परिचालन के प्रथम वर्ष में 25 करोड़ रुपए का प्रारंभिक अनुदान दिया जाएगा। तत्पश्चात, यह अपने संचालन के लिये आत्मनिर्भर (Self-Sustaining) हो जाएगा।

संभावित परीक्षा कार्यक्रम

जेईई मेन

- जनवरी और अप्रैल में परीक्षा
- ऑनलाइन फॉर्म 1 से 30 सितंबर तक
- संभावित परीक्षा : छह से 20 जनवरी तक आठ सिटिंग में
- नतीजे : फरवरी के पहले हफ्ते में
- अप्रैल की परीक्षा के लिए फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रक्रिया शुरू होगी

नीट

- फरवरी और मई में परीक्षा
- आवेदन 1 से 31 अक्तूबर तक
- परीक्षा : तीन से 17 फरवरी तक आठ सिटिंग में
- नतीजे : मार्च के पहले हफ्ते में
- मई के लिए परीक्षा की प्रक्रिया मार्च के दूसरे हफ्ते से शुरू होगी, जून के पहले हफ्ते में नतीजे घोषित होंगे।

यूजीसी नेट

- 1 से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन
- 2 दिसंबर से 16 दिसंबर तक दो शिफ्ट में परीक्षा शनिवार और रविवार को
- परिणाम जनवरी के अंतिम सप्ताह में

नेट की परीक्षा दिसंबर में आयोजित होगी। जेईई मेन्स की परीक्षा दो बार जनवरी और अप्रेल में होगी। छात्र दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। नीट की परीक्षा फरवरी और मई में होगी।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की आवश्यकता क्यों?

- गौरतलब है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSC) दसवीं और बाहरवीं की परीक्षा के साथ-साथ मेडिकल और आईआईटी में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करता रहा है। इसी प्रकार कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षक हेतु पात्रता के लिए यूजीसी-नेट की परीक्षा भी आयोजित करता है। इससे ये पता चलता है कि CBSC पर परीक्षाओं का भारी बोझ था इसलिए एक स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता थी।
- हाल-फिलहाल की घटनाओं का मूल्यांकन करें तो विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाएँ आम होती जा रही हैं जैसे एसएससी, विभिन्न राज्यों की परीक्षाएँ, सीबीएससी की 10वीं व 12वीं परीक्षा लीक आदि। इस कारण परीक्षाओं को दुबारा कराने से न केवल धन की हानि होती है बल्कि विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के मनोबल में भी गिरावट आती है।
- विभिन्न राज्यों तथा विश्वविद्यालयों के अलग-अलग परीक्षा आयोजित होने से एक तरफ सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता

है तो वहीं दूसरी तरफ कमजोर तबकों के विद्यार्थियों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। क्योंकि उन्हें विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है जिससे उन्हें न केवल धन की हानि उठानी पड़ती है बल्कि काफी समय बर्बाद होता है।

- जब कभी पेपर लीक होता है तो यह मामला हैकरों पर छोड़ दिया जाता है अर्थात न कोई पारदर्शी व्यवस्था है न कोई जवाबदेही।
- राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं के निगरानी के लिए उपलब्ध मानकों का सही तरीके से कार्य न करने के कारण पहले से ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जैसी संस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
- वर्तमान में राज्य स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षा में अधिकतर उसी राज्य के परीक्षार्थी प्रतिभागी होते हैं इसके अलावा छात्रों को साल भर में एक ही अवसर मिल पाता है।
- कई निजी शिक्षण संस्थान भी अपने-अपने संस्थान में प्रवेश के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित करते रहे हैं जहिर है, इसमें पारदर्शिता का अभाव रहता है। इन प्राइवेट संस्थानों की मनमर्जी के कारण एक तरफ जहाँ शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा है।
- देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए किसी राष्ट्रीय एजेंसी की जिम्मेदारी न होने से देश की उभरती प्रतिभा को भेद-भाव का सामना करना पड़ता है या उनको उचित अवसर नहीं मिल पाता है।

एनटीए से लाभ

- पहले से ही जिम्मेदारियों के बोझ से दबे सीबीएससी, यूजीसी, एआईसीटीई और विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों को राहत मिलेगी। इस राहत का उपयोग वे अपनी अन्य जिम्मेदारियों की गुणवत्ता को सुधारने में कर सकेंगे तथा और अधिक पेशेवर परिणाम देने में सक्षम होंगे।
- राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षण एजेंसी होने से सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए संयुक्त परीक्षा का आयोजन होगा जिससे देश के सभी हिस्सों के प्रतिभागियों के लिए नामांकन के विकल्प का दायरा बढ़ जाएगा।
- एनटीए की स्थापना से विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में भाग ले रहे लगभग 40 लाख छात्रों को लाभ होगा। इसकी स्थापना के बाद सीबीएससी, एआईसीटीई जैसी एजेंसियाँ प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जायेंगी।
- एनटीए छात्रों की योग्यता, बुद्धिमत्ता तथा समस्या निवारण क्षमता के कठिन स्तरों का आकलन करने के लिए उच्च विश्वसनीयता एवं प्रमाणीकरण लाने की दिशा में प्रयास करेगा।
- सरकार द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए एक केंद्रीयकृत एजेंसी के गठन से प्राइवेट संस्थानों की मनमर्जी पर लगाम लगेगा और उन्हें भी एनटीए में सफल प्रतिभागियों में से अपने संस्थान में प्रवेश के लिए चुनाव करना अनिवार्य होगा।
- एनटीए के गठन से देश की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार का दौर शुरू होगा जिससे भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान भी विश्व रैंकिंग में अपना स्थान बना पायेंगे।
- एनटीए के गठन के बाद से प्रबंधन संस्थान, मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जिम्मेदार एजेंसियों जैसे, नेट, जेईई, गेट, कैट आदि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर 'एक राष्ट्र एक परीक्षा' की अवधारणा मजबूत होगी।
- एनटीए के माध्यम से एक परीक्षा होने से सरकार का वित्तीय बोझ कम होगा साथ ही कमजोर तबके के विद्यार्थियों को काफी सहूलियत होगी।
- एनटीए से सबसे ज्यादा फायदा छात्रों को मिलेगा।
- 12वीं के बाद छात्र 6 बार जेईई मेन दे पाएंगे जो कि अभी तक 3 बार ही दे पाते थे। इसके अलावा नीट देने के मौके भी बढ़ेंगे साथ ही उम्र सीमा 25 साल होगी।
- दो बार परीक्षा देने से छात्रों की तैयारी भी बेहतर ढंग से हो पाएगी तथा छात्र अपनी परफॉर्मेंस का पता लगा पायेंगे। वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थियों को परीक्षा में तीन महीने का वक्त मिलेगा यदि कोई परीक्षा नहीं देगा तो भी उसका पूरा साल खराब नहीं होगा।
- परीक्षा के पैटर्न में बदलाव न होने से परीक्षा देने वाले छात्रों को कोई अलग से सिलेबस तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- परीक्षार्थी अगर पहली परीक्षा में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है तो वो दोबारा उसी साल परीक्षा दे सकेगा। खास बात ये है कि जिस परीक्षा में अधिक नंबर होंगे उसे ही वरीयता दी जाएगी जिससे विद्यार्थियों के मनोबल में वृद्धि होगी।
- परीक्षा चार से पांच दिन तक चलेगी इसमें छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा का दिन चुनने का अधिकार होगा। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों के छात्र भी समय से पहुँचकर परीक्षा दे सकेंगे।

चुनौतियाँ

एनटीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी ऑनलाइन परीक्षा करवाना क्योंकि हाल ही में पहली बार संपन्न जेईई-एडवांस परीक्षा जो ऑनलाइन हुई थी जिसके बाद न्यूमेरिकल वेल्यू वाले प्रश्नों पर सवाल खड़े हुए थे। इसी मूद्दे पर मद्रास हाईकोर्ट ने कॉमन काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी वहीं गाँव-देहात के विद्यार्थियों के लिए भी ऑन लाइन परीक्षा देना सहज नहीं था।

- बीते कुछ समय से पेपर लीक जैसी घटनाएँ भी बढ़ी हैं जैसे एसएससी, सीबीएससी बोर्ड परीक्षा आदि। ऐसे में एनटीए एक नई तथा अनुभवहीन संस्था होगी जिसमें लगभग 40 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इतनी बड़ी तादाद में परीक्षा आयोजित किए जाने से पेपर लीक जैसी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- भारत में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किये जाने के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे- कंप्यूटर, कंप्यूटर लैब तथा पेशेवर टीचर आदि की व्यापक कमी है या यूं कहे कि कुछ शहरों तक ही सीमित हैं।
- पेपर कंटेंट क्वालिटी को बनाये रखना भी एक चुनौती है।
- तकनीकी पीछड़ापन।
- दूरदराज के छात्रों का कंप्यूटर फ्रेंडली न होना।

आगे की राह

- एनटीए निश्चित तौर पर बड़ी परीक्षा आयोजन करेगा। ऐसा नहीं है कि एनटीए पहली संस्था है जो ऑनलाइन परीक्षा करा रही है। ऑनलाइन परीक्षाओं में एसबीआई और आईबीपीएस की परीक्षाएँ भी होती हैं जिसमें इससे भी कहीं ज्यादा विद्यार्थी भाग लेते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन संस्थाओं से तकनीकी मदद ली जाए तथा निगरानी तंत्र मजबूत किया जाए।

- जिन संस्थाओं में पेपर लीक जैसी घटनाएँ सामने आयीं हैं उसका मुख्य कारण सेंटर बनाने की प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई अर्थात भ्रष्टाचार की व्याप्ति थी। एनटीए के जरिए देश के परीक्षा तंत्र में बड़ा सुधार होगा। इसके माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन वैज्ञानिक पद्धति से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाएगा। पेपर लीक जैसी समस्या खत्म होगी, प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और संबंधित तंत्र की जवाबदेही में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि इस नये मॉडल में कंप्यूटर पर स्क्रीन साझा करने की कोई व्यवस्था नहीं होगी।
- इतने वृहद स्तर पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है जैसे कंप्यूटर लैब, पेशेवर कंप्यूटर टीचर आदि।
- जहाँ तक सवाल गुणवत्ता का उच्च स्तर बनाए रखने का है तो इसके लिए पेशेवर कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ-साथ भारत के बड़े विश्वविद्यालयों के अध्यापकों से मदद लिए जाने की आवश्यकता है।
- जहाँ तक सवाल दूर दराज के छात्रों के कंप्यूटर फ्रेण्डली न होने की समस्या है तो उसके लिए सरकार जल्द ही प्रत्येक जिले में एक प्रशिक्षण केंद्र खोलेगी। साथ ही इन छात्रों को परीक्षा देने की तैयारी कराने के लिए भी कुछ स्कूलों और इंजिनियरिंग कालेजों की पहचान की जाएगी जहाँ कंप्यूटर उपलब्ध होंगे। इन केंद्रों पर हर शनिवार-रविवार जाकर छात्र परीक्षा देने का अभ्यास कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द अमल में लाया जाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

3. भारत–दक्षिण कोरियाः मजबूत होता संबंध

चर्चा का कारण

हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जिसमें कोरियाई प्रायद्वीप के हालातों पर भी बातचीत हुई। बातचीत के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप में शांति प्रक्रिया में भारत एक पक्षकार है और क्षेत्र में शांति के लिये हमारा योगदान जारी रहेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप में शांति प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय राष्ट्रपति मून को जाता है। उन्होंने कहा कि जो सकारात्मक वातावरण बना है, वह राष्ट्रपति मून के अथक प्रयासों का परिणाम है। पूर्वोत्तर और दक्षिण एशिया में (परमाणु) प्रसार संबंध भारत के लिये भी चिंता का विषय है। तनाव कम करने के लिये जो हो सकेगा, हम वह करेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने कहा कि हमने द्विपक्षीय सहयोग के नये युग की शुरुआत की है। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति मून और पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सैमसंग के सबसे बड़े मोबाइल प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में आज भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। उनके मुताबिक नोएडा में 5 हजार करोड़ रुपए का ये निवेश ना सिर्फ सैमसंग के भारत में व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाएगा, बल्कि भारत और कोरिया के संबंधों के लिए भी अहम सिद्ध होगा।

पृष्ठभूमि

भारत-कोरिया गणराज्य (R.O.K.) संबंधों ने हाल के वर्षों में गति पकड़ी है। वर्तमान में ये संबंध बहुआयामी हो गए हैं, जो हितों के पर्याप्त अभिसरण आपसी सद्भाव और उच्चस्तरीय आदान-प्रदान से प्रोत्साहित हुए हैं।

राजनीतिक संबंधः भारत कोरिया राजनीतिक संबंधों की स्थापना वर्ष 1945 में दक्षिण कोरिया की आजादी के बाद हुई। भारत ने दक्षिण कोरिया के मामलों में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई थी। भारत के श्री के.पी.एस. मेनन कोरिया में चुनाव करवाने के लिए 1947 में गठित 9 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष थे। कोरिया युद्ध (1950-53) के दौरान, युद्ध के दोनों पक्षों ने भारत द्वारा प्रायोजित एक संकल्प को स्वीकार कर लिया और 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम की घोषणा हुई जो भारत की एक बड़ी उपलब्धि थी।

फरवरी 2006 में राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा की गई कोरिया गणराज्य की राजकीय यात्रा ने भारत-कोरिया गणराज्य संबंधों के एक नए दौर की शुरुआत की। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (CEPA) पर निर्णय लेने के लिए एक कार्य बल का गठन किया गया। जनवरी, 2010 को इस व्यापक आर्थिक साझेदारी करार को प्रभावी किया गया। राष्ट्रपति 'ली' ने 26 जनवरी, 2010 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौरा संपन्न किया। इसके बाद राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने (24 से 27 जुलाई, 2011) कोरिया गणराज्य की राजकीय यात्रा संपन्न की। मार्च 2012 में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने सिओल की राजकीय यात्रा संपन्न की, इस दौरान वीजा सरलता करार पर हस्ताक्षर किए गये। जनवरी, 2014 में राष्ट्रपति 'पार्क ग्यून हाई' ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मई 2015 को कोरिया का राजकीय दौरा संपन्न किया। 'ईस्ट एशिया सम्मिट' जो सितंबर, 2016 में वियनटेन में आयोजित की गई थी में भी प्रधानमंत्री मोदी और पार्कग्यून हाई ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा किए। इसके बाद जी-20 सम्मेलन (हैम्बर्ग) में जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी 'मून जे इन' ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की।

आर्थिक संबंधः भारत, कोरिया का 15वां बड़ा व्यापार साझीदार है। भारत-कोरिया गणराज्य व्यापार में पोत निर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण तथा विनिर्माण आदि हैं। कोरिया की सैमसंग, हुंडई मोटर्स और एलजी जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत

में 3 बिलियन डॉलर से अधिक निवेश किए हैं। कोरिया गणराज्य में भारतीय निवेश 2 मिलियन से अधिक है। अधिकारिक रूप से कोरिया की छोटी-बड़ी 603 फर्में भारत में कार्यरत हैं।

दोनों देशों के बीच 2011 में द्विपक्षीय व्यापार 20.5 अरब डॉलर के पार था। दो वर्ष के अंतराल में ही दोनों देशों के बीच 70 प्रतिशत व्यापार की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि 2014-15 में द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट दर्ज की गई लेकिन द्विपक्षीय व्यापार 2016-17 में बढ़कर 16.82 अरब डॉलर हो गया। 2017 के जनवरी से जुलाई तक द्विपक्षीय व्यापार में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सांस्कृतिक संबंध: भारत तथा कोरिया गणराज्य के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए अप्रैल 2011 में सियोल में तथा दिसंबर 2013 में बूसान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का गठन किया गया। तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने मई 2011 में सिओल में रवींद्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा का अनावरण किया। जुलाई, 2014 में आईसीसीआर द्वारा महात्मा गाँधी की एक प्रतिमा का अनावरण बूसान में किया गया। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय क्रमश: कोरिया अध्ययन एवं कोरियन भाषा पाठ्यक्रमों में कार्यक्रम संचलित कर रहे हैं।

3 दिसंबर, 2013 को कोरिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ (कीटा) में 'भारतीय अध्ययन संस्थान कोरिया' (IISK) की स्थापना की गई 'भारतीय अध्ययन संस्थान कोरिया' एक ऐसा मंच है जो बड़ी संख्या में कोरियाई शिक्षाविदो, अर्थशास्त्रीयों और व्यवसायिक-प्रतिनिधियों को एकजूट करता है। भारत और कोरिया गणराज्य के बीच युवा प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान वार्षिक आधार पर कई वर्षों से हो रहे हैं।

भारतीय समुदाय: अनुमानित तौर पर कोरिया गणराज्य में रह रहे भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 11000 के आस-पास है। पीआईओ की संख्या 120 के आस-पास और लगभग 1000 भारतीय शोधार्थी कोरिया में मुख्यत: विज्ञान के स्नाकोत्तर एवं पीएचडी. पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में मुख्यरूप से आईटी, जहाजरानी एवं आटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में अनेक पेशेवरों ने कोरिया गणराज्य में पलायन किया है।

वर्तमान परिदृश्य

भारत और दक्षिण कोरिया ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के भारत दौरे के दौरान 11 एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए. दोनों देशों के बीच हुए 11 एमओयू इस प्रकार हैं:

1. व्यापार उदारीकरण (झींगा, मोलुस्क और संसाधित मछली सहित) के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करके भारत-आरओके (कोरिया गणराज्य) CEPA को अपग्रेड करने के लिए चल रही वार्ता की सुविधा के लिए उन्नत आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए गए।
2. एंटी-डंपिंग, सब्सिडी, काउंटरवेलिंग और सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से उपायों की रक्षा जैसे व्यापार उपायों के क्षेत्र में सहयोग के लिए व्यापार उपायों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
3. चौथी औद्योगिक क्रांति के लाभों का लाभ उठाने के लिए, व्यावसायीकरण के लिए, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग के लिए भावी रणनीति समूह पर एक समझौता ज्ञापन शामिल था।
4. संगीत और नृत्य, रंगमंच, कला प्रदर्शनियों, अभिलेखागार, मानव विज्ञान, जन मीडिया कार्यक्रमों के क्षेत्र में संस्थागत सहयोग प्रदान करके सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों को गहरा बनाने के लिए 2018-2022 की अवधि के लिए एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
5. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) एवं राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (NST) के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
6. रिसर्च डिजाईन एंड स्टैण्डर्ड आर्गेनाईजेशन (RDSO) और कोरिया रेल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (KRRI) के बीच सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन रेलवे अनुसंधान, रेलवे से जुड़े अनुभव और रेलवे उद्योगों के विकास के सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए।
7. बायोटेक्नोलॉजी और जैव-अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर जैव प्रौद्योगिकी को अपनाने और स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि मत्स्य उत्पादों में जैव के वृहत डाटा को अपनाने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।
8. विकास, आधुनिकीकरण और अत्याधुनिक दूरसंचार/आईसीटी सेवाओं और अगली पीढ़ी के वायरलेस संचार नेटवर्क के विस्तार में सहयोग के लिए आईसीटी और दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
9. भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और दक्षिण कोरिया के लघु और मध्यम व्यापार निगम (SBC) के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
10. क्वीन सुरिरत्न स्मारक परियोजना पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मौजूदा स्मारक के उन्नयन और विस्तार की सुविधा के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि अयोध्या की एक महान राजकुमारी सुरिरत्न (रानी हूर ह्वांग-ओके) जिन्होंने 48 एडी (AD) अक्टूबर को कोरिया गई थी और किंग किम-सुरो से विवाह किया था।
11. दक्षिण कोरियाई कंपनियों और गुजरात के बीच औद्योगिक और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार और कोरिया व्यापार संवर्द्धन एजेंसी (कोट्रा) के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ। कोट्रा अहमदाबाद में एक कार्यालय खोलेगा और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2019 के लिए साझेदार संगठनों में से एक बन जाएगा।

भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों की आवश्यकता

- दक्षिण कोरिया के 'नई दक्षिण नीति' की घोषणा के अनुसार वो उत्तरपूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, आस्ट्रेलिया और भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करेगा। भारत भी अपने 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को अमलीजामा पहनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि दोनों देश इस क्षेत्र में शांति बहाली के लिए कितने प्रयासरत् हैं अर्थात् दोनों देशों की नीतियाँ कॉफी मिलती-जूलती है।
- हाल ही में कोरियन प्रायद्वीप में शांति बहाली के प्रयासों में दक्षिण कोरिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत दक्षिण कोरिया के शांति प्रयासों को मजबूती प्रदान कर सकता है अर्थात् उसका समर्थन कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत कोरियन प्रायद्वीप के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकता है।
- शीत युद्ध के बाद शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ है तथा अमेरिका, रूस, चीन व जापान के मध्य तनाव बढ़े हैं ऐसे समय में भारत

तथा दक्षिण कोरिया वैश्विक शांति में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं।

- अमेरिका-चीन में बढ़ते ट्रेड वार तथा भारत पर अमेरिका के बढ़ते दबाव को देखते हुए दक्षिण कोरिया एवं भारत को नये बाजार की आवश्यकता है। ऐसे में दोनों देश अपने आर्थिक संबंधों को नई दिशा दे सकते हैं।
- दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में लगभग 17 अरब डॉलर है जबकि इनके मध्य सीईपीए (CEPA) पर सहमति वर्ष 2010 में ही हुआ था। वहीं अगर चीन व दक्षिण कोरिया व्यापार पर नजर डालें तो ये व्यापार भारत की तुलना में 12 गुना अधिक है। कोरियाई आँकड़ों के अनुसार जुलाई, 2017 तक भारत से कोरिया को निर्यात जहाँ 2.91 बिलियन डॉलर था वहीं दक्षिण कोरिया से आयात 8.707 बिलियन डॉलर था। अतः इस क्षेत्र में दोनों देश अपने व्यापार को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं।
- संस्कृति के क्षेत्र में भी दोनों देशों के संबंधों की मजबूती अहम मायने रखती है। हाल ही में दोनों देशों ने संस्कृति और लोगों के आपसी संबंधों को गहरा बनाने के लिए 2018-22 की अवधि के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों का आदान-प्रदान होने से संबंध और मजबूत होंगे।
- भारत द्वारा संचालित कार्यक्रम जैसे स्किल इंडया, डिजिटल इंडिया तथा मेक इण्डिया को मजबूती प्रदान करने के लिए भी भारत-दक्षिण कोरिया संबंध आवश्यक है।
- भारत के तेज विकास की चाह में दक्षिण कोरिया का आज क्या महत्व है? एक आसान समीकरण से समझा जा सकता है। भारत की आबादी दक्षिण कोरिया से 24 गुना अधिक है जबकि प्रतिव्यक्ति जीडीपी के मामले में यह दक्षिण कोरिया का महज 16वां हिस्सा ही है। इस प्रकार दोनों के रिश्ते एक दूसरे के बेहद पूरक हो जाते हैं क्योंकि जहाँ दक्षिण कोरिया के पास उन्नत तकनीक और विशेषज्ञों के साथ पूँजी मौजूद है, वहीं भारत के पास बहुत बड़ा बाजार एवं कच्चे माल की उपलब्धता है जिसका लाभ दोनों देश उठा सकते हैं।
- भारत और चीन के बीच के रिश्तों (बढ़ते तनाव) ने दक्षिण कोरिया और भारत को इस क्षेत्र की स्थिरता के मद्देनजर सहयोग का मौका दिया है दोनों देशों के संबंधों की मजबूती इसलिए भी आवश्यक है कि जहाँ दक्षिण कोरिया अपने परमाणु संपन्न पड़ोसी से परेशान है, वहीं भारत के लिए पाकिस्तान ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है।

चुनौतियाँ

- उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार विकसित करने के कार्यक्रम और परमाणु मिसाइलों के परीक्षण से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिकी गठबंधन जिसमें दक्षिण कोरिया और जापान भी शामिल हैं, ने उत्तर कोरिया पर अपने परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने का दबाव बनाया है लेकिन इस क्षेत्र में भड़काने वाली गतिविधियाँ जारी हैं और इन सभी के बीच पारंपरिक हथियारों की होड़ भी जारी है।
- बढ़ती सामरिक क्षेत्रीय अस्थिरता जैसे- सिंजो आबे के नेतृत्व में जापान की "साउथवार्ड एडवांस" (Southward advance) आर्थिक रणनीति की शुरूआत, ताइवान की नई "साउथबाउण्ड पॉलिसी" (Southbound Policy) जो मून ले इन के नई दक्षिण नीति के समान है, चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' की नीति तथा आस्ट्रेलिया, चीन से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत की ओर अपने हित देख रहा है।
- अमेरिका और चीन के मध्य ट्रेडवार,
- भारत-दक्षिण कोरिया के मध्य द्विपक्षीय व्यापार का कम होना।
- भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य एक दशक पहले ही सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर सहमति बनी लेकिन वो सहमति अभी कागजों पर ही सीमित है या यू कहें कि कुछ खास प्रगति नहीं हुआ है।
- एशिया के देशों में दक्षिण कोरिया का भारत की प्राथमिकता वाले देशों में शामिल न होना।
- चूंकि इण्डोपैसिफिक क्षेत्र का विश्व व्यापार में सबसे ज्यादा योगदान है लेकिन भारत का इन द्विपीय देशों से संबंध मजबूत नहीं।
- उभरते राजनीतिक हितों और दोनों देशों के बीच संबंध अभी भी क्षेत्रीय और वैश्विक मांग के अनुरूप नहीं है।
- दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय तनाव विशेषरूप से भारत और चीन के मध्य तनाव, भारत और दक्षिण कोरिया के लिए चिंता का विषय है।

आगे की राह

- कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव को देखते हुए दोनों देशों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे पहले भी भारत ने उत्तर तथा दक्षिण कोरिया के मध्य युद्ध विराम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- बढ़ती क्षेत्रीय अस्थिरता को कम करने के लिए भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा दक्षिण कोरिया की नई दक्षिण नीति (NSP) को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- अमेरिका और चीन से शुरू हुआ ट्रेडवार विश्व को अपने चपेट में ले रहा है इससे विश्व के अन्य देश संरक्षणवादी नीति का पालन कर रहे हैं। ऐसे में भारत तथा दक्षिण कोरिया एक नए बाजार के रूप में खुद को विकसित कर सकते हैं अर्थात ट्रेडवार से उत्पन्न शून्यता की भरपाई कर सकते हैं क्योंकि भारत एक बड़े बाजार के रूप में उभर रहा है तथा दक्षिण कोरिया एक तकनीकि संपन्न देश है।
- भारत-दक्षिण कोरिया के मध्य द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान स्तर से और बढ़ाने की आवश्यकता है।
- हाल ही में भारत-दक्षिण कोरिया के मध्य 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, हालांकि ये पहली बार नहीं है इससे पहले भी कई हस्ताक्षर हुए हैं लेकिन प्रगति कुछ खास नहीं हुयी है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन समझौतो को अमलीज़ामा पहनाया जाय।
- भारत को दक्षिण कोरिया को अपने प्राथमिकता वाले देशों में शामिल करने की आवश्यकता है।
- भारत को इण्डोपैसिफिक क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए इन द्वीपीय देशों से संबंध मजबूत बनाना होगा अर्थात एक्ट ईस्ट नीति का प्रभावी कार्यान्वयन करने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

4. वन धन योजनाः आदिवासियों का सशक्तिकरण

चर्चा का कारण

हाल ही में केंद्र सरकार ने वन धन योजना के तहत दो वर्षों में लगभग 3000 वन धन केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा है। इसके अंतर्गत आदिवासी विकास मंत्रालय लगभग 30000 स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करेगा। 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी वाले 39 जिलों में प्राथमिकता के आधार पर यह पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके बाद धीरे-धीरे देश के अन्य जनजातीय जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। इसके साथ-साथ यह भी प्रस्ताव किया गया कि वन धन एसएचजी (Self Help Group) के प्रतिनिधियों से गठित प्रबंधन समिति स्थानीय स्तर पर केंद्रों का प्रबंधन करेगी।

पृष्ठभूमि

आदिवासियों का जीवन जल, जंगल और जमीन से जुड़ा होता है। हमारे परंपरागत वन लकड़ी के अलावा अन्य वन्य-उत्पादों के स्रोत थे। इनमें पेड़ों के अलावा तिलहन, फल, फूल, जड़ों, पत्तियों, छालों और जड़ी-बूटियों का अस्तित्व और महत्व था। इनसे आदिवासियों को भोजन, दवाएं और सुरक्षित वातावरण मिलता था। अपनी जरूरतें पूरी करने के अलावा वे वन्य-उत्पादों को बेचकर आवश्यक नकद भी इकट्ठा कर लिया करते थे। यह सब नॉन-टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट (एनटीएफपी) के माध्यम से संभव हो पाता था वन पर ऐसा अधिकार केवल जीविका हेतु था। वन-भूमि पर कोई दावा नहीं करता था। वनवासियों की इस स्वतंत्रता को 1927 के वन अधिनियम ने छीन लिया। रातों रात वन पर वनवासियों का अधिकार समाप्त हो गया। वन में रहने वालों के लिए उनका अपना घर ही पराया हो गया।

वनवासियों की समस्याओं को देखते हुए ग्राम सभाओं के स्वशासन हेतु पेपा (प्रोविजन ऑफ द पंचायत) अधिनियम, 1996 लाया गया। इसका उद्देश्य अच्छा था। परन्तु इसमें अनेक तकनीकी खामियां थीं। लघु वन उत्पादों पर वनवासियों को अधिकार तो दे दिया गया, परन्तु लघु वन-उत्पादों को ही सही ढंग से व्याख्यायित नहीं किया गया। दूसरे, इन लघु वन-उत्पादों पर सीधे वनवासियों का अधिकार न होकर ग्राम-सभा का अधिकार रहा। इसके पश्चात आदिवासियों और जनजातियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2006 में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम पारित किया गया था। ध्यातव्य है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वनों के प्रबंधन में वन विभाग की भूमिका को सीमित कर दिया गया; बड़े पैमाने पर व्यापार और वन उपज की बिक्री जैसे मामलों में वन विभाग का नियंत्रण बहुत हद तक कम कर दिया गया। इस अधिनियम को आदिवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर माना जाता है।

आदिवासियों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने तथा आदिवासियों को दिए गए वन अधिकारों जिनमें वनोपज की बिक्री का अधिकार भी शामिल है, को विस्तार प्रदान करने के उद्देश्य से ही वन धन विकास केंद्र योजना की शुरूआत की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर 14 अप्रैल 2018 को इस योजना के तहत पहला वन धन विकास केंद्र छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थापित किया गया था। अब इसी योजना को सरकार विस्तार देने जा रही है।

क्या है वन-धन योजना?

प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से इस योजना की शुरूआत की थी । इसके माध्यम से 30 आदिवासियों के दस स्वयंसेवी समूह बनाकर इनको लघु वन-उत्पादों को इकट्ठा करने एवं उनको बाजार में बेचने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह एक ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से आदिवासियों को अन्य तरह से भी समृद्ध किया जा सकता है। इस योजना का संचालन जन जातीय विकास मंत्रालय और ट्राइफेड (ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया) की देख -रेख में किया जायगा। यह योजना आदिवासी जनजातीय वर्ग के युवाओं के कौशल विकास हेतु शुरू किया गया है।

वन धन योजना का उद्देश्य

इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर गैर टिम्बर माइनर वन प्रोड्यूस (एमएफपी) को प्राथमिक स्तर के मूल्यवर्धन को बढ़ावा देकर जनजातीय समुदाय को विकास की मुख्यधारा में लाना है। इसका उद्देश्य जनजातीय जमाकर्ताओं और कारीगरों के एमएफपी-केंद्रित आजीविका विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल के माध्यम से, गैर-लकड़ी वन उत्पादन की मूल्य श्रृंखला में जनजातीय लोगों का हिस्सा वर्तमान से 20% से बढ़कर 60% हो जाने की उम्मीद है। ज्ञातव्य हो कि बहुत से वनोपज का संग्रहण वनवासियों द्वारा किया जाता है। इनमें दवा या दवाओं में काम आने वाली जड़ी-बूटियां एवं अन्य प्रकार का कच्चा माल होता है। इनका मूल्य लगभग 2 लाख करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आँका जाता है। यह आंकड़ा तब है, जब इन वनोपज को बढ़ाने के लिए कोई निवेश नहीं किया जा रहा है। अगर व्यवस्थित तौर पर इन उत्पादों को बढ़ाया जाए, तो इससे 10 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष

तक का व्यापार किया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर एमएफपी मूल्यों में वृद्धि कर जमीनी स्तर पर जनजातीय समुदाय को व्यवस्थित करना है। इसके तहत जनजातीय समुदाय के वनोत्पाद एकत्रित करने वालों और कारीगरों के आजीविका आधारित विकास को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।एमएफपी या अधिक उपयुक्त के रूप में उल्लेखित गैरलकड़ी वनोत्पाद (एनटीएफपी) देश के लगभग 5 करोड़ जनजातीय लोगों की आय और आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। गौरतलब है कि देश में अधिकतर जनजातीय जिले वन क्षेत्रों में हैं। जनजातीय समुदाय पारंपरिक प्रक्रियाओं से एनटीएफपी एकत्रित करने और उनके मूल्यवर्धन में पारंगत होते हैं। यही कारण है कि स्थानीय कौशल और संसाधनों पर आधारित जनजातीय लोगों के विकास का यह आदर्श मॉडल एनटीएफपी केंद्रित होगा। जन-धन को वन-धन से जोड़कर कच्चे माल, परिवहन और भंडारण के लिए धन की व्यवस्था हो सकेगी। वन-धन को कार्पोरेट की साझेदारी के लिए भी खोला गया है। इससे बुनियादी ढांचे के निर्माण और विपणन में सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य 50 लाख आदिवासी परिवारों की आय को दो साल में तिगुना करना है।

योजना से लाभ

इस योजना के तहत वन धन विकास केंद्र में जनजातीय वर्ग के युवाओं को ईमली,महुआ के फूल के भंडारण , कलौंजी की सफाई एवं अन्य माइनर फारेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे शहद, ब्रशवुड, केन्स,टसर तथा आदिवासी क्षेत्र में पायी जाने वाली अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों के रख-रखाव की ट्रेनिंग एवं मार्केटिंग से सम्बंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे जनजातीय वर्ग के युवाओं की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।आदिवासी क्षेत्र का विकास होगा एवं जनजातीय वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आदिवासी जनजातीय वर्ग की कार्य क्षमता का देश के विकास में भी योगदान प्राप्त किया जा सकेगा।

वन धन विकास केंद्र की कार्यनीति

ट्राइफेड जनजातीय क्षेत्रों में एमएफपी के नेतृत्व वाले वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगा। ये केंद्र 10 एसएचजी के समूह होंगे जिनमें से प्रत्येक के 30 जनजातीय एमएफपी जमाकर्ता शामिल होंगे। वे कौशल उन्नयन, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन सुविधा की स्थापना प्रदान करेंगे। स्थानीय रूप से केंद्रों को प्रबंधन समिति (एक एसएचजी) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा अतः क्लस्टर में वन धन स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस केंद्र में टैमारिंड ईंट बनाने, महुआ फूलों के संरक्षण की सुविधा और चिरोंजी की सफाई और पैकेजिंग के लिए प्रोसेसिंग सुविधा आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

यह योजना कैसे काम करेगी

- **वैल्यू एडिशन फैसिलिटी:** वैल्यू एडिशन से तात्पर्य आदिवासी क्षेत्र में उपलब्ध सामग्री में कुछ एडिशन कर उसके मूल्य में वृद्धि करने से है। इस स्कीम के अंतर्गत तीन चरण में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की जाएगी।
- इस स्कीम के अंतर्गत प्राथमिक स्तर की खरीददारी का कार्यान्वयन समितियों से जुड़े एसएचजी के माध्यम से किया जाएगा।
- यहाँ लाभार्थियों को वस्तुओं के प्राथमिक उपचार और मूल्य वृद्धि के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा और फिर इनके समूह बनाये जायेंगे, ताकि वे अपने स्टॉक को व्यापार योग्य मात्रा में एकत्र कर सकें और वन धन विकास केंद्र में प्राथमिक संसाधन की सुविधा के साथ जोड़ सकें।
- प्राथमिक उपचार के बाद तैयार सामान एसएजी के द्वारा स्टेट एम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को भेजा जायेगा या वे चाहे तो इसे सीधे व्यापारी को बेच सकते हैं।
- जिला स्तर पर सेकंड्री लेवल वैल्यू एडिशन फैसिलिटी और राज्य स्तर पर तृतीय लेवल वैल्यू एडिशन फैसिलिटी के लिए बड़े उद्योगपति पीपीपी मॉडल के अंतर्गत शामिल होंगे।
- यह एक तरह से निजी उद्यमियों द्वारा संचालित लार्ज वैल्यू एडिशन हब होंगे जिसके द्वारा आदिवासियों को प्रशिक्षित कर लाभ दिया जायेगा।

लघु वन उत्पाद

- माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स (एमएफपी) में निम्न को शामिल किया गया है और इसमें बांस, ब्रशवुड, स्टंप, कैन्स, टसर, कोकून, शहद, मोक्स, लैक, तेंदु/केंडू पत्ते, औषधीय पौधों और जड़ी बूटी, जड़ आदि शामिल हैं।
- एमएफपी वन क्षेत्र में जनजातीय लोगों के लिए जीवन चलाने का प्रमुख स्रोत है, लगभग 100 मिलियन वन निवासियों को भोजन, आश्रय, दवाओं और पैसों की पूर्ति के लिए एमएफपी पर निर्भर रहना होता है।

वन धन केंद्र का महत्व

- वन धन विकास केंद्र का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों का आर्थिक विकास करना है। इसके लिए उन्हें वन्य क्षेत्रों में उपलब्ध माइनर फूड प्रोडक्ट को इकट्ठा कर उसके द्वारा अपनी जीविका चलाने और अधिक लाभ कमाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- **आजीविका का स्त्रोत:** माइनर फोरेस्ट उत्पादों आदिवासियों को खराब मौसम में आजीविका का साधन प्रदान करते हैं। इन प्रोडक्ट्स के जरिये आदिवासियों की वार्षिक आय का 20 से 40 प्रतिशत तक का खर्चा निकल जाता है। परंतु इस पर वे अपना बहुत अधिक समय व्यर्थ गँवाते हैं।
- **महिला सशक्तिकरण:** यह फारेस्ट प्रोडक्ट आदिवासी महिलाओं को वित्तीय मजबूती प्रदान करते हैं, क्योंकि इनमे से अधिकतर चीजें महिलाओं के ही द्वारा एकत्रित करके बेची जाती है।
- इन प्रोडक्ट्स के द्वारा आदिवासियों के लिए वर्ष में अधिक काम उपलब्ध होता है। जिससे वे वर्ष भर व्यस्त रहते हैं और अपनी जीविका आसानी से चलाते हैं।

एक आदर्श वन धन विकास समूह में निहित सुविधाएँ

वन धन विकास केंद्र के लिए आवश्यक भवन सुविधा लाभार्थियों में से किसी एक के आवास या सरकारी/ग्राम पंचायत भवन में स्थापित किये जाने का प्रावधान है। क्षेत्र में उपलब्ध एमएफपी के आधार पर काटने, छानने, सजाने, सूखाने जैसे छोटे औजार/टूल किट भी प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण के लिये कच्चे माल के प्रावधान के साथ 30 प्रशिक्षुओं के बैच के लिये पूरी तरह से सुसज्जित प्रशिक्षण सुविधाएँ और ट्रेनी किट (बैग, पैड, पेन, विवरणिका, प्रशिक्षण पुस्तिका, पुस्तिका आदि शामिल) की आपूर्ति भी की जाएगी। वित्तीय संस्थानों, बैंकों, एनएसटीएफडीसी के साथ समझौतों के जरिये एसएचजी के लिये कार्यशील पूंजी का प्रावधान भी किया गया है। एक ही गाँव में ऐसे 10 एसएचजी के क्लस्टर से वन धन विकास केंद्र बनेगा। एक केंद्र में समूह के सफल संचालन के आधार पर अगले चरण में समूह के सदस्यों के उपयोग के लिये भवन, गोदाम जैसी सामान्य बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ (पक्का केंद्र) उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

चुनौतियाँ

2014 में, एमएफपी के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत चयनित एमएफपी एकत्रित करने वालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता है। हालाँकि यह कदम सही दिशा में है, लेकिन एमएफपी से जुड़े अधिकतर कारोबार गैर संगठित हैं, जिसके कारण वनोत्पाद एकत्रित करने वालों को कम मूल्य मिल पाता है और उत्पादों के सीमित मूल्य वर्धन से अधिक उत्पाद व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिये एमएफपी की आपूर्ति श्रृंखला के आगे और पीछे की कड़ी को सुदृढ़ करने और विशेष रूप से जनजातीय समुदाय को व्यवस्थित करने के लिये अधिक संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता है। 2006 में द शेड्यूल ट्राइब्स एण्ड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स अधिनियम लाया गया। वनवासियों के लिए यह कानून अत्यन्त सार्थक सिद्ध हुआ है। हालांकि वन अधिकार अधिनियम में अभी भी बहुत खामियाँ हैं। क्योंकि इसके साथ वनवासियों को वन भूमि का मालिकाना अधिकार देने का मुद्दा अभी भी विवाद में है। इसके साथ ही वन धन योजनाओं के विस्तार हेतु आधारभूत संरचना का भी अभाव है। वनोत्पादों को मुख्य बाजार तक लाने के लिए आधारभूत सड़क आदि सुविधाओं का आभाव है। उत्पादों को बेचने के लिए निकटतम बाजार उपलब्ध नहीं है।

आगे की राह

लघु वन उत्पादों को बेचकर आदिवासियों को अपनी मेहनत का लगभग 20 प्रतिशत प्राप्त होता है। उचित व्यापार नीति के द्वारा इसे लगभग 40-50 प्रतिशत तक किया जा सकता है। यदि प्राथमिक स्तर पर ही मूल्य वृद्धि को अपना लिया जाए, तो आदिवासियों के लिए जीविका के अन्य स्रोत ढूंढने की आवश्यकता ही नही पड़ेगी।। वनोपज के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, जिसमें उत्पाद संग्रहण से लेकर बेचने तक के लिए बाजार की समझ के साथ एक तकनीकी तंत्र विकसित हो। इसके माध्यम से उन्हें सही मूल्य मिल सकेगा। पूरे देश में 30,000 वन-धन स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना चाहिए। जिसमें सड़क, बिजली व निकटतम बाजार व्यवस्था इत्यादि की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग -गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।

■

5. मैनुअल स्केवेंजिंगः विकृत होती कुप्रथा

चर्चा का कारण

रविवार, 8 जुलाई की सुबह रोशन लाल गाजियाबाद के लोनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के एक 35 फुट गहरे टैंक में उतरे। उन्हें टैंक में आने वाले पानी के पाइप में फंसा कचरा निकालना था। टैंक में नीचे पहुंचने के बाद रोशन लाल चीखे कि उनका दम घुट रहा है। टैंक के ऊपर खड़े लोगों ने उन्हें तुरंत बाहर आने को कहा। रोशन सीढ़ी चढ़ने लगे। लेकिन उनका दम हर सांस के साथ कम हो जाता। उनके चहरे पर लगा मास्क जहरीली गैस से बचाव नहीं कर पा रहा था। 12 वीं सीढ़ी तक पहुंचते-पहुंचते रोशन के हाथ कांपने लगे। फिर वो बेहोश होकर टैंक में गिर गए। ये देखकर प्लांट में काम करने वाले महेश ने हिम्मत की। वो अपनी जान की परवाह किए बिना टैंक में आधी गहराई तक उतरे और रोशन लाल की कमर से बंधी रस्सी खींचने लगे। लेकिन रोशन ऊपर आते, उससे पहले ही महेश का दम भी घुटने लगा और वो टैंक में गिर गए।प्लांट में काम करने वाले सुनील शर्मा प्लांट से बाहर लोगों से मदद मांगने भागे। पास ही में कचरा बीन रहे बुलबुल और चारा बेचने वाले समीन अहमद दौड़कर आए। अहमद ने टैंक में उतरकर बेहोश पड़े कर्मचारियों में से एक की कलाई पर रस्सी बांधी। तभी उनका दम भी घुटने लगा। वो किसी तरह टैंक से बाहर निकल गए। लेकिन महेश और रोशन लाल अब भी टैंक में थे। इन्हें बचाने टैंक में उतरे बुलबुल। बुलबुल इनमें से एक को पकड़कर उपर ले जाने लगे। तभी वो फिसले और टैंक में गिर गए। पुलिस मौके पर पहुंची तब तक बुलबुल, महेश और रोशन लाल टैंक में जमा मल में पूरी तरह डूब गए थे। उनकी लाशें तभी निकाली जा सकीं जब दोपहर एक बजे के करीब नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) पहुंची।

पृष्ठभूमि

मैला ढोना आज हमारे देश के माथे पर एक ऐसा बदनुमा दाग है, जिसे हटाने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इसके खात्मे को लेकर कोई प्रयास नहीं किया जाता। इस प्रथा के खिलाफ वर्षों से आवाजें उठती रही हैं। राजनैतिक सतह पर सबसे पहली आवाज 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उठाई थी। गांधीजी के बाद भी इस प्रथा के खिलाफ आवाजें उठती रही हैं। मौजूदा और

पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस अमानवीय व्यवसाय पर संज्ञान लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे जातीय रंगभेद (कास्ट अपार्थाइड) कहा था, वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे देश के माथे पर कलंक बताते हुए इसके जल्द से जल्द खात्मे के लिए आम लोगों का सहयोग चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कुप्रथा के खिलाफ राजनैतिक इच्छा शक्ति के दिखावे की कोई कमी नहीं है। वरना क्या वजह है कि 1901 में गांधीजी ने जिस प्रथा को देश का कलंक बताया था। आजाद भारत में सत्ताधीशों तक उस आवाज को पहुंचने में तकरीबन आधी सदी का समय लग गया।

मैनुअल स्कवेंजिंग क्या है?

किसी व्यक्ति द्वारा शुष्क शौचालयों या सीवर से मानवीय अवशिष्ट (मल-मूत्र) को हाथ से साफ करने, सिर पर रखकर ले जाने, उसका निस्तारण करने या किसी भी प्रकार से शारीरिक सहायता से उसे संभालने को हाथ से मैला ढोना या मैनुअल स्कवेंजिंग कहते हैं। इस कुप्रथा का सम्बन्ध भारत की जाति व्यवस्था से भी है जहाँ तथाकथित निचली जातियों द्वारा इस काम को करने की उम्मीद की जाती है।

कानूनी स्थिति

आजादी के तकरीबन 50 साल बाद 1993 में मैला ढोने वालों के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण पर निषेध लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया।

इस कानून के प्रमुख प्रावधान

- मैला ढोने वालों के काम और उचित तरीके से ड्रेनेज चैनल से न जुड़ने पर शुष्क शौचालय के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है।
- इस कानून के उल्लंघन पर किसी शख्स को एक साल तक की सजा और दो हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

चूंकि इस कानून में बहुत सारी खामियां थीं, इसलिए 2013 में नया कानून पारित किया गया। पहले कानून में केवल सूखे शौचालयों में काम करने को समाप्त किया गया जबकि दूसरे कानून में मैला ढोने की परिभाषा को बढ़ाया गया जिसमें सेप्टिक टैंकों की सफाई और रेलवे पटरियों की सफाई को भी शामिल किया गया। इस नए कानून ने स्पष्ट तौर पर मैला ढोने वाले या इसके सम्पर्क में आने वाले श्रमिकों की संख्या को बढ़ाया है। लेकिन जमीनी हालात जस-के-तस ही बने रहे ऐसे श्रमिकों की सही संख्या अभी तक ज्ञात नहीं है। आए दिन सीवर और सेप्टिक की सफाई के दौरान जहरीली गैसों की चपेट में आकर सैकड़ों लोग दम तोड़ रहे हैं। यह स्पष्ट है कि नई विस्तारित परिभाषा के अनुसार अभी भी बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक विभिन्न रूपों में मैला ढोने के काम में लगे हैं जिन्हें सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता है। कुछ मांगें ऐसी हैं जैसे कि सूखे शौचालयों में काम करना पूरी तरह खत्म होना चाहिए और ऐसे श्रमिकों का पुनर्वास ठीक से व्यवस्थित होना चाहिए। अन्य मांगें हैं कि सीवर में काम करने वाले श्रमिकों को कार्य करने की बेहतर परिस्थितियाँ सुरक्षात्मक आवरण सहित शीघ्र प्रदान की जाएँ। सूखे शौचालयों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए इस काम से मुक्ति के लिए पुनर्वास पैकेज आम तौर पर केवल चालीस हजार रुपये के अनुदान तक ही सीमित हैं। कभी-कभी तो इस अल्प राशि से भी कटौती की जाती है। यह राशि आमतौर पर स्व-रोजगार के लिए पर्याप्त नहीं है जबकि उनके लिए रोजगार के अन्य स्रोत बहुत सीमित हैं। इसलिए पुनर्वास राशि में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए।

सीवर श्रमिकों की सुरक्षा स्थितियों में सुधार को लेकर कई अदालतों के निर्देशों के बावजूद खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों के कारण सीवर श्रमिकों की मृत्यु की खबर नियमित रूप से आती रहती है। सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार 1993 से अब तक उनके पास ऐसे 1370 सीवर श्रमिकों के नाम हैं जिनकी मृत्यु काम करने की खतरनाक परिस्थितियों में हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ऐसे प्रत्येक श्रमिक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा सम्भव नहीं हो पाया है।

बैजवाड़ा विल्सन के मुताबिक साल 2016 में कम से कम 2 लाख दलित औरतें हाथ से मल उठा रही थीं। उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और उत्तराखंड में ज्यादातर, विभिन्न प्रकार के मैला ढोने के कार्य से जुड़े इस अत्यंत गरीब वर्ग की मदद के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। किन्तु सरकार प्राथमिकता से इस कार्य के लिए संसाधनों का आवंटन नहीं कर रही है।

मैला ढोने के कार्य से जुड़े श्रमिकों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना के पहले के वर्षों में 100 करोड़ रुपए के आसपास आवंटित किया गया था। जबकि 2014-15 और 2015-16 में इस योजना पर कोई भी व्यय नहीं हुआ था। 2016-17 के बजट में केवल 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन वर्ष के संशोधित अनुमानों में इसमें भी कटौती कर इसे 1 करोड़ रुपए पर ले आए थे। इस वर्ष के बजट अनुमान में केवल 5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

देश की अदालतों ने समय-समय पर इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए सरकारों से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, जो उसने 27 मार्च 2014 को एक सफाईकर्मी द्वारा दायर याचिका पर सुनाया था। इस फैसले में कोर्ट ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 2013 का कानून पूरी तरह से लागू करने, सीवरों एवं सेप्टिक टैंकों में होने वाली मौत रोकने, 1993 के बाद सीवर-सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सभी मरने वालों के आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था।

इस कुरीति को समाप्त करने के लिए उपाय

इस मानवीय गतिविधि को सदा के लिए समाप्त करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, सरकार की चिंता और प्रतिबद्धता तथा कानून को लागू करने वाले प्राधिकारी की योग्यता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के बारे में किसी तरह के संदेह को समाप्त करने के लिए निश्चित रूप से कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। जिसमें अन्य बातों के साथ ही निम्नलिखित प्रावधान भी होने चाहिए। सरकारी अधिकारियों के नामित दलों और सामुदायिक सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से मैला ढोने वालों और शुष्क शौचालयों की पहचान की जानी आवश्यक है। ताकि सरकारें इस मामले में पहले की भांति आकड़ों को न झुठला सकें। मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए तकनीकी परिवर्तनों के माध्यम से उनका मानवीय, सम्मानजनक और सुरक्षित तरीके से मल-मूत्र के सीधे संपर्क से परहेज, आवश्यक शर्त है। नए कानून के तहत ग्रामीण पंचायत और नगरीय स्थानीय निकायों के साथ ही जिलों के जिला न्यायाधीशों के लिए यह आवश्यक कर दिया जाए कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी परिवार अस्वास्थाकर शौचालय का निर्माण या रखरखाव न करे या किसी बाहरी व्यक्ति को इनकी सफाई के लिए न रखे।

ग्रामीण भारत में जहां शुष्क शौचालय उपयोग में लाए जा रहे हैं। वहां हाथ से मैला सफाई की कुप्रथा की दयनीय स्थिति को निश्चित रूप से सुधारा जाना चाहिए। सीवर-तंत्र की सुविधाओं के अभाव में यहां तक कि स्थानीय शहरी निकायों में भी श्रमिकों को हाथ से ही सैप्टिक टैंक साफ करने के काम पर रखा जाता है। अत: मैला ढोने

की प्रथा का अंत ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से संपूर्ण स्वच्छता के तरीकों में सुधार कर के ही किया जा सकता है। शुष्क शौचालय के स्थान पर फ्लश शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। पुनर्वास कार्यक्रमों के अंर्तगत मैला ढोने वालों के बच्चों को शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें मुफ्त उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसे मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को लक्षित परिणाम हासिल करने के प्रति जवाबदेह बनाना चाहिए। मौजूदा और मुक्त कराए गए मैला ढोने वालों के बच्चों को सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयी शिक्षा से लेकर कॉलेज या रोजगार-उन्मुख तकनीकी कौशल प्रदान करने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण मुक्त में देने की गारंटी दी जानी चाहिए। मैला ढोने वालों को सदियों पुरानी प्रथा से सामूहिक रूप से लड़ने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। जन-प्रतिनिधियों को नए विधेयक पारित करने में राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखानी होगी और सरकार को इसे तीन महीने के भीतर कानून बनाकर इसे लागू करने वाली प्राधिकरण को निर्देश देने होंगे कि वे इसे बिना किसी देरी के लागू करें।

निष्कर्ष

ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साफ-सफाई का जोखिम इतने लोगों की जान ले रहा है और इसे टाला नहीं जा सकता। पूरी दुनिया में गटर जाम होते हैं और जब उनकी सफाई में तकनीकी अपनी सीमा पर पहुँच जाती है तो लोग गटर में भी उतरते हैं और सफाई भी करते हैं परंतु वे मरते नहीं है क्यों कि वे प्रशिक्षित होते हैं, सभी आवश्यक उपकरणों से लैश होते हैं और सरकार को उनकी चिंता होती है परंतु भारत में स्थिति उतनी सही नहीं है। हमारे मन में सफाई के लिए जितनी अहमियत है उतनी ही संवेदनशीलता हमें सफाई करने वालों के लिए भी होनी चाहिए। इस गरीब तबके के व्यक्ति के मौर पर उतना ही अफसोस होना चाहिए जितना समाज के किसी नामी या प्रतिष्ठित व्यक्ति की मौत पर होता है। आज यदि हमें इन नरबलियों को रोकना है तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। इन सफाईकर्मियों को इंसान मानना होगा। इनकी चिंता करनी होगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

6. बाल अपहरण के बढ़ते मामले

चर्चा का कारण

गृह मंत्रालय की 2017-18 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में 54723 बच्चों के अपहरण के मामले सामने आये हैं लेकिन चार्जशीट केवल 40.4 प्रतिशत मामलों में दायर की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के अपहरण से संबंधित यह आँकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सोशल मीडिया पर बाल अपहरण की अफवाहों से निपटने के लिए भी कठोर कदम उठाने की बात की है। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि 2016 में देश में मानव तस्करी के 8132 मामले दर्ज किए गए थे।

उल्लेखनीय है कि पिछले दो महीनों में बच्चे उठाने के संदेह पर 20 से ज्यादा लोगों को प्रताड़ित किया गया तथा 1 जुलाई 2018 को महाराष्ट्र के धुले जिले में पांच लोगों की हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया के वाट्सएप व फेसबूक के जरिये बाल अपहरण के सम्बन्ध में फैलाया जा रहा अफवाह से भारत के विभिन्न हिस्सों में कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं।

बाल अपहरण क्या है?

बाल अपहरण से तात्पर्य ऐसी चोरी से है जिसके अंतर्गत बच्चों को चुराकर उनके मूल निवास से कहीं और ले जाया जाता है तथा उनसे कई अनैतिक और अव्यावहारिक कार्य कराये जाते हैं।

इसमें बच्चों को उनके घर, स्कूल, मंदिर, भीड़भाड़ वाले स्थान, खेलने के स्थान आदि जगहों से चोरों व मानव तश्करों द्वारा चुरा लिया जाता है तथा उन बच्चों को पैसे की खातिर किसी अन्य के हाथों बेच दिया जाता है। कई बार तो बच्चियों का अपहरण कर वेश्यावृत्ति के कार्य में लगा दिया जाता है।

वर्तमान परिदृश्य

बाल श्रमिक, बाल कुपोषण जैसी समस्याएं तो भारत के सामने जस की तस बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से बच्चों के अपहरण, बच्चों की हत्या और बच्चों के साथ यौनाचार की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है यह सबके लिए एक नयी खतरे कि घंटी है। हम पहले से चली आ रही समस्याओं से निजात पाने में विफल साबित हो रहे हैं और ऐसे में नयी समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो गयी हैं जिनका अगर कोई हल जल्द नहीं ढूंढा गया तो गुम होते बचपन को बचाया नहीं जा सकता।

बाल अपहरण के मामलों में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल बड़ी संख्या में बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और उनमें से बहुत कम संख्या में बच्चों को पुलिस खोज पाती है। एक स्वतंत्र संस्था मिसिंग चिल्ड्रेन इन इण्डिया नें देश के 312 जिलों कि जानकारियाँ इकट्ठी करके बताया कि सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ही 13,570 बच्चे लापता हुए हैं। जो मामले की भयावहता को दर्शाता है।

इसी तरह से देश के कई हिस्सों में गरीबी कि वजह से माता पिता द्वारा लड़कियों को बेचने कि घटनाएं भी सामने आती है। आंकड़ों पर यकीन करें तो देश भर में तकरीबन 20 फीसदी माता पिता गरीबी कि वजह से लड़कियों को बेच देते हैं जिनमें सबसे ज्यादा नाबालिग लड़कियां ही होती हैं। इन बच्चियों को बाद में वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है और कभी कभी तो यह भी सामने आता है कि इन बच्चियों को खरीदने वाले भी विदेशी लोग होते हैं जो यहाँ के दलालों के साथ मिलकर बच्चियों का सौदा करते हैं फिर उनको अपने देश में ले जाते हैं जहां पर उन पर तरह तरह के अत्याचार करते रहते हैं।

पिछले तीन सालों से देश में हर वर्ष औसतन एक लाख बच्चे गुम हो रहे हैं। इनमे से आधे ऐसे होते हैं, जिनका बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है या कोई सूचना नहीं मिल पाती है। इस

तरह देश के लगभग पचास हजार बच्चे हर वर्ष हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इसका एक गंभीर पहलू यह भी है कि इनमे से गुम हुई लड़कियों की संख्या लड़कों से डेढ़ गुणा अधिक है यानी कि हर साल देश में तीस हजार लड़कियां हमेशा के लिए गुम हो रही हैं। हमारे देश को यह क्या हो गया है? यह समझना जरूरी है, और यह जानना भी आवश्यक है कि जो महिलाऐं, पुरूष, युवक, युवतियां और छोटे-छोटे अबोध बालक-बालिकायें मानव तस्करी का शिकार हो रहे हैं, उनके अपहरण के बाद उनकी क्या दुर्दशा होती होगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

देश के लगभग हर क्षेत्र से बच्चों के गुमशुदा होने के मामलों में इजाफा हुआ है। आदिवासी या पिछड़े जिलों या शहरों से ही बच्चे लापता नहीं हो रहे हैं बल्कि राजधानी दिल्ली में भी रोजाना दर्जनों मामले सामने आते रहते हैं। इनमें से कई बच्चे सुबह होने से पहले ही तलाश कर लिए जाते हैं, किन्तु बाकी बच्चो को खोजने की जिम्मेदारी पुलिस एवं प्रशासन की होती है। ये वो बच्चे होते हैं, जो अगर शीघ्र व उचित प्रयत्न न किये जाये, तो पुलिस की पकड़ से काफी दूर निकल चुके होते हैं।

दुनियाभर में बच्चों पर होने वाली ज्यादतियों को रोकने और उनके कल्याण के उद्देश्य से 14 दिसंबर 1954 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हर साल 20 नवम्बर को विश्व बाल दिवस मनाने संबंधी प्रस्ताव 836 (9) रखा गया, जिसके स्वीकार होने पर वैश्विक स्तर पर बाल दिवस का आयोजन अस्तित्व में आ गया। विश्व बाल दिवस के उद्देश्य आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं, जिससे बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित संगठन ही नहीं, बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है। वर्ष 2000 में विश्वभर के नेताओं ने 2015 तक सहस्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा रखी थी। यूनीसेफ का कहना है कि इसमें रखे गए आठ लक्ष्यों में से छह सीधे-सीधे बच्चों से जुड़े हैं, लेकिन इन्हें हासिल करने की दिशा में कुछ विशेष दिखाई नहीं दे रहा है।

सरकारी प्रयास

अपहरण: किसी नाबालिग लड़के, जिसकी उम्र सोलह साल से कम है या नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र अट्ठारह साल से कम है, को उसके संरक्षक की आज्ञा के बिना कहीं ले जाना अपहरण कहलाता है तथा इसके लिए अपराधी को सात साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। अगर कोई प्रेम अथवा स्नेह में भी बच्चों को ले जाए (बिना संरक्षक के अनुमति के) तो कहने को तो बच्चा अपनी मर्जी से गया, लेकिन कानून की नज़र में वह अपराधी होगा।

1. **अनैतिक व्यापार पर कानून (धारा 366 क, 366 ख, 372, 373 भारतीय दंड संहिता):** यदि कोई व्यक्ति किसी भी लड़की को वेश्यावृति के लिए खरीदता या बेचता है तो उसे दस साल तक की कैद और जुर्माना की सजा होगी। 'अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956' यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृति के लिए किसी नाबालिक लड़के/लड़कियाँ को खरीदता बेचता, बहलाता फुसलाता या उपलब्ध करवाता है तो उसे तीन से चौदह साल तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी।
2. **धारा 372 भारतीय दंड संहिता:** इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसे व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध या दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा, या उपभोग किया जाएगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक वेबसाइट बनाई है, जिसका नाम है- "Trackthemissingchild.gov.in"। परस्पर संवाद स्थापित करने योग्य यह वेबसाइट प्रत्येक राज्य में लापता बच्चों के संबंध में जानकारी देती है। इस वेबसाइट द्वारा लापता बच्चों की संख्या, उनके गायब होने का समय तथा संबंधित पुलिस स्टेशन के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। इसके अलावा सरकार द्वारा एक और वेबसाइट लाई गई है जहाँ लापता बच्चों की रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है।

हाल ही मे सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले को दो अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक हथियारों के साथ जोड़ कर देखना होगा। पहला आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 तथा दूसरा, बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम, पॉक्सो 2012। इस कानून में पहली बार मानव तस्करी (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) को पारिभाषित किया गया था। आइपीसी की धारा 370 में मानव तस्करी के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हुए किसी भी बच्चे या वयस्क को बहला-फुसला कर ले जाया जाना या अपहरण करना या धोखा देना या एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना आदि को गैरकानूनी अपराध घोषित किया गया। साथ ही धारा 370 (ए) में अलग-अलग सजा के प्रावधान रखे गये हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमशुदा बच्चों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर यदि पुलिस छानबीन व कार्रवाई करती है, तो बच्चों को चुरानेवाला प्रत्येक अपराधी बाल तस्करी का अपराधी मान कर दंडित किया जा सकेगा।

नवम्बर 2012 में पारित हुए पॉक्सो कानून में 18 वर्ष तक के बच्चों पर होनेवाले यौन अपराधों की विस्तृत व्याख्या की गयी है। अलग-अलग प्रकार के यौनाचारों को पारिभाषित करके दंड के प्रावधान रखे गए हैं। बाल संरक्षण से संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किये गये अपराधों को जघन्य माना गया है।

बाल अपहरण के कारण

1. एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के अपहरण के पीछे बाल-विवाह, बालश्रम घरेलू नौकर बनाने और यौन शोषण जैसे कई कारण गिनाए गये हैं।
2. वेश्यावृत्ति भी बाल अपहरण का एक बहुत बड़ा कारण है। छोटी-छोटी बच्चियों का अपहरण कर उन्हें पैसों के बदले में रेड लाइट एरिया में बेच दिया जाता है जहाँ उनका शारीरिक शोषण किया जाता है।
3. स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था की कमी भी एक अपहरण का एक बड़ा कारण है। खासतौर पर सरकारी स्कूलों की स्थिति ज्यादा दयनीय है। बच्चों को घर से स्कूल तक की दूरी तय करने के समय स्कूलों द्वारा इसकी जिम्मेदारी नहीं ली जाती है जो उनके अपहरण का एक कारण बनता है।
4. अभिभावकों की अनदेखी भी इसका एक प्रमुख कारण है। भाग-दौड़ की जिंदगी और एकल परिवार के प्रचलन से अभिभावक बच्चों पर पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। वह अपने दायित्वों को दूसरे के कंधों पर डाल देते हैं जिसका परिणाम बाल अपहरण के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में कई ऐसी घटनायें घटी हैं जिनमें बच्चों के अपहरण में उनके जानने वाले ही सम्मिलित थे।

चुनौतियाँ

1. **बजट की समस्या:** बच्चों को सुरक्षित करने के लिए सरकार के पास जो बजट है उससे तो प्रत्येक बच्चे के लिए टाफी भी नहीं खरीदी जा सकती। एक बच्चे की सुरक्षा के लिए पुलिस एवं प्रशासन को राज्य सरकारों से औसतन मात्र दो रुपए सालाना मिलते हैं। इस राशि से कैसे बच्चों की सुरक्षा होगी; यह न तो किसी राज्य सरकार ने सोचा है और न ही प्रशासनिक उच्चाधिकारियों ने। साल दर साल हर मद में बजट में इजाफा हो जाता है, पर बच्चों के मामले में चुप्पी साध ली जाती है। बजट नहीं होता है, अतः पुलिस भी चुप बैठ जाती है। बाल सुरक्षा पर राज्य के बजट का महज 0.13 फीसदी ही मध्यप्रदेश में खर्च किया जाता है जबकि यह आंध्रप्रदेश में 0.99, हिमाचल प्रदेश में 0.44 और उड़ीसा में 0.40 फीसदी है।
2. बच्चों के अपहरण के मामले में खुफिया तंत्र की अहम भूमिका होती है, लेकिन अधिकांश राज्यों के पुलिस खुफिया तंत्र इस मामले में फेल हो गया है। कई राज्यों में पुलिस प्रशासन ने इसे रोकने के लिए सेल का गठन किया हुआ है लेकिन वह भी इसे रोकने मे सफल नहीं हो पा रहा है। इस धंधे से जुड़े अपराधी बेखौफ होकर बच्चों के अपहरण को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं कई जिलों के जिला प्रशासन के दामन पर भी लापरवाही के दाग लगे हैं। कई राज्य सरकारों ने संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों की काउंसलिंग करने की बात कही थी, लेकिन ये आदेश भी फाइलों में दम तोड़ रहे हैं।
3. **सरकारी एजेन्सियों का सही तरीके से कार्य नहीं करना:** बाल अपहरण रोकने में सरकारी एजेन्सियाँ चाहे वह पुलिस प्रशासन, एनजीओ, सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली आदि की कमियाँ भी एक प्रमुख चुनौती है।
4. **कानूनी प्रावधान:** बाल अपहरण के खिलाफ जो कानूनी प्रावधान हैं वह भी बहुत पुराना है जिसके परिणामस्वरूप अपराधी या तो बच जाते हैं या फिर लंबी कानूनी लड़ाई में अपने धन-बल का प्रयोग करके फैसला अपने अनुसार करा लेते हैं।
5. **सहायता केंद्र की कमी:** भारत एक विकासशील देश एवं बड़े आबादी वाला देश है। इस देश में बच्चों के सुरक्षा के लिए जो सहायता केंद्र है वह पर्याप्त नहीं है। बाल अपहरण को रोकने के लिए इन सहायता केंद्रों का न होना भी एक बड़ी चुनौती है।

आगे की राह

1. बच्चों के गायब होने के मामले पुलिस अनिवार्य रूप से दर्ज करे।
2. मानव व्यापार विरोधी इकाइयों के सदस्यों को कल्याण की भावना के साथ-साथ अधिकार आधारित रवैया भी अपनाना चाहिये।
4. राज्यों में बाल सुरक्षा का बजट न सिर्फ बढ़ाया जाए बल्कि उसे खर्च भी किया जाए।
5. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य महिला आयोग बालक- बालिकाओं की खरीद-फरोख्त रोकने में अहम भूमिका निभाएं।
6. किशोर न्याय कानून के प्रावधानों पर कारगर ढ़ंग से अमल हो।
7. बाल कल्याण समितियों में की गई राजनीतिक नियुक्तियाँ रद्द कर योग्य लोगों को नियुक्त किया जाए।
8. बाल अधिकारों व बाल व्यापार के काम देखने के लिए पुलिस में नया संवर्ग विकसित किया जाए।
9. देश के सभी थानों में बाल कल्याण अधिकारी तैनात किये जायें।
10. सर्वप्रथम बच्चों को लापता होने के पीछे के कारणों की पहचान एक विशेष अध्ययन द्वारा करनी होगी जिनके पैमाने भिन्न-भिन्न राज्यों के हिसाब से भिन्न-भिन्न हो। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक राज्य में बच्चों के अपहरण के कारण अलग-अलग हैं।
11. सरकार द्वारा बच्चों को अपहरण से बचाने के लिए जो वेबसाइट बनाई गई है वह स्वागतयोग्य है। किंतु यह वेबसाइट अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर सके इसके लिए आवश्यक है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाये तथा इसके संचालन हेतु विशेषज्ञता प्राप्त मानव बल को नियुक्त किया जाए।

बच्चों पर हो रहे अपराध रोकने के लिए कानूनी हिफाजत के अलावा भी उपाय करने जरूरी हैं। पहला, इलाके में अपरिचित व्यक्तियों पर एक सामाजिक निगरानी रखना। खासकर स्कूलों, धर्मस्थलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों आदि में काम करनेवाले लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना जरूरी है।

दूसरा, गुमशुदा बच्चों, फुटपाथी बच्चों, खेत-खलिहानों, फैक्टरियों, खदानों आदि में लगे बाल मजदूरों, किशोर गृहों, बाल सुधार गृहों, अनाथालयों, बाल पुनर्वास केंद्रों या बाल आश्रय स्थलों, सरकारी व गैर सरकारी बाल गृहों आदि में प्रत्येक बच्चे की पहचान करके राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीकृत 'डाटा-बेस' बना कर उसे सभी राज्यों से जोड़ा जाना बहुत जरूरी है। कोई नहीं जानता कि किसी एक राज्य का बच्चा देश के दूसरे भाग में कहां पड़ा है या बंधुआ मजदूरी, भिखमंगी, वेश्यावृत्ति का शिकार हो रहा है।

तीसरा, पुलिस तथा दूसरी जांच एजेंसियों को संवेदनशील, प्रशिक्षित, संसाधनों से युक्त और जवाबदेह बनाया जाये। पुलिस थानों की जवाबदेही सबसे जरूरी काम है। जिन थाना क्षेत्रों से बार-बार बच्चे चुराये जाते हैं, वहां के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इन सबके लिए आम जनता में संवेदनशीलता, सरोकार और सरकारों के अंदर राजनैतिक इच्छाशक्ति पैदा करना बहुत जरूरी है।

चौथी, किंतु सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 मई 2013 को गुमशुदा बच्चों के संदर्भ में सुनाया गया फैसला, 2 अप्रैल 2013 को आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम में मानव (बाल) तस्करी से संबंधित धारा 370 तथा 370 ए और 14 नवंबर 2012 को पारित बाल यौन अपराध रोक-थाम कानून के प्रावधानों को लागू कराना।

जानवरों से भी कम कीमत पर बच्चों की खरीद-फरोख्त करने वाले, उनके श्रम और देह का व्यापार करने वाले अपराधियों व व्यापारियों एवं इस काली कमाई से तिजोरियां भरने वाले राजनेताओं के नापाक-गंठजोड़ को चुनौती देना जरूरी है। बाल शोषण के विरुद्ध चेतनाशील व्यक्तियों और परिवर्तनकारी समूहों को आगे आकर इन कानूनी व्यवस्थाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए संगठित रूप से यह लडाई लड़नी होगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

7. गैर-जिम्मेदार सर्वेक्षणों एवं रिपोर्टों के निहितार्थ

चर्चा का कारण

हाल ही में 26 जून, 2018 को 'थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन' ने सर्वेक्षण पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में महिलाओं की स्थिति दुनिया में सबसे खराब है, यहाँ तक की भारत की स्थिति इस मामले में अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया और सऊदी अरब से भी बद्तर है। उनके अनुसार यह रैंकिंग महिलाओं के मुद्दों पर केंद्रित 584 विशेषज्ञों की धारणा पर आधारित है। इसके लिए स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, आदिवासी, धार्मिक या परंपरागत प्रथाओं और यौन हिंसा के विभिन्न श्रेणियों में महिलाओं की स्थिति को आधार बनाया गया है।

हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है और कहा कि जिन देशों से भारत की तुलना की गई है उनमें तो महिलाओं को बोलने तक का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही सरकार का कहना है कि ऐसे रिपोर्टों का कोई ठोस आधार नहीं है इसलिए यह मान्य नहीं है।

गैर जिम्मेदार सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है?

एक ऐसी रिपोर्ट जो कुछ गिने चुने लोगों अथवा कुछ संस्थाओं के द्वारा जारी किये जाते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य किसी देश की विश्व में मजबूत होती शाख को धूमिल करना होता है, गैर जिम्मेदार रिपोर्ट कहलाता है। इस तरह के सर्वेक्षण का कोई ठोस आधार नहीं होता है। कहने के लिये तो यह रिपोर्ट सर्वे के आधार पर होते हैं लेकिन यह कुछ व्यक्तियों की सोच और निजी मन्तव्य पर आधारित होता है। ऐसी रिपोर्ट सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर के देशों के लिए भी जारी की जाती है और उन देशों द्वारा इसका खंडन भी किया जाता है। इस तरह के रिपोर्ट का कोई ठोस आधार न होने के कारण किसी भी देश द्वारा इसे मानना कतई संभव नहीं है।

गैर जिम्मेदार रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति

भारत के संदर्भ में महिलाओं पर दिए गये यह रिपोर्ट कोई नई नहीं है। इसके पहले भी यू. एन. द्वारा जम्मू-कश्मीर पर इसी तरह का विवादित रिपोर्ट जारी किया गया था। यू.एन. द्वारा जारी रिपोर्ट में यह कहा गया कि जम्मू-कश्मीर में भारत मानवाधिकारों का हनन कर रहा है तथा शोषणकारी नीति अपना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में महिलाओं और बच्चों को शोषण का शिकार होना पड़ता है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट का भी खण्डन किया था और संयुक्त राष्ट्र से साफ-साफ कहा था कि बिना वास्तविकता और जमीनी सच्चाई को जाने बिना इस तरह की किसी रिपोर्ट को वह न जारी करें क्योंकि इसमें नाममात्र की भी सच्चाई नहीं है। सबसे ज्यादा आश्चर्य तो इस बात पर हुई की संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादियों को सशस्त्र समूह और नेता बताया गया। इस पर भारत के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने साथ मिलकर इसका जोरदार खण्डन किया। भारत का कहना है कि देश की धरती पर पाकिस्तान के समर्थन से फैलाये जा रहे आतंकवाद को संयुक्त राष्ट्र ने नजरअंदाज किया है।

विदित हो कि कुछ समय पहले विश्व मीडिया द्वारा भारत में असहिष्णुता को लेकर बयान जारी किया गया और कहा गया कि भारत में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। हालांकि विश्व मीडिया की यह रिपोर्ट पूर्वाग्रह पर आश्रित थी जिसमें सच्चाई का अभाव था। महिलाओं को लेकर इस तरह की रिपोर्ट पहले भी जारी की गई जिसमें लिंग भेद, संपत्ति की स्वतंत्रता, बाल विवाह, एसिड हमले, शारीरिक दुर्व्यवहार या उत्पीड़न आदि को आधार बनाया गया था। यह रिपार्ट कुछ हद तक सही तस्वीर पेश किये लेकिन ज्यादातर स्थिति को बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया।

THOMSON REUTERS
FOUNDATION

क्योंकि कुछ विदेशी रिपोर्ट ही यह बताते हैं कि भारत में मिली महिलाओं को स्वतंत्रता एवं अधिकार कई देशों से अधिक है और दिन प्रति दिन इसमें इजाफा हो रहा है चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्र हो।

स्मरणीय है कि ऐसी रिपोर्ट सिर्फ विदेशी मीडिया या संस्थाओं द्वारा ही जारी नहीं की जाती है बल्कि देश के अंदर भी कुछ एनजीओ और मीडिया है जो विवादित रिपोर्ट को जारी करते हैं। इसमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों को आधार बनाया जाता है। कई बार तो इस तरह की रिपोर्टों पर गहरी बहस हुई और इसकी सच्चाई को पता करने के लिए सरकार को आगे आना पड़ा। भारत के अंदर भी कई एनजीओ और संगठन ऐसे हैं जो बिना किसी ठोस व नियमित सर्वे के रिपोर्ट तैयार करते हैं जिनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठता है लेकिन चर्चा में बने रहने के लिए वे इस तरह के कार्य को अंजाम देते रहते हैं।

गैर जिम्मेदार रिपोर्ट के कारण

यदि इस तरह के गैर जिम्मेदार रिपोर्ट को देखें तो इसके कई कारण देखने को मिलते हैं-

1. **छवि खराब करने की साजिश:** इस तरह के गैर जिम्मेदराना रिपोर्ट चाहे वह यू.एन. द्वारा या किसी अन्य संस्था द्वारा जारी किया जाता है इसका एक बड़ा कारण किसी देश को बदनाम करना होता है। यह सर्वविदित है कि कुछ संस्थायें किसी खास देश के प्रभाव में काम करती हैं अत: दो देशों के बीच संबंध खराब होने पर इस तरह के रिपोर्ट को जारी कराया जाता है जिससे कि न केवल उस देश की छवि खराब हो बल्कि विश्व स्तर पर उसके साख पर प्रश्नचिह्न लगे। इसका सबसे बेहतर उदाहरण श्रीलंका, भारत, म्यांमार आदि हैं।
2. **दबाव समूह के रूप में:** कई बार देश के अंदर और देश के बाहर कुछ संस्थायें एवं एनजीओं दबाव समूह के रूप में किसी देश के विरुद्ध गैर जिम्मेदार रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसमें उनका अपना निजी हित शामिल होता है। ये एनजीओ विदेशी पैसों को प्राप्त करने तथा देश के अंदर सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। ये इस तरह के रिपोर्ट जानबूझकर इस तरह तैयार

करते हैं जिससे कि लोगों को इनके बातों और आंकड़ों पर विश्वास हो और ये अपना आर्थिक हित साध सकें। इसी का परिणाम है कि भारत सरकार ने हाल ही में कई एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया है और विद्मान एनजीओ पर निरक्षण को और अधिक प्रभावी कर दिया है।

देश विशेष पर फोकसः ऐसे रिपोर्ट जारी करने का एक बड़ा कारण किसी देश को फोकस करना होता है। कई बार विकसित देश यू.एन. जैसी संस्थाओं के द्वारा विकासशील और अल्पविकसित देशों में अपनी प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस तरह की रिपोर्ट जारी करवाते हैं। इसके बाद इन संस्थाओं के माध्यम वे अपने विचारों को इन देशों में प्रसारित करते हैं। वे अपनी नीतियों को इन देशों में लागू करवाते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण अमेरिका तथा कई विकसित देशों द्वारा अफ्रीका व एशियाई देशों में थोपी जा रही अपनी नीतियों तथा उन देशों में अपने सामानों के बेचने की प्रक्रिया है।

विकसित देशों द्वारा जानबूझकर विकासशील देशों की रैंकिंग खराब बताई जाती है और फिर उन गरीब देशों में अपने अधिकारों का प्रयोग कर संस्थाओं एवं एनजीओं के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाया जाता है। कई बार दो देशों के बीच उत्पन्न राजनीतिक व आर्थिक गतिरोध भी इस तरह के रिपोर्ट जारी होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये देश किसी भी तरह से अपना वर्चस्व बनाये रखना चाहते हैं और अपनी संस्थाओं को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं।

गैर जिम्मेदार रिपोर्ट का प्रभाव

ऐसे रिपोर्ट जिनका की कोई ठोस आधार नहीं है बल्कि कुछ लोगों और संस्थाओं के पूर्व धारणा पर आधारित है के प्रभाव को निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है-

आर्थिक क्षेत्र में: थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन द्वारा जारी रिपोर्ट का या इस तरह के अन्य रिपोर्ट का सर्वाधिक असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इससे देश की छवि खराब होती है जिससे कि विदेशी निवेशकों का मनोबल गिरता है और उनके द्वारा निवेश कम मात्रा में किया जाता है। चूंकि इस तरह के रिपोर्ट में प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाया जाता है जिससे विदेशी नागरिकों के बीच एक भय का माहौल कायम हो जाता है। जिससे कि एफडीआई जैसे आय के स्रोत कम हो जाते हैं।

इसके अलावा विदेशी सैलानियों का आगमन भी कम होता है जिससे कि टूरिज्म के क्षेत्र में काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह के रिपोर्ट से पड़ोसी देशों में चल रहे परियोजनाओं पर भी असर पड़ता है क्योंकि देश के प्रति उनका विश्वास कम हो जाता है। खासतौर पर देश के अंदर महिलाओं से संबंध परियोजनाओं पर विपरीत असर पड़ता है।

राजनीतिक क्षेत्र में: इस तरह की रिपोर्ट कई देशों के संबंधों को प्रभावित करते हैं चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। इससे कई देश अपने राजनीतिक रसूक को बढ़ाने में लगे रहते हैं और इससे कहीं न कहीं संबंधों में कड़वाहट आती है। ऐसा कई बार देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जारी रिपोर्ट के माध्यम से देशों को राजनीतिक क्षेत्र में बदनाम किया जाता है। कभी महिलाओं के राजनीतिक पहुंच और भागीदारी को लेकर तो कभी अस्थिर राजनीति को लेकर। कई बार तो रिपोर्ट के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा किया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है राजनीतिक स्थिरता का भय दिखाकर किसी भी देश को बदनाम करना।

धार्मिक क्षेत्र में: अभी कुछ समय पहले ही भारत के बारे में कई तरह की भ्रातियाँ फैलाई गई। कई रिपोर्ट के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई की भारत धार्मिक रूप से असहिष्णु देश है। इन रिपोर्टों के माध्यम से एक वर्ग विशेष की बात सामने रखी गयी। इस तरह के रिपोर्ट भारत जैसे अनेकता में एकता वाले देश के लिए कतई सही नहीं है। इस तरह के रिपोर्ट से देश के अंदर वैमनश्यता की भावना बढ़ती है तथा एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति विश्वास कम होता है जिससे कि देश की एकता पर प्रभाव पड़ता है।

कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ छोटी-मोटी और अकस्मात घटने वाली घटनाओं को भी इतना बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है तथा उसी को आधार बनाकर एक रिपोर्ट तैयार कर लिया जाता है और फिर उसी के माध्यम से पूरे देश का आकलन किया जाता है। इससे विदेशी देशों के अंदर देश को लेकर एक गलत धारणा बन जाती है। इसका सीधे-सीधे प्रभाव देश के विकास पर पड़ता है।

सामाजिक क्षेत्र में: थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन जैसी संस्थायें भारत के सामाजिक क्षेत्रों पर भी कई रिपोर्ट जारी किये जिसमें कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्थिति के बारे में बताया गया। हालांकि इनके रिपोर्ट को मानना मुश्किल है क्योंकि इनके द्वारा दिये गये रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण होते हैं। आकड़ों को भी बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है जिससे कि वर्तमान सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित किया जा सके।

निष्कर्ष

यह सही है कि थॉमसन रायटर्स फाउण्डेशन जैसे संस्थाओं के रिपोर्ट पर विश्वास करना मुश्किल है लेकिन विश्व के कई संस्थाओं द्वारा जारी रिपोर्ट में सच्चाई भी होती है। अतः उसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। कुछ संस्थायें किसी देश या समाज को बदनाम करने की साजिस जरूर करते हैं लेकिन सभी के सभी संगठन या संस्थायें ऐसी करती हो यह जरूरी नहीं है।

भारत एक विकासशील देश है तथा इसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है। ऐसे में विश्व के कई देशों की निगाहे भारत की तरफ है क्योंकि भारत का उभरता बाजार कई देशों के निवेश के लिए लाभदायक है। ऐसे में विश्व के कई देश अप्रत्यक्ष रूप से भारत को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्य में भारत में स्थित एनजीओ भी उनका साथ दे रहे हैं।

अतः इन रिपोर्टों पर बहस से ज्यादा जरूरी यह है कि इन रिपोर्टों में बताये गये कमियों पर ध्यान दिया जाय जिससे कि यदि उस क्षेत्र में कोई कमी रह गयी है तो उसे दूर किया जाय। विदित हो कि भारत में अभी भी महिलाओं की स्थिति अपेक्षा अनुरूप नहीं है तथा उनके लिए कई कार्य किये जाने बाकी हैं जिसमें कि सुरक्षा, शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता आदि प्रमुख हैं। यह ध्यान देने की बात है कि वर्तमान में देश के अंदर महिलाओं को लेकर लोगों के विचारों में बदलाव आ रहा है तथा महिलायें भी जीवन के हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। फिर भी अन्य देशों से तुलना करने और भारतीय महिलाओं को विश्व पटल पर लाने के लिए एक बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है जिससे कि इन संस्थाओं के रिपोर्टों को गलत साबित किया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य - सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।

विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग -गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

मिलीमीटर तरंग प्रौद्योगिकीः बेतार संचार प्रणाली का भविष्य

प्र. मिलीमीटर तरंग प्रौद्योगिकी क्या है? इसके अनुप्रयोग और चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- संदर्भ
- मिलीमीटर तरंग प्रौद्योगिकी क्या है?
- मिलीमीटर तरंग प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

संदर्भ

- एक विशेष प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रौद्योगिकी को मिलीमीटर तरंग प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है।

मिलीमीटर तरंग प्रौद्योगिकी क्या है?

- मिलीमीटर तरंग प्रौद्योगिकी को मिलीमीटर तरंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी तरंगदैर्ध्य 1 से 10 मिलीमीटर होती है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। मिलीमीटर तरंगों की आवृत्ति 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। मिलीमीटर तरंगे लघु तरंगे होती हैं।

मिलीमीटर तरंगों के उपयोग

- मिलीमीटर तरंगों को तीव्र गति के वायरलेस ब्राडबैंड संचार के लिए भी प्रयोग होता है। 5जी तकनीकि में भी मिलीमीटर तरंग प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। रडार तकनीक में भी इसका प्रयोग होता है। अंतरिक्ष मौसम विज्ञान तथा संचार प्रणाली में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही यह मानव शरीर के स्कैनर तथा उच्च क्षमता वाले एचडी वीडियो के प्रसारण में भी इसका उपयोग होता है।

चुनौतियाँ

- मिलीमीटर तरंगों की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये सीधी रेखा में चलती हैं। और इनकी तरंगों का प्रसार क्षेत्र भी कम होता है। लगभग 1 किमी. इनकी तरंगों को किसी भौतिक माध्यम के द्वारा बीच में ही रोका जा सकता है।
- दूसरा मिलीमीटर तरंगे वायुमंडलीय में उपस्थित गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। अर्थात् वायुमंडलीय दशाएँ जिनमें वर्षा, आर्द्रता आदि के द्वारा इनकी सिग्नल क्षमता कम हो जाती है।

आगे की राह

- मिलीमीटर तरंग प्रौद्योगिकी इस दशक में सबसे तजी से बढ़ती प्रौद्योगिकी में से एक है। और इसका अनुप्रयोग हमें नई तकनीकी युग में पहुँचा सकता है। ■

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसीः एक अवलोकन

प्र. हाल ही में केंद्रीय शिक्षामंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक नई बॉडी 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' बनाने का फैसला किया है। यह एजेंसी शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से बदलाव ला सकती है? समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है एनटीए?
- एनटीए की आवश्यकता क्यों?
- एनटीए से लाभ
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय शिक्षामंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक नई 'बॉडी' बनाने का फैसला लिया है जिसका नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद एनटीए की अध्यक्षता करेगा।
- कैबिनेट के फैसले के अनुसार एनटीए को भारत सरकार से पहले वर्ष में अपना ऑपरेशन शुरू करने के लिए 25 करोड़ रूपये का एक बार अनुदान दिया जाएगा।

क्या है एनटीए?

- विशेषीकृत निकाय की आवश्यकता को समझते हुए वित्तमंत्री द्वारा वर्ष 2017-18 के अपने बजट भाषण में उच्च शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले के लिए सभी प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना की घोषणा की थी।

- 10 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी गई थी।

एनटीए की आवश्यकता क्यों?

- सीबीएससी पर परीक्षाओं का भारी बोझ था, पेपर लीक जैसी घटनाएँ आम होती जा रही हैं, सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, पारदर्शी व्यवस्था का न होना, विद्यार्थियों को वर्ष में एक ही मौका मिलना, शिक्षा का व्यवसायिकरण आदि।

एनटीए से लाभ

- विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों को राहत मिलेगी।
- एनटीए के गठन से देश की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार का दौर शुरू होगा।

चुनौतियाँ

- बड़े स्तर पर पहली बार ऑनलाइन परीक्षा करवाना, पेपर लीक जैसी घटना की संभावना, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, पेपर कंटेंट क्वालिटी की समस्या, तकनीकी पिछड़ापन, दूर दराज के क्षेत्रों में प्रतियोगियों का कंप्यूटर फ्रेंडली न होना।

आगे की राह

- व्यापक स्तर पर परीक्षा आयोजित करने के लिए तकनीकी मदद ली जाए, भ्रष्टाचार पर अंकुश, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता, पेपर कंटेंट क्वालिटी को उच्च स्तर बनाए रखने के लिए पेशेवर कर्मचारियों की नियुक्ति आदि को इंगित करें। ■

भारत–दक्षिण कोरियाः मजबूत होता संबंध

प्र. हाल ही में संपन्न दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "पूर्वोत्तर और दक्षिण एशिया में परमाणु प्रसार भारत के लिए चिंता का विषय है"। इस कथन के संदर्भ में भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों की समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान परिदृश्य
- भारत–दक्षिण कोरिया संबंधों की आवश्यकता
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने अपनी आधिकारिक यात्रा संपन्न की इस यात्रा के दौरान दोनों के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
- दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने कहा कि हमने द्वीपक्षीय सहयोग के नए युग की शुरूआत की।

पृष्ठभूमि

- भारत–कोरिया गणराज्य (ROK) संबंधों ने हाल के वर्षों में गति पकड़ी है। वर्तमान में ये संबंध बहुआयामी हो गए हैं, जो दोनों देशों के आपसी हितों के पर्याप्त अभिसरण, आपसी सद्भाव और उच्च स्तरीय आदान–प्रदान से हुए हैं।
- भारत–कोरिया के राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध तथा भारतीय समुदाय की चर्चा करें।

वर्तमान परिदृश्य

- भारत और दक्षिण कोरिया ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के भारत दौरे के दौरान 11 एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के मध्य संपन्न 11 एमओयू को दर्शाएँ।

भारत–दक्षिण कोरिया संबंधों की आवश्यकता

- दक्षिण कोरिया के 'नई दक्षिण नीति' की घोषणा के अनुसार वो उत्तर-पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करेगा।
- शीत युद्ध के बाद शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ है तथा अमेरिका, रूस, चीन व जापान के मध्य तनाव बढ़े हैं। ऐसे समय में भारत तथा दक्षिण कोरिया वैश्विक शांति में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं।

चुनौतियाँ

- कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार विकसित करने के कार्यक्रम, बढ़ती सामरिक क्षेत्रीय अस्थिरता, अमेरिका व चीन के मध्य ट्रेडवार, भारत–दक्षिण कोरिया के मध्य द्विपक्षीय व्यापार का कम होना, उभरते राजनीतिक हितों आदि की चर्चा करें।

आगे की राह

- बढ़ती क्षेत्रीय अस्थिरता को कम करने के लिए भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा दक्षिण कोरिया की नई दक्षिण नीति (NSP) को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- भारत–दक्षिण कोरिया के मध्य द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान स्तर से और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ■

वन धन योजनाः आदिवासियों का सशक्तिकरण

प्र. वन धन योजना आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चर्चा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- क्या है वन धन योजना
- वन धन योजना का उद्देश्य

- वन धन विकास केंद्र की कार्यनीति
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्र सरकार ने वन धन योजना के तहत दो वर्षों में लगभग 3000 वन धन केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा है। इसके अंतर्गत आदिवासी विकास मंत्रालय 3000 स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करेगा।

पृष्ठभूमि

- आदिवासी और जनजाति प्रारंभ में वनों के द्वारा ही अपनी सभी जरूरतों को पूरा करते थे लेकिन कालांतर में औपनिवेशिक काल में उनके अधिकार छीन लिए गए जिससे उनका पतन होने लगा आजादी के पश्चात उनकों मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए उन्हीं के तहत हाल ही में किया गया महत्वपूर्ण प्रयास वन धन योजना है।

क्या है वन धन योजना

- वन धन योजना आदिवासी जनजातीय वर्ग के युवाओं के कौशल विकास हेतु शुरू किया गया है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर गैर टिम्बर माइनर वन प्रोड्यूस को प्राथमिक स्तर के मूल्यवर्धन को बढ़ावा देकर (एमएफपी) केंद्रित जनजातीय समुदाय को विकास की मुख्यधारा में लाना है।

वन धन विकास केंद्र की कार्यनीति

- ट्राइफेड जनजातीय क्षेत्रों में एमएफपी के नेतृत्व वाले वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगा ये केंद्र 10 एसएचजी के समूह होंगे जिनमें से प्रत्येक के 30 जनजातीय एमएफपी जमाकर्ता शामिल होंगे।

चुनौतियाँ

- वन धन योजना आदिवासियों और जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन अभी भी इसमें कई चुनौतियाँ हैं। इनमें वन अधिकार कानून का सही रूप से क्रियान्वयन तथा वन धन योजना के विस्तार हेतु आधारभूत संरचना (सड़क, विद्युत, बाजार) की कमी इत्यादि।

आगे की राह

- आदिवासियों तथा जनजातियों के विकास के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कई कानून लाए गए इनमें वन बंधु योजना, एकलव्य योजना तथा वनअधिकार कानून एवं हाल ही में लागू वन धन योजना आदि शामिल हैं। अत: इन कार्ययोजनाओं को धरातल पर लाने के लिए सरकार को आधारभूत संरचना का विस्तार करते हुए सभी योजनाओं की खामियों को तत्काल दूर करना चाहिए। ■

मैनुअल स्केवेंजिंग: विकृत होती कुप्रथा

प्र. भारत विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है; मंगल पर मिशन भेज चुका है, परंतु मैनुअल स्कैवेंजिंग की स्थिति विश्व के समक्ष भारत की एक बहुत ही नकारात्मक छवि प्रस्तुत करती है। चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या होता है मैनुअल स्कैवेंजिंग
- भारत में स्थिति
  - सामाजिक समस्यायें
  - कुछ तथ्य, आँकड़े
- कानूनी प्रावधान
- समस्या के समाधान के उपाय
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- गाज़ियाबाद में सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैसों से तीन लोगों की मौत।

क्या होता है मैनुअल स्कैवेंजिंग

- व्यक्ति द्वारा शुष्क शौचालयों या सीवर से मानवीय अवशिष्ट को हाथ से साफ करना, सिर पर रख कर ले जाना, उसका निस्तारण करना।

भारत में स्थिति

- भारत में जाति प्रथा इस कार्य से जुड़ी है। इस कार्य में पूर्णत: दलित वर्ग ही जुड़ा है इसमें भी महिलाओं की संख्या सर्वाधिक।
- वर्ष 2017 में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा मौते तमिलनाडु में (140), दूसरे नंबर पर कर्नाटक (59)।

कानूनी प्रावधान

- द एम्पलॉयमेंट ऑफ मैन्युअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राय लैट्रिनस (प्रोहिबिशन) एक्ट-1993।
- द प्रोहिबिशन ऑफ एम्पलॉयमेंट एज मैन्युअल स्कैवेजर्स एंड देयर रिहैबिलेशन बिल, 2012।

समाधान के उपाय

- विभिन्न सामाजिक सशक्तिकरण के उपाय जिससे दलित व अछूत जैसी संकल्पना खत्म हो।
- प्रौद्योगिकी तकनीकियों का प्रयोग।
- प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आर्थिक उपाय।

निष्कर्ष

- दलित समाज के उत्थान की जरूरत दिखाते हुए अंत करें। ■

बाल अपहरण के बढ़ते मामले

प्र. हाल ही में गृहमंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बाल अपहरण की घटनायें बढ़ी हैं। बाल अपहरण के कारणों को बताते हुए उनके निवारण के उपाय को बतायें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- बाल अपहरण क्या है?
- वर्तमान परिदृश्य
- सरकारी पहल
- बाल अपहरण के कारण
- बाल अपहरण के निवारण में चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- गृह मंत्रालय की 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में 54723 बच्चों के अपहरण के मामले सामने आये लेकिन चार्जशीट केवल 40.4 प्रतिशत मामलों में दायर की गई थी।
- बाल अपहरण से तात्पर्य ऐसी चोरी से है जिसके अंतर्गत बच्चों को चुराकर उनके मूल निवास से कहीं और ले जाया जाता है तथा उनसे कई अनैतिक और अव्यावहारिक कार्य कराये जाते हैं।

वर्तमान परिदृश्य

- पिछले तीन सालों से देश में हर वर्ष औसतन एक लाख बच्चे गुम हो रहे हैं। इनमें से आधे ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है।
- एक स्वतंत्र संस्था मिसिंग 'चिल्ड्रेन इन इण्डिया' ने देश के 392 जिलों कि जानकारी इकट्ठा करके बताया कि देश की राजधानी दिल्ली में 13560 बच्चे लापता हुए हैं।

सरकारी पहल

- बाल अपहरण और वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार भारतीय दंड संहिता की धारा 366 क, 366 ख, 372, 373 के तहत कई प्रावधान किये हैं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है Tracthemissingchild.gov.in। परस्पर संवाद स्थापित करने योग्य यह वेबवाइट प्रत्येक राज्य में लापता बच्चों के संबंध में जानकारी देता है।

बाल अपहरण के कारण

- एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के अपहरण के पीछे बाल-विवाह, बाल श्रम, घरेलू नौकर बनाने और यौन शोषण जैसे कई कारण गिनाये गये हैं।
- स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था में खामी तथा अभिभावकों की अनदेखी भी इसका प्रमुख कारण है।

बाल अपहरण को रोकने में आने वाली चुनौतियाँ

- सरकारी एजेंसियों का सही तरीके से कार्य न करना, कानूनी प्रावधान, सहायता केंद्र की कमी, बजट का कम होना आदि।

आगे की राह

- बच्चों के गायब होने के मामले पुलिस अनिवार्य रूप से दर्ज करे।
- राज्यों में बाल सुरक्षा का बजट न सिर्फ बढ़ाया जाय बल्कि उसे खर्च भी किया जाए।
- किशोर न्याय कानून के प्रावधानों पर कारगर ढंग से अमल हो।
- देश के सभी थानों में बाल कल्याण अधिकारी को अपने कामकाज की जानकारी नहीं होती है। अतः उन्हें उचित एवं पूर्ण जानकारी के साथ विश्वस्तरीय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- स्कूलों के लापता होने के पीछे के कारणों की पहचान एक विशेष अध्ययन के तहत पूरा करनी होगी जिनके पैमाने भिन्न-भिन्न राज्यों के हिसाब से भिन्न-भिन्न हो। ■

गैर-जिम्मेदार सर्वेक्षणों एवं रिपोर्टों के निहितार्थ

प्र. हाल ही में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी कर यह बतलाया कि भारत में महिलाओं की स्थिति विश्व में सबसे खराब है। इस रिपोर्ट की चर्चा करते हुए इससे भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- गैर जिम्मेदार सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है?
- वर्तमान स्थिति
- गैर जिम्मेदार रिपोर्ट के कारण
- गैर जिम्मेदार रिपोर्ट के प्रभाव
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में 26 जून, 2018 को थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने सर्वेक्षण पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में महिलाओं की स्थिति दुनिया में सबसे खराब है।
- हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है और कहा कि जिन देशों से भारत की तुलना की गई है उनमें तो महिलाओं को बोलने तक का अधिकार नहीं है।

गैर जिम्मेदार सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है?

- एक ऐसी रिपोर्ट जो कुछ गिने-चुने लोगों अथवा कुछ संस्थाओं के द्वारा जारी किये जाते हैं।

वर्तमान स्थिति

- हाल ही में यू.एन. द्वारा जम्मू-कश्मीर पर भी विवादित रिपोर्ट जारी किया गया था। उनके अनुसार जम्मू-कश्मीर में भारत मानवाधिकारों का हनन कर रहा है।

- भारत के संदर्भ में विदेशी मीडिया द्वारा एक रिपोर्ट जारी कर यह कहा गया कि देश के अंदर असहिष्णुता बढ़ रहा है।

गैर जिम्मेदार रिपोर्ट के कारण

- छवि खराब करने की साजिश, दबाव समूह के रूप में, देश-विशेष पर फोकस आदि।

गैर जिम्मेदार रिपोर्ट का प्रभाव

- आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आदि।

निष्कर्ष

- यह सही है कि थॉमसन रॉयटर्स फाउण्डेशन के द्वारा जारी रिपोर्ट पर विश्वास करना मुश्किल है लेकिन कई एजेन्सियाँ एवं संस्थायें ऐसी हैं जिनके रिपोर्ट को झुठलाया नहीं जा सकता है। भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, समानता आदि के क्षेत्र में कई कार्य करने हैं जिससे कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जा सके। विश्व मीडिया द्वारा जारी रिपोर्ट कई बार पक्षपातपूर्ण और बिना किसी ठोस आधार की होती है अतः उसकी सत्यता को परखना किसी भी देश के लिए अति आवश्यक है। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. राज्यसभा के लिए चार सदस्यों का मनोनयन

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 जुलाई 2018 को राकेश सिन्हा, सोनल मानसिंह, रघुनाथ महापात्र और राम सकल सिंह को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने इन चार लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इन चार नामांकनों से पहले, राज्यसभा में आठ नामांकित सदस्य थे।

मुख्य तथ्य

- **राम सकल सिंहः** उत्तर प्रदेश के राम सकल सिंह ने दलित समुदाय के कल्याण एवं बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक किसान नेता के रूप में उन्होंने किसानों, श्रमिकों के कल्याण के लिए भी काम किया। वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। राम सकल सिंह ने पहली बार वर्ष 1996 में राबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और उन्हें जीत हासिल हुई।
- **राकेश सिन्हाः** राकेश सिन्हा दिल्ली स्थित विचार समूह 'इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के संस्थापक और मानद निदेशक हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में मोतीलाल नेहरू कालेज में प्रोफेसर और भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान के सदस्य हैं।
- **सोनल मानसिंहः** सोनल मान सिंह प्रसिद्ध भरतनाट्यम तथा ओडिसी नृत्यांगना है और छह दशकों से इस क्षेत्र में योगदान दिया है। उन्होंने भरतनाट्यम का प्रशिक्षण प्रोफेसर यू. एस. कृष्ण राव और चंद्रभगा देवी से प्राप्त किया। उन्होंने अपने नृत्य के माध्यम से पर्यावरण की बचत, महिलाओं की मुक्ति जैसे मामले प्रदर्शित किए और इन सामाजिक मुद्दों पर नृत्य के माध्यम से अपनी चिंता व्यक्त की। सोनल मानसिंह को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें वर्ष 1992 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और वे सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली महिला हैं।
- **रघुनाथ महापात्रः** रघुनाथ महापात्र का पारंपरिक स्थापत्य और धरोहरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी के सौंदर्यीकरण कार्य में हिस्सा लिया। उनके प्रसिद्ध कार्यों में छह फुट लम्बे भगवान सूर्य की संसद के सेंट्रल हाल में स्थित प्रतिमा और पेरिस में बुद्ध मंदिर में लकड़ी से बने बुद्ध हैं। रघुनाथ महापात्रा पद्म विभूषण (2013), पद्म भूषण (2001), पद्म श्री (1975) से सम्मानित हो चुके हैं। उन्हें 22 साल की उम्र में 1964 में मूर्ति कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था।

क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, फिल्म अभिनेत्री रेखा, अनु आगा और के. पारासन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा की चार सीटें खाली थीं। राष्ट्रपति को 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। जिसमें सिनेमा, विज्ञान, खेल, कला आदि से जुड़े लोगों को शामिल किया जाता है। इसी अधिकार के तहत इन चार लोगों को मनोनीत किया गया है।

राज्य सभा

राज्य सभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। जिनमे 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें 'नामित सदस्य' कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमे एक-तिहाई सदस्य हर 2 साल में सेवा-निवृत होते हैं। किसी भी संघीय शासन में संघीय विधायिका का ऊपरी भाग संवैधानिक बाध्यता के चलते राज्य हितों की संघीय स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जाता है। इसी सिद्धांत के चलते राज्य सभा का गठन हुआ है। ■

2. विश्व युवा कौशल दिवस 2018

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15 जुलाई 2018 को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई 2015 को विश्व स्तर पर पहली बार विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। यह जीवन तथा कार्यों में युवा कौशल के महत्व के एजेंडे के साथ मनाया गया। यह विषय वर्ष 2030 के लिए आगामी सतत विकास लक्ष्यों के साथ सूचीबद्ध है।

उद्देश्य

इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को अधिक से अधिक कौशल विकास के प्रति जागरुक करना है ताकि वे बेहतर अवसरों को तलाश कर रोजगार प्राप्त कर सकें। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों

या युवाओं को अलग-अलग कौशल में प्रशिक्षित करना है।

संयुक्त राष्ट्र ने मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां विभिन्न देशों के युवा विज्ञान, कला और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल दिखाने वाले कार्यक्रम में भाग लेते हैं। भारत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई "कौशल भारत" अभियान के रूप में चिह्नित किया गया है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व के समस्त युवाओ में कौशल विकास के अवसर उत्पन्न करने हेतु अधिक से अधिक योजनाओ और नए कौशल पाठ्यक्रम को सरकारी नीतियों में लाना है, ताकि देश के युवाओ में कौशलता की अधिकाधिक बढोतरी की जा सके और रोजगार के अवसर को बढाया जा सके।

उल्लेखनिय है कि विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 नवम्बर 2014 को की गयी थी। महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की। सभी देशों से यह आग्रह किया गया कि वे अपने देश में युवाओं को कौशल विकास में सहायता प्रदान करें ताकि ये युवा आगे चलकर बेहतर राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकें। ■

3. भारत डब्ल्यूसीओ के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना

भारत जुलाई, 2018 से जून, 2020 तक दो वर्ष की अवधि के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बन गया है। डब्ल्यूसीओ ने अपनी सदस्यता को छह क्षेत्रों में विभाजित किया है। छह क्षेत्र में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व डब्ल्यूसीओ परिषद में क्षेत्रीय रूप से निर्वाचित उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूसीओ दुनिया भर में 182 सीमा शुल्क प्रशासकों का प्रतिनिधित्व करता है जो सामूहिक रूप से विश्व व्यापार के लगभग 98 प्रतिशत को संचालित करते हैं।

भारत के लिए महत्व

- डब्ल्यूसीओ के एशिया प्रशांत (एपी) क्षेत्र का उपाध्यक्ष बनना भारत को नेतृत्व की भूमिका में सक्षम बनाएगा। उपाध्यक्ष पद ग्रहण करने के अवसर पर 16 जुलाई, 2018 को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की साझीदारी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क (सीबीआईसी) द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 33 देशों के सीमा शुल्क शिष्टमंडल, भारत में विभिन्न बंदरगाहों के सीमा शुल्क अधिकारी, साझीदार सरकार एजेन्सियाँ तथा प्रतिनिधि भाग लेंगे। डब्ल्यूसीओ के महासचिव 'कुनियो मिकुरिया' ने संबोधित किया। समारोह की थीम था। 'सीमा शुल्क-व्यापार सुगमीकरण को प्रोत्साहन।'

विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ)

- विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में की गयी थी। यह एक अंतरसरकारी संगठन है। डब्ल्यूसीओ का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण विश्व में सीमा शुल्क प्रशासनों की प्रभावशीलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि लाना है। वर्ष 1947 में व्यापार एवं प्रशुल्कों पर सामान्य समझौता गैट, द्वारा पहचाने गए सीमा कर मामलों के परीक्षण हेतु 13 यूरोपीय देशों ने एक अध्ययन दल की स्थापना की।
- डब्ल्यूसीओ की सदस्यता निरंतर विश्व के सभी क्षेत्रों में पहुंच गई है। वर्ष 1994 में संगठन ने इसका वर्तमान नाम विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) अपनाया। आज, डब्ल्यूसीओ के सदस्य विश्व के 98 प्रतिशत से अधिक व्यापार के सीमाकर नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं। डब्ल्यूसीओ के उल्लेखनीय कार्य क्षेत्रों में शामिल हैं - वैश्विक मानकों का विकास, सीमावर्ती प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं हितकारी करना, व्यापार आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुसाध्य बनाना, सीमाकर प्रवर्तन और सम्बद्ध गतिविधियों में वृद्धि करना, नकल विरोधी कदम उठाना आदि। ■

4. आईएनएस तरंगिनी

आईएनएस तरंगिनी जहाज अपनी लोकायन-18 समुद्री यात्रा के दौरान सातवें बंदरगाह ब्रिटेन के सुंदरलैंड पहुंचा, जहां यह प्रतिष्ठित 'टॉल शिप रेसेस-2018' में शामिल होगा। यह जहाज भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसैनिक कमान के तहत कोच्चि आधारित पहले प्रशिक्षण दल का हिस्सा है।

तरंगिनी नाम

जहाज का यह तरंगिनी नाम हिन्दी शब्द तरंग से जुड़ा है, जिसका मतलब लहर होता है, इस तरह तरंगिनी का मतलब वह जो लहरों की सवारी करे।

लोकायन का मतलब

लोकायन संस्कृत शब्द 'लोक्या' मतलब पूरी दुनिया और 'यान' मतलब यात्रा शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ दुनिया की यात्रा करना है।

आईएनएस तरंगिनी

- आईएनएस तरंगिनी भारतीय नौसेना का वह पहला जहाज है, जो वर्ष 2003-04 में पूरी दुनिया का भ्रमण कर चुका है।
- यह वर्ष 2007, वर्ष 2011 और वर्ष 2015 में दुनिया भर में आयोजित टॉल शिप रेसेस में शामिल हो चुका है।
- अपनी 21 साल की सेवा में आईएनएस तरंगिनी लोकायन-18 के साथ एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है।
- तीन मस्तूलों वाला आईएनएस तरंगिनी को वर्ष 1997 में भारतीय नौसेना के लिए जहाज चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण ब्रिटेन के नेवल आर्किटेक्ट

कोलिन मुडी की डिजाइन के आधार पर गोवा में किया गया था।

आईएनएस तरंगिनी की 'लोकायन-18'

- आईएनएस तरंगिनी की 'लोकायन-18' की शुरूआत 10 अप्रैल 2018 को कोच्चि से हुई थी, जिसे 20 हजार नॉटिकल मिल की दूरी तय करनी है। यह समुद्री यात्रा सात महीने चलेगी और तरंगिनी 13 देशों के 15 बंदरगाहों पर भारतीय झंडा फहराने का सम्मान पाएगा। ■

5. धारा 377 की सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता के अपराधीकरण से जुड़ी धारा 377 पर सुनवाई के दौरान कहा है कि सहमति से समलैंगिक यौन रिश्तों को अपराध के दायरे से बाहर करते ही एलजीबीटीक्यू समुदाय कलंक मुक्त हो जाएगा और उसके प्रति सामाजिक भेदभाव खत्म हो जाएगा। बतौर सुप्रीम कोर्ट, एलजीबीटीक्यू समुदाय से भेदभाव ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाला है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा शामिल हैं। सरकार ने एकांत में परस्पर सहमति से वयस्कों के बीच कृत्यों से संबंधित धारा 377 की संवैधानिक वैधता की परख करने का मामला शीर्ष अदालत के विवेक पर छोड़ दिया था। सरकार ने कहा था कि समलैंगिक विवाह, गोद लेना और दूसरे नागरिक अधिकारों पर उसे विचार नहीं करना चाहिए।

एलजीबीटीक्यू समुदाय क्या है?

एलजीबीटीक्यू समुदाय के तहत लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंटर और क्वीयर आते हैं। एक अर्से से इस समुदाय की मांग है कि उन्हें उनका

हक दिया जाए और धारा 377 को अवैध ठहराया जाए। निजता का अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस समुदाय ने अपनी मांगों को फिर से तेज कर दिया था।

सुनवाई से संबंधित मुख्य तथ्य

- भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा ऐसे लोगों के साथ भेदभाव ने उनके मानसिक स्वास्थ पर भी प्रतिकूल असर डाला है।
- पीठ ने मानसिक स्वास्थ देखभाल कानून के प्रावधान का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें भी इस तथ्य को मान्यता दी गई है कि लैंगिक रुझान के आधार पर ऐसे व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से समलैंगिक समुदाय के साथ सामाजिक भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए कोर्ट से सिद्धांत तय करने की मांग की।
- कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका फैसला 'पब्लिक ओपिनियन' (समाज की अवधारणा) पर नहीं बल्कि कानून की वैधानिकता पर करेंगे।
- कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं रहेंगे तो इससे जुड़ा सामाजिक कलंक और भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह धारा 377 (समलैंगिकता) के सभी पहलुओं पर विचार करेगा। यह धारा अप्राकृतिक यौनाचार को दंडनीय घोषित करती है।

आईपीसी धारा 377

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में समलैंगिकता को अपराध बताया गया है। आईपीसी की धारा 377 के मुताबिक जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ यौन संबंध बनाता है तो इस अपराध के लिए उसे 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और यह गैर जमानती है। ■

6. डिमांड ड्राफ्ट बनवाने हेतु आरबीआई के नए नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 12 जुलाई 2018 को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाने के नियमों में बदलाव किए हैं। नये नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति डिमांड ड्राफ्ट बनवाता है तो उस पर अब उसका भी नाम दर्ज होगा। अभी तक डिमांड ड्राफ्ट पर सिर्फ उसी व्यक्ति का नाम होता था, जिसके खाते में पैसा जाता था।

डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) क्या है?

डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) लेन देन के लिए उपयोग किया जाने वाले माध्यमो में से एक माध्यम है जिसका उपयोग भुगतान के लिए किया जा सकता है डिमांड ड्राफ्ट कैशलेस ट्रांजैक्शन का एक जरिया है। बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस शख्स या कंपनी के नाम पर इसे बनवाया जाता है, रकम उसी के खाते में जाती है।

क्या है आरबीआई का नया नियम?

- बैंक की शाखा से डिमांड ड्राफ्ट की खरीद करने वाले व्यक्ति का नाम भी डीडी पर लिखा होगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक डीडी में सिर्फ उस संस्था या व्यक्ति के नाम का ही जिक्र किया जाता है, जिसे भुगतान किया जाता है।
- आरबीआई की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डिमांड ड्राफ्ट की खरीद करने वाले व्यक्ति का नाम उजागर न होने के चलते पैदा होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
- डीडी जमा कराने वाले का नाम न होने से इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा सकता है इसके चलते अब आरबीआई ने फैसला लिया है कि डीडी के अगले हिस्से पर खरीददार के नाम का भी जिक्र किया जाए।
- डीडी के अलावा पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर भी यह नियम लागू होगा।
- आरबीआई की ओर से दिया गया यह आदेश 15 सितंबर 2018 से लागू होगा।

केंद्रीय बैंक ने इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम कसने के मकसद से कई फैसले लिए हैं। आरबीआई ने पहले ही 50,000 रुपये से अधिक के डिमांड ड्राफ्ट की राशि को कस्टमर के अकाउंट या फिर चेक के अगेंस्ट ही जारी करने का आदेश दिया था। कैश पेमेंट से डिमांड ड्राफ्ट बनाए जाने पर रोक लग चुकी है। ■

7. हिमा दास ने 400 मीटर दौड़ में रचा इतिहास

भारतीय तेज धाविका हिमा दास ने 12 जुलाई 2018 को इतिहास रचा। उन्होंने आईएएएफ वर्ल्ड अंडर-20 ऐथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। वह ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वालीं पहली भारतीय एथलीट हैं। हिमा दास से पहले भारत की कोई महिला या पुरुष खिलाड़ी जूनियर या सीनियर किसी भी स्तर पर विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण या कोई मेडल नहीं जीत सका था।

मुख्य बिंदु

- चौथे नंबर की लेन में दौड़ रही हिमा दास अंतिम राउंड में रोमानिया की आंद्रिया मिकलोस से पिछड़ रही थी लेकिन फिनिश लाइन के नजदीक आकर उन्होंने तेजी दिखाते हुए पहला स्थान हासिल किया।
- अठारह वर्षीय दास ने 51.46 सेकंड का समय निकालकर शीर्ष स्थान हासिल की।
- उन्होंने सेमीफाइनल में भी 52.10 सेकंड का समय निकालकर टॉप किया था। पहले राउंड में उन्होंने 52.25 सेकंड का रेकॉर्ड समय निकाला था।
- हिमा हालांकि 51.13 सेकेंड के अपने निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से पीछे रही।
- मिकलोस ने 52.07 सेकेंड के साथ रजत पदक हासिल किया जबकि अमेरिका की टेलर मेनसन ने 52.28 सेकेंड के साथ कांस्य पदक जीता।

स्मरणीय तथ्य

आईएएएफ में स्वर्ण पदक जीतकर हिमा, भाला फेंक के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की सूची में शामिल हो गई जिन्होंने 2016 में विश्व रिकार्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए इससे पहले सीमा पूनिया (2002 में चक्का फेंक में कांस्य) और नवजीत कौर ढिल्लो (2014 में चक्का फेंक में कांस्य) पदक जीत चुके हैं।

हिमा दास के बारे में

- 18 वर्षीय हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के नोगांव में हुआ।
- उन्होंने स्थानीय विद्यालय से ही स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उनके पिता किसान हैं।
- हिमा दास ने आईएएएफ में स्वर्ण पदक जीतने से केवल 18 माह पहले ही जिला स्तर पर दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लेना आरंभ किया था।
- हिमा ने स्थानीय लड़कों के साथ फुटबॉल, किक बॉल आदि खेलना आरंभ किया था।
- हिमा को एक जिला प्रतियोगिता में दौड़ते हुए देखने पर उनके वर्तमान कोच निपोन ने उन्हें एथलेटिक्स में प्रशिक्षित किया। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

फ्रांस को सातवें पायदान पर पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व बैंक के 2017 के वर्तमान आँकड़ों के मुताबिक, भारत की GDP (सकल घरेलू उत्पाद) पिछले साल के आखिर में 2.597 ट्रिलियन डॉलर थी जबकि फ्रांस की 2.582 ट्रिलियन डॉलर।

पिछले कई तिमाहियों की धीमी विकास के बाद भारत की अर्थव्यवस्था जुलाई 2017 से फिर से मजबूत होने लगी। भारत की आबादी इस समय 1 अरब 34 करोड़ है और यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला मुल्क बनने की दिशा में अग्रसर है। फ्रांस की आबादी 6 करोड़ 7 लाख है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत फ्रांस से कई गुना पीछे है। नोटबंदी और जीएसटी (माल एवं सेवा कर) के कारण दिखे ठहराव के बाद पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग और उपभोक्ता खर्च में आई तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के प्रमुख कारक रहे है। एक दशक में भारत की जीडीपी दोगुनी हो चुकी है और संभावना जताई जा रही है कि चीन की रफ्तार धीमी पड़ सकती है जिससे भारत एशिया का प्रमुख आर्थिक ताकत के तौर पर उभर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, इस साल भारत की विकास दर 7.4 फीसदी रह सकती है तथा कर सुधार एवं घरेलू खर्चे के चलते 2019 में भारत की विकास दर 7.8 फीसदी पहुंच सकती है। वहीं, दुनिया की औसत विकास दर के 3.9 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है। लंदन स्थित कंसल्टेंसी फर्म 'सेंटर फॉर इकनॉमिक्स ऐंड बिजनस रिसर्च' के अनुसार GDP के लिहाज से भारत ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को पीछे छोड़ देगा। यही नहीं, 2032 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यव्था बनने की भी संभावना जताई गई है। 2017 के आखिर में ब्रिटेन 2.622 ट्रिलियन की GDP के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। इस समय अमेरिका दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था है, उसके बाद चीन, जापान और जर्मनी का स्थान है। ■

2. डोनाल्ड ट्रम्प और व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर बैठक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच 16 जुलाई 2018 को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में ऐतिहासिक शिखर वार्ता आयोजित की गयी। इस शिखर वार्ता में ट्रंप ने रूस के साथ "असाधारण संबंधों" का वादा किया, वहीं पुतिन ने कहा कि दुनिया भर में विवादों का हल समय की जरूरत है। बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दोनों नेताओं ने पुरानी कड़वाहट भुलाकर नए सिरे से रिश्ते बनाने की बात कही। दोनों ने दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच जारी तनाव कम होने की उम्मीद भी जताई।

संयुक्त वक्तव्य

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे पास अब बात करने के लिए बहुत सी अच्छी चीजें हैं। हमारे बीच व्यापार, सेना, मिसाइल, परमाणु हथियार, चीन जैसे कई मुद्दों पर बात हो चुकी है। अमेरिका की गलतियों की वजह से दोनों देशों के बीच लंबे समय तक कड़वाहट रही। मुझे लगता है कि इस बातचीत के जरिये अब दोनों देशों के बीच असाधारण रिश्ते बनेंगे। रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप से बातचीत को सफल और फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि शीतयुद्ध अब अतीत की बात हो गई है। ट्रंप और मुझे उम्मीद है कि अब हम एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।

बैठक के मुख्य बिंदु

- डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन के साथ शिखर बैठक में 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने के आरोप में रूस को पूरी तरह क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा, रूस पर शक करने की कोई वजह नहीं है।
- डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हमारे पास विश्व का 90 प्रतिशत परमाणु हथियार है और यह एक अच्छी चीज नहीं है।
- ट्रम्प ने कहा कि सीरिया की समस्या हमारे बीच जटिल मुद्दा था। दोनों देशों में सहयोग हजारों जानें बचाने की क्षमता रखता है।
- अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि आईएसआईएस के खिलाफ उनके अभियान का श्रेय ईरान को नहीं लेने दिया जाएगा।

हेलंसिकी में बैठक क्यों?

डोनाल्ड ट्रम्प और ब्लादिमीर पुतिन के मध्य फिनलैंड की राजधानी हेलंसिकी के प्रेजिडेंशल पैलेस में बैठक आयोजित की गई। फिनलैंड में यह बैठक इसलिए आयोजित की गई क्योंकि फिनलैंड नाटो का सदस्य नहीं है। रूस द्वारा नाटो देशों के साथ तनातनी के चलते हेलसिंकी को उपयुक्त माना गया। वर्ष 1995 में फिनलैंड यूरोपिय संघ में शामिल हुआ था, पर सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बना था। इसलिए दोनों देशों के लिए हेलसिंकी एक निष्पक्ष जगह है। विमान यात्रा द्वारा मॉस्को से हेलसिंकी महज दो घंटे में पहुंचा जा सकता है।

डोनाल्ड ट्रम्प और व्लादिमीर पुतिन के मध्य हुई इस ऐतिहासिक शिखर बैठक से अमेरिका और रूस के संबंध अवश्य सुधर सकते हैं लेकिन इससे भारत-रूस-चीन गठबंधन कमजोर हो सकता है। दोनों देशों की बैठक के बाद विशेषज्ञों द्वारा जारी विश्लेषणों में कहा गया कि इस गठबंधन के मजबूत होने से दक्षिण एशिया में अमेरिका के वर्चस्व में कमी आ सकती है जिसके चलते अमेरिकी कूटनीति के तहत यह बैठक आयोजित की गई। रूस के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी यह बैठक अहम मानी जा रही है। ■

3. मानव इतिहास का पहला रंगीन एक्सरे

परमाणु अनुसंधान के सबसे बड़े संस्थान सर्न (सेंटर फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च) एक्सरे प्रौद्योगिकी में सहयोग करने वाली तबीआती लैब के अनुसार न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने मानव इतिहास में पहली बार थ्री डी, रंगीन एक्सरे बनाए हैं। वैज्ञानिकों ने रंगीन एक्सरे के लिए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जो चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। नई तकनीक को न्यूजीलैंड की कंपनी 'मार्स जैव इमेजिंग ने तैयार किया है जिसमें इंग्लैंड की कैंटरबरी विश्वविद्यालय और ओटागो के न्यूजीलैंड विश्वविद्यालय ने समर्थन प्रदान किया है।

सर्न ने इस तकनीक को 'डब्ड मैडीपिक्स' नाम दिया गया है जो बिल्कुल कैमरे की तरह काम करती है। होता यूं है कि शरीर में मांस और हड्डियों के विभिन्न मोटाई और परिमाण के कारण एक्सरे कहीं हल्का और कहीं गहरा दिखाई देता है। डेटा (स्पेक्ट्रल) के सात रंगों में प्रौद्योगिकी (एक्स-रे) प्राप्त डेटा बदलता है। बाद में एक एल्गोरिथ्म (सॉफ्टवेयर) इस डेटा के आधार पर रंगीन थ्रीडी छवि अंग या हड्डी एक्सरे से पता चलता है।

हालांकि इस उपकरण में पारंपरिक काले और सफेद एक्सरे का ही प्रयोग किया जाता है लेकिन इसे रंगीन बनाने के लिए कणों (पारटिकल्स) के पहचान की उस तकनीक का उपयोग किया गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु विरोधी मशीन सरन में इस्तेमाल हुई है। कैंटरबरी विश्वविद्यालय के डेवलपर 'फिल बैटलर' का मानना है कि छोटे पिक्सल और सटीक रिजॉल्यूशन की मदद से, इस मशीन का नया इमेज डिवाइस उन तस्वीरों को भी ले सकता है जिन्हें दुनिया की कोई अन्य छवि में नहीं मिल सकती है।

सेंटर फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च के अनुसार यह तस्वीरें न केवल हड्डी, मांसपेशियों, उपास्थि (जैसे कान की नरम हड्डी) के बीच अंतर स्पष्ट करती है बल्कि इसके माध्यम से कैंसर अपोस्टोलिक स्थान और परिमाण का भी सही अनुमान लगाया जा सकता है। ■

4. भारत ईबीआरडी का 69वां शेयरधारक बना

भारत औपचारिक रूप से 11 जुलाई 2018 को यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी) का 69वां शेयरधारक बन गया है। इससे बैंक के संचालन क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के साथ और अधिक संयुक्त निवेश का रास्ता साफ हो गया है।

मुख्य तथ्य

- भारत सरकार ने दिसंबर 2017 में ईबीआरडी सदस्यता के लिए आवेदन किया था।
- सदस्यता के नेतृत्व में, ईबीआरडी ने जून 2018 में मुंबई में अपना उद्घाटन व्यापार मंच आयोजित किया।
- यह ईबीआरडी के कार्य क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त निवेश में वृद्धि करेगा।

प्रभाव

ईबीआरडी की सदस्यता से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में और अधिक निखार आएगा तथा इसके आर्थिक हितों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ईबीआरडी के संचालन वाले देशों तथा उसके क्षेत्र ज्ञान तक भारत की पहुंच निवेश तथा अवसरों को बढ़ाएगी।

भारत के निवेश अवसरों में बढ़ोत्तरी होगी। इस सदस्याता से विनिर्माण, सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा में सह-वित्तरपोषण अवसरों के जरिए भारत और ईबीआरडी के बीच सहयोग के अवसर बढेंगे। ईबीआरडी के महत्वतपूर्ण कार्यों में अपने संचालन के देशों में निजी क्षेत्र का विकास करना शामिल है।

इस सदस्यता से भारत को निजी क्षेत्र के विकास को लाभान्वित करने के लिए बैंक की तकनीकी सहायता तथा क्षेत्रीय ज्ञान से मदद मिलेगी। इससे देश में निवेश का माहौल बनाने में योगदान मिलेगा। ईबीआरडी की सदस्यता से भारतीय फर्मों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ेगी और व्यापार के अवसरों, खरीद कार्यकलापों, परामर्श कार्यों आदि में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनकी पहुँच बढ़ेगी। इससे एक ओर तो भारतीय पेशेवरों के लिए नए क्षेत्र खुलेंगे और दूसरी ओर भारतीय निर्यातकों को भी लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से रोजगार सृजन क्षमता में विस्तार होगा।इससे भारतीय नागरिक भी इस बैंक में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

European Bank for Reconstruction and Development

यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी)

ईबीआरडी एक बहुपक्षीय विकास निवेश बैंक है। जर्मनी के एकीकरण के बाद यूरोप में निजी उद्यमशीलता अभियान को बढ़ावा देने के लिए 1991 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। बैंक का मुख्यालय लंदन में है। यह बैंक 38 उभरती हुई अर्थव्यस्थाओं में निवेश करता है। यह पहले पूर्व साम्यवादी राज्यों को शीत युद्ध के बाद अपनी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने में सहायता करता था। बाद में 30 से अधिक देशों में मध्य यूरोप से मध्य एशिया तक विकास से जुडी सहायता करने के लिए इसका विस्तार किया गया। यह उन देशों में ही काम करता है जो बाजार अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के लिए उपकरण के रूप में निवेश का उपयोग करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए काम करते हैं। ■

5. श्रीलंका में ड्रग्स संबंधी अपराधों हेतु मृत्युदंड

श्रीलंका सरकार ने ड्रग्स की तस्करी एवं ड्रग्स से जुड़े अपराध करने वालों के लिए मृत्युदंड को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही करीब 40 साल बाद देश में फिर से मृत्युदंड की बहाली का रास्ता खुल गया है। भारत में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी हाल ही में राज्य में ड्रग्स तस्करी के मामलों में फांसी की सजा को मंजूरी प्रदान की है।

कारण

कैबिनेट मंत्री गामिनी जयविक्रम परेरा ने मीडिया को बताया कि "राष्ट्रपति मैत्रिपाल सिरिसेना ने हाल में कहा था कि गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए उन पर सजा-ए-मौत का प्रावधान

फिर से बहाल करने का दवाब है। ड्रग्स की तस्करी के जुर्म में सजा काट रहे अपराधी जेल के अंदर से भी अपना कारोबार चला रहे हैं। हम उन्हें जेल में बैठकर देश को बर्बाद करने की साजिश रचने के लिए नहीं छोड़ सकते। इसी वजह से सजा-ए-मौत देने का प्रस्ताव लाया गया जिस पर कैबिनेट ने सर्वसम्मति से मुहर लगा दी है।"

श्रीलंका में मृत्युदंड

श्रीलंका में वर्ष 1978 से ही फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई थी। इससे पहले श्रीलंका में 19 ड्रग्स अपराधियों को सजा दी गई थी लेकिन उनकी सजा कम हो गई थी। अब यह स्पष्ट नहीं है कि नई नीति के तहत इन्हें उम्रकैद दी जाएगी या मृत्युदंड।

राष्ट्रपति रोद्रिग दुतुरते द्वारा दो वर्ष पूर्व ड्रग्स पदार्थों के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ा गया था जिसके परिणामस्वरूप अब तक लगभग 4500 लोग मारे जा चुके हैं। राष्ट्रपति द्वारा ड्रग्स तस्करों से निपटने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए कहा गया था जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी की जा रही है। ■

6. विश्व जनसंख्या दिवसः 2018

प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसे मनाये जाने का उद्देश्य लोगों के बीच जनसंख्या से जुड़े तमाम मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है। इसमें लिंग भेद, लिंग समानता, परिवार नियोजन इत्यादि मुद्दे तो शामिल हैं ही, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य इसके माध्यम से महिलाओं के गर्भधारण सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूक करना है।

जनसंख्या दिवस का विषय

वर्ष 2018 का विश्व जनसँख्या दिवस इस मामले में और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार इसका विषय "परिवार नियोजन: एक मानवाधिकार" पर केंद्रित है। वर्ष 2018 के लिए "परिवार नियोजन: एक मानवाधिकार" विषय को चुने जाने का भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि यह परिवार नियोजन को पहली बार मानवाधिकार का दर्जा देने वाली तेहरान घोषणा की 50वीं वर्षगांठ का वर्ष है।

पहली बार 1968 में "मानवाधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन" में परिवार नियोजन को भी एक मानवाधिकार माना गया और अभिभावकों को बच्चों की संख्या चुनने का अधिकार दिया गया।

भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों?

भारत के लिए विश्व जनसंख्या दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व की साढ़े सात अरब

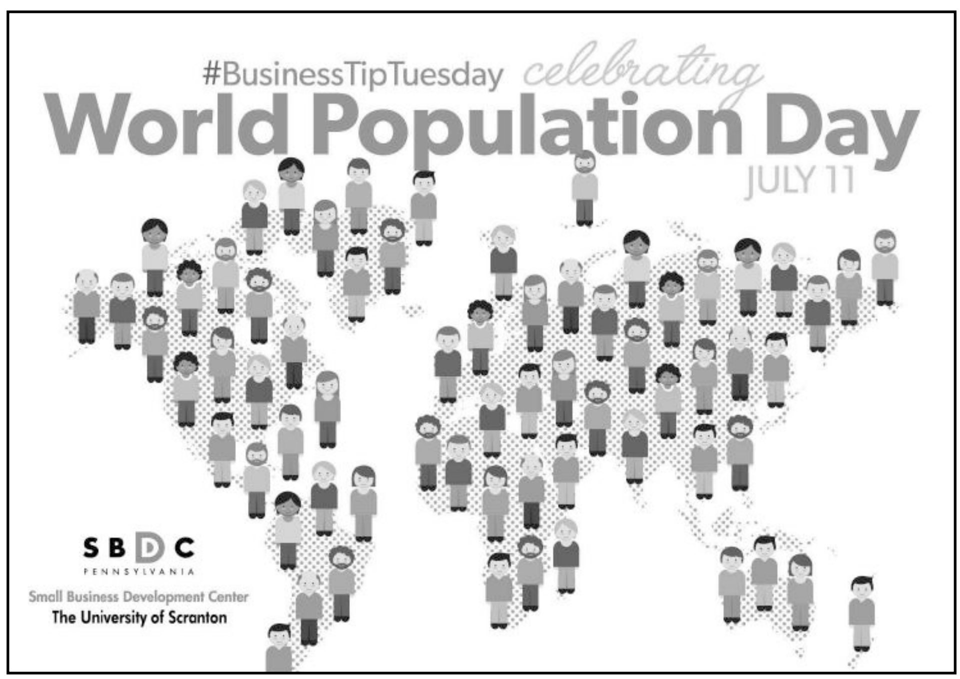

आबादी में से लगभग 130 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। जब विश्व की आबादी पांच अरब हो गई तो विश्व बैंक में कार्यरत डॉ. के. सी. जकारिया ने यह दिवस मनाने का सुझाव दिया। भारत की जनसंख्या वृद्धि की उचित तरीके से बढ़ोतरी हेतु यह दिवस भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की गवर्निंग काउंसिल द्वारा पहली बार 1989 में विश्व आबादी का आंकड़ा पांच बिलियन पर पहुंचने पर की गई। संयुक्त राष्ट्र की गवर्निंग काउंसिल के फैसले के अनुसार, वर्ष 1989 में विकास कार्यक्रम में, विश्व स्तर पर समुदाय की सिफारिश के द्वारा यह तय किया गया कि हर साल 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

- क्रोएशिआ के जाग्रेब के 'माटेज गास्पर' को दुनिया का पांच अरबवाँ व्यक्ति माना गया। गौरतलब है कि पहले इसे "फाइव बिलियन डे" माना गया लेकिन बाद में यूएनडीपी ने इसे विश्व जनसँख्या दिवस घोषित कर दिया। ■

7. चीन ने पाकिस्तान के लिए 2 सैटेलाइट लॉन्च किए

भारत पर नजर रखने के इरादे से चीन ने पाकिस्तान के लिए दो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ये सैटेलाइट चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर नजर रखने में भी मददगार साबित होंगे।

मुख्य तथ्य

1. चीन ने भारत पर नजर रखने को पाक के लिए दो उपग्रह लॉन्च किए।
2. यह चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर नजर रखने में भी मददगार साबित होगा।
3. पीआरएसएस-1 पाक को बेचा गया चीन का पहला ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है।

तकरीबन 19 साल के दौरान 'लॉन्ग मार्च-2 सी' रॉकेट का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रक्षेपण है। सैटेलाइट पीआरएसएस-1 और पाकटीईएस-1 ए को पश्चिमोत्तर चीन में जिउकान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से सुबह 11 बजकर 56 मिनट पर प्रक्षेपित किया गया।

पीआरएसएस-1 पाकिस्तान को बेचा गया चीन का पहला ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है और किसी विदेशी खरीदार के लिए चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (सीएएसटी) द्वारा विकसित 17वां सैटेलाइट है। पाकिस्तान द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रयोग उपग्रह पाकटीईएस-1 ए को उसी रॉकेट से उसकी कक्षा में भेजा गया। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सैटेलाइट पाकिस्तान को भारत पर नजर रखने में भी मदद करेगा।

- सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2011 में संचार उपग्रह पाकसैट-1 आर के प्रक्षेपण के बाद से चीन एवं पाकिस्तान के बीच एक और अंतरिक्ष सहयोग हुआ है। पीआरएसएस-1 का इस्तेमाल जमीन एवं संसाधन के सर्वेक्षण, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, कृषि अनुसंधान, शहरी निर्माण और सीमा एवं सड़क क्षेत्र के लिए रिमोट सेंसिंग सूचना उपलब्ध कराने के लिए किया जायेगा। पीआरएसएस-1 सैटेलाइट दिन और रात दोनों में मॉनिटरिंग करने में सक्षम है। यह प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 279वां अभियान और करीब दो दशक के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रक्षेपण है। 1999 में इसने मोटोरोला के इरिडियम उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

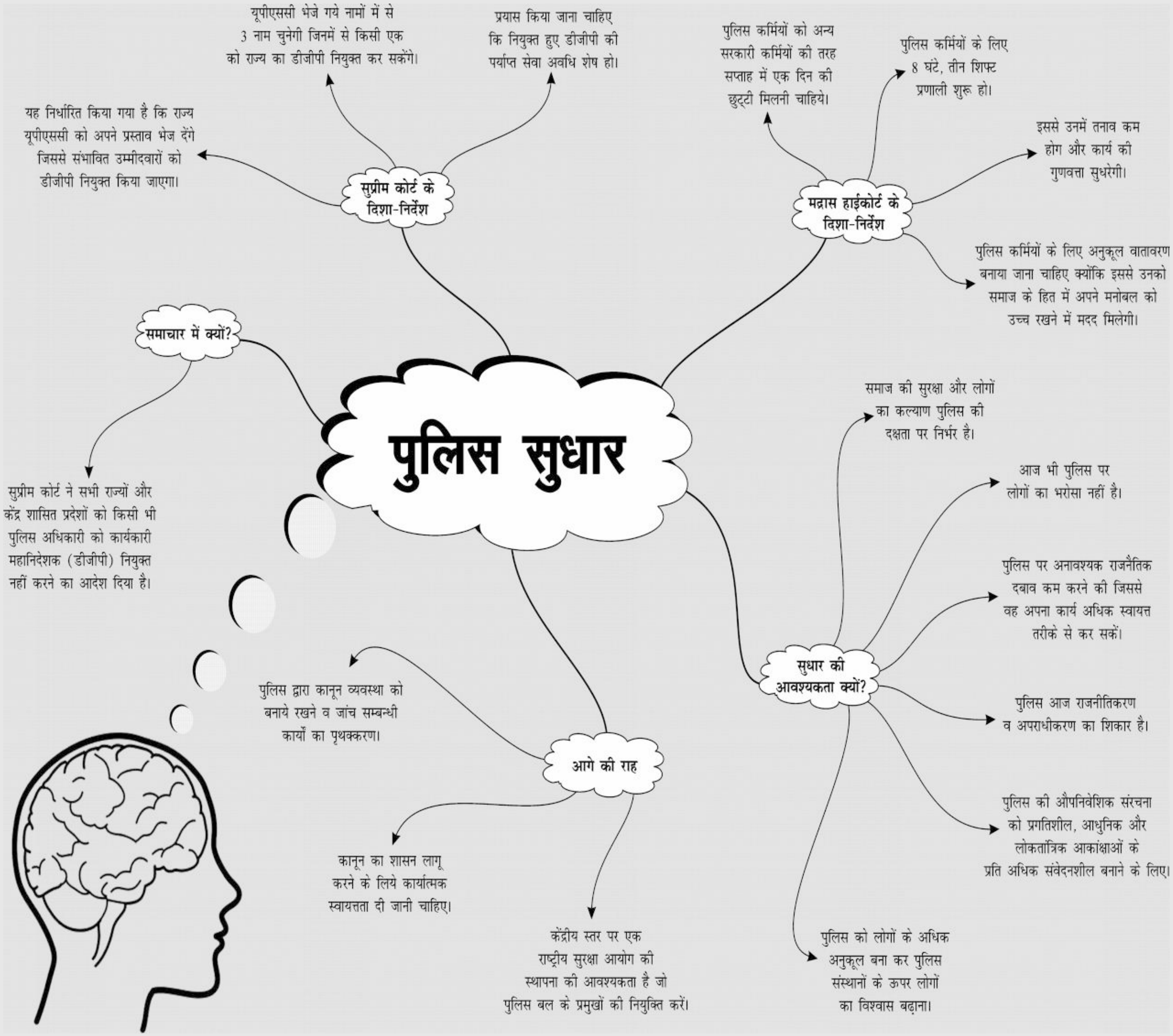

पुलिस सुधार
समाचार में क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यकारी महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त नहीं करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश
यह निर्धारित किया गया है कि राज्य यूपीएससी को अपने प्रस्ताव भेज देंगे जिससे संभावित उम्मीदवारों को डीजीपी नियुक्त किया जाएगा।
यूपीएससी भेजे गये नामों में से 3 नाम चुनेगी जिनमें से किसी एक को राज्य का डीजीपी नियुक्त कर सकेंगे।
प्रयास किया जाना चाहिए कि नियुक्त हुए डीजीपी की पर्याप्त सेवा अवधि शेष हो।
मद्रास हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश
पुलिस कर्मियों को अन्य सरकारी कर्मियों की तरह सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिये।
पुलिस कर्मियों के लिए 8 घंटे, तीन शिफ्ट प्रणाली शुरू हो।
इससे उनमें तनाव कम होग और कार्य की गुणवत्ता सुधरेगी।
पुलिस कर्मियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाना चाहिए क्योंकि इससे उनको समाज के हित में अपने मनोबल को उच्च रखने में मदद मिलेगी।
सुधार की आवश्यकता क्यों?
समाज की सुरक्षा और लोगों का कल्याण पुलिस की दक्षता पर निर्भर है।
आज भी पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं है।
पुलिस पर अनावश्यक राजनैतिक दबाव कम करने की जिससे वह अपना कार्य अधिक स्वायत्त तरीके से कर सकें।
पुलिस आज राजनीतिकरण व अपराधीकरण का शिकार है।
पुलिस की औपनिवेशिक संरचना को प्रगतिशील, आधुनिक और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए।
पुलिस को लोगों के अधिक अनुकूल बना कर पुलिस संस्थानों के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ाना।
आगे की राह
पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था को बनाये रखने व जांच सम्बन्धी कार्यों का पृथक्करण।
कानून का शासन लागू करने के लिये कार्यात्मक स्वायत्तता दी जानी चाहिए।
केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना की आवश्यकता है जो पुलिस बल के प्रमुखों की नियुक्ति करें।

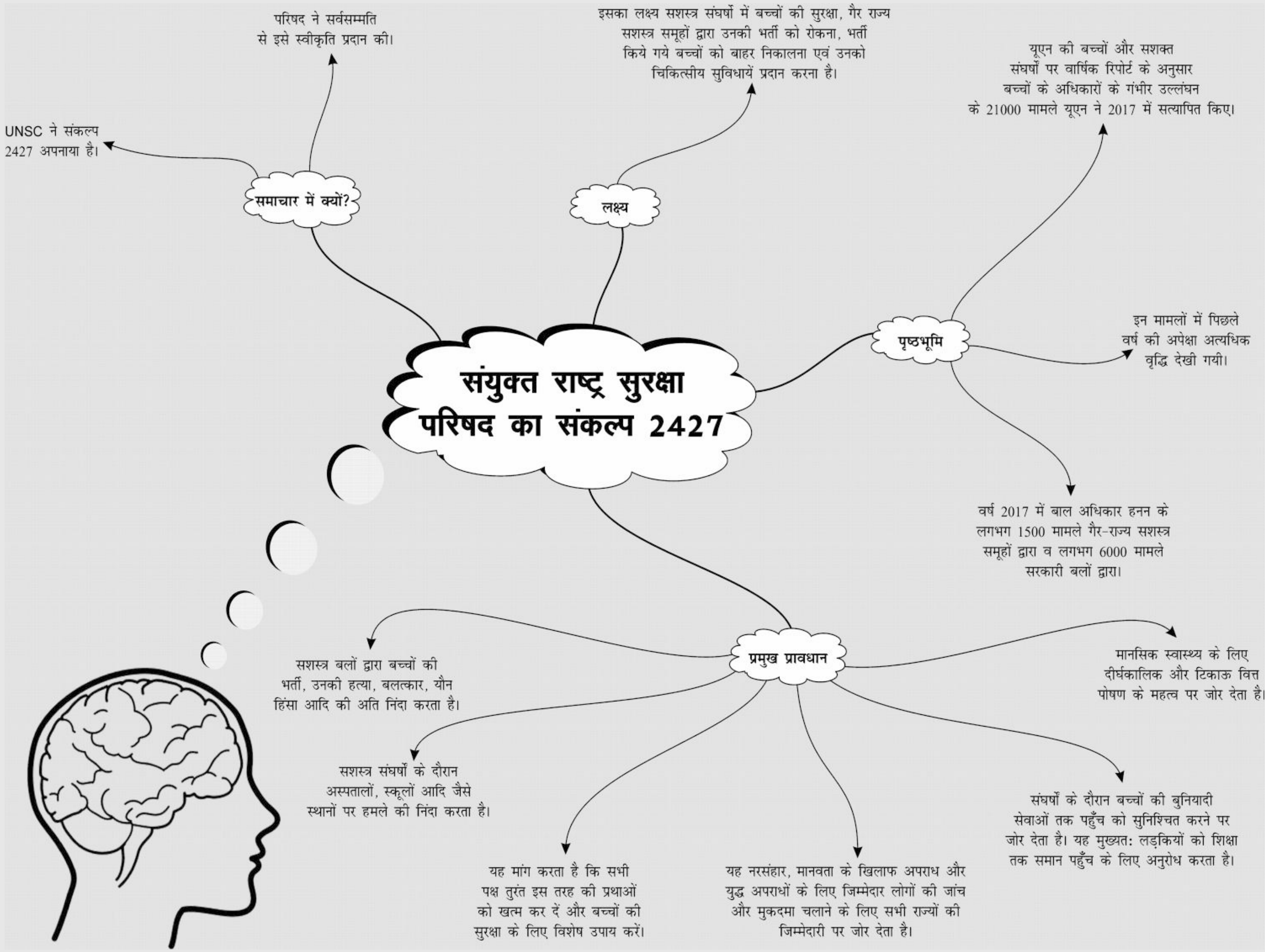
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 2427
समाचार में क्यों?
UNSC ने संकल्प 2427 अपनाया है।
परिषद ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकृति प्रदान की।
लक्ष्य
इसका लक्ष्य सशस्त्र संघर्षों में बच्चों की सुरक्षा, गैर राज्य सशस्त्र समूहों द्वारा उनकी भर्ती को रोकना, भर्ती किये गये बच्चों को बाहर निकालना एवं उनको चिकित्सीय सुविधायें प्रदान करना है।
पृष्ठभूमि
यूएन की बच्चों और सशक्त संघर्षों पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के 21000 मामले यूएन ने 2017 में सत्यापित किए।
इन मामलों में पिछले वर्ष की अपेक्षा अत्यधिक वृद्धि देखी गयी।
वर्ष 2017 में बाल अधिकार हनन के लगभग 1500 मामले गैर-राज्य सशस्त्र समूहों द्वारा व लगभग 6000 मामले सरकारी बलों द्वारा।
प्रमुख प्रावधान
सशस्त्र बलों द्वारा बच्चों की भर्ती, उनकी हत्या, बलत्कार, यौन हिंसा आदि की अति निंदा करता है।
सशस्त्र संघर्षों के दौरान अस्पतालों, स्कूलों आदि जैसे स्थानों पर हमले की निंदा करता है।
यह मांग करता है कि सभी पक्ष तुरंत इस तरह की प्रथाओं को खत्म कर दें और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय करें।
यह नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए सभी राज्यों की जिम्मेदारी पर जोर देता है।
संघर्षों के दौरान बच्चों की बुनियादी सेवाओं तक पहुँच को सुनिश्चित करने पर जोर देता है। यह मुख्यत: लड़कियों को शिक्षा तक समान पहुँच के लिए अनुरोध करता है।
मानसिक स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालिक और टिकाऊ वित्त पोषण के महत्व पर जोर देता है।

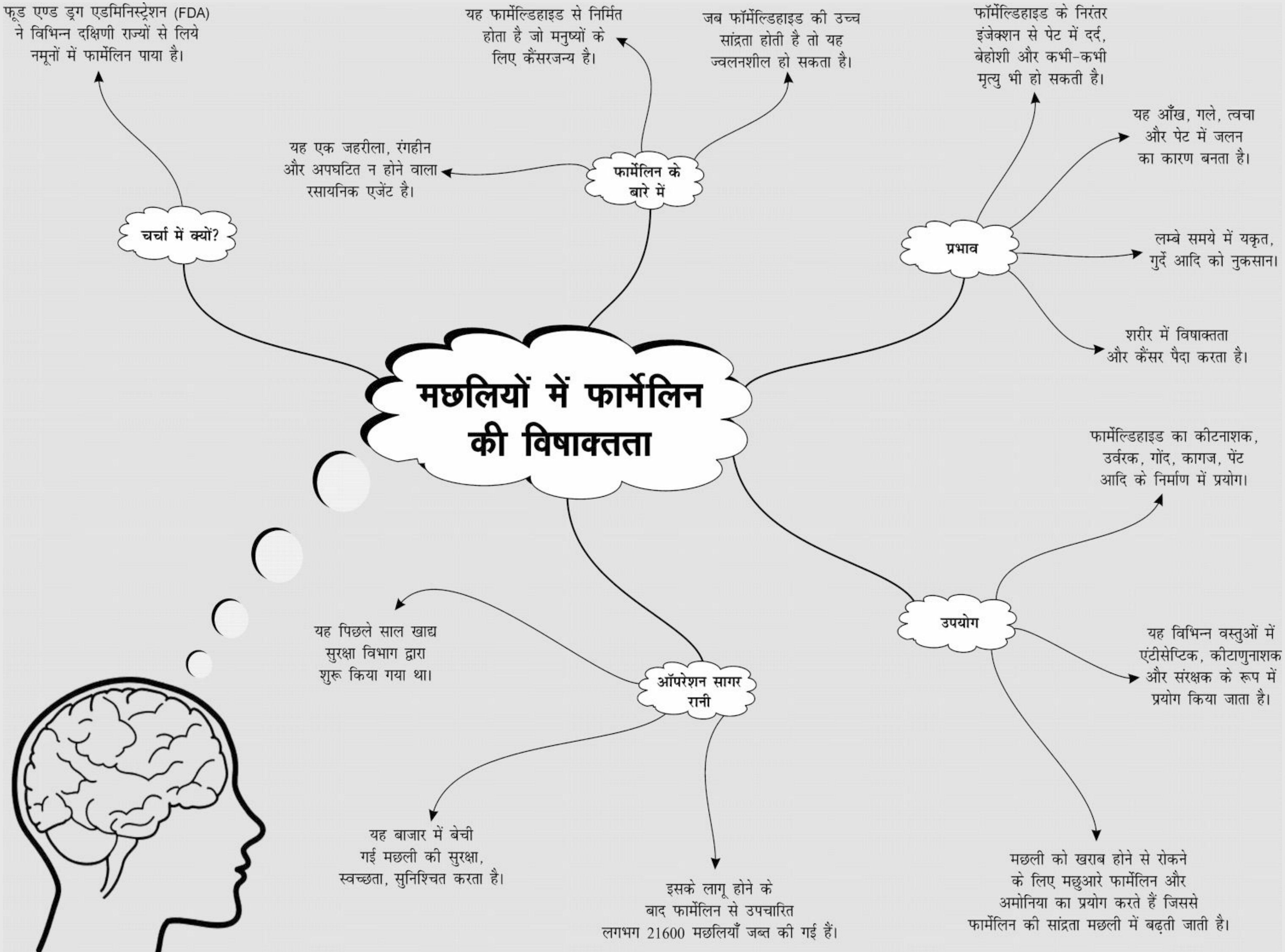
मछलियों में फार्मेलिन की विषाक्तता
चर्चा में क्यों?
फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने विभिन्न दक्षिणी राज्यों से लिये नमूनों में फार्मेलिन पाया है।
फार्मेलिन के बारे में
यह एक जहरीला, रंगहीन और अपघटित न होने वाला रसायनिक एजेंट है।
यह फार्मेल्डिहाइड से निर्मित होता है जो मनुष्यों के लिए कैंसरजन्य है।
जब फॉर्मेल्डिहाइड की उच्च सांद्रता होती है तो यह ज्वलनशील हो सकता है।
प्रभाव
फॉर्मेल्डिहाइड के निरंतर इंजेक्शन से पेट में दर्द, बेहोशी और कभी-कभी मृत्यु भी हो सकती है।
यह आँख, गले, त्वचा और पेट में जलन का कारण बनता है।
लम्बे समये में यकृत, गुर्दे आदि को नुकसान।
शरीर में विषाक्तता और कैंसर पैदा करता है।
उपयोग
फार्मेल्डिहाइड का कीटनाशक, उर्वरक, गोंद, कागज, पेंट आदि के निर्माण में प्रयोग।
यह विभिन्न वस्तुओं में एंटीसेप्टिक, कीटाणुनाशक और संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
मछली को खराब होने से रोकने के लिए मछुआरे फार्मेलिन और अमोनिया का प्रयोग करते हैं जिससे फार्मेलिन की सांद्रता मछली में बढ़ती जाती है।
ऑपरेशन सागर रानी
यह पिछले साल खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया था।
यह बाजार में बेची गई मछली की सुरक्षा, स्वच्छता, सुनिश्चित करता है।
इसके लागू होने के बाद फार्मेलिन से उपचारित लगभग 21600 मछलियाँ जब्त की गई हैं।

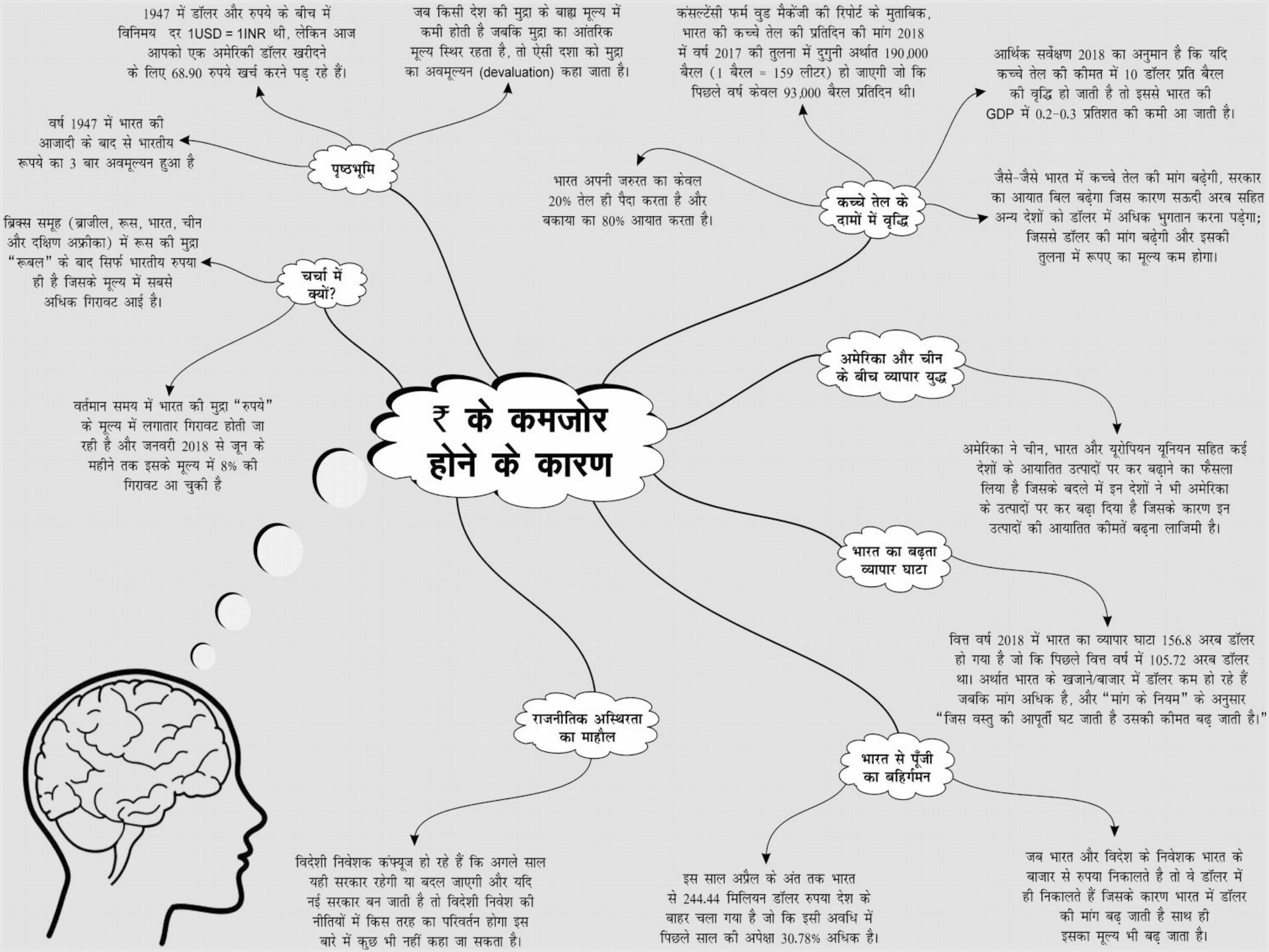
₹ के कमजोर होने के कारण
पृष्ठभूमि
1947 में डॉलर और रुपये के बीच में विनिमय दर 1USD = 1INR थी, लेकिन आज आपको एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 68.90 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।
जब किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी होती है जबकि मुद्रा का आंतरिक मूल्य स्थिर रहता है, तो ऐसी दशा को मुद्रा का अवमूल्यन (devaluation) कहा जाता है।
वर्ष 1947 में भारत की आजादी के बाद से भारतीय रूपये का 3 बार अवमूल्यन हुआ है
चर्चा में क्यों?
ब्रिक्स समूह (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) में रूस की मुद्रा "रूबल" के बाद सिर्फ भारतीय रुपया ही है जिसके मूल्य में सबसे अधिक गिरावट आई है।
वर्तमान समय में भारत की मुद्रा "रुपये" के मूल्य में लगातार गिरावट होती जा रही है और जनवरी 2018 से जून के महीने तक इसके मूल्य में 8% की गिरावट आ चुकी है
कच्चे तेल के दामों में वृद्धि
कंसल्टेंसी फर्म वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की कच्चे तेल की प्रतिदिन की मांग 2018 में वर्ष 2017 की तुलना में दुगुनी अर्थात 190,000 बैरल (1 बैरल = 159 लीटर) हो जाएगी जो कि पिछले वर्ष केवल 93,000 बैरल प्रतिदिन थी।
भारत अपनी जरुरत का केवल 20% तेल ही पैदा करता है और बकाया का 80% आयात करता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2018 का अनुमान है कि यदि कच्चे तेल की कीमत में 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि हो जाती है तो इससे भारत की GDP में 0.2-0.3 प्रतिशत की कमी आ जाती है।
जैसे-जैसे भारत में कच्चे तेल की मांग बढ़ेगी, सरकार का आयात बिल बढ़ेगा जिस कारण सऊदी अरब सहित अन्य देशों को डॉलर में अधिक भुगतान करना पड़ेगा; जिससे डॉलर की मांग बढ़ेगी और इसकी तुलना में रूपए का मूल्य कम होगा।
अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध
अमेरिका ने चीन, भारत और यूरोपियन यूनियन सहित कई देशों के आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाने का फैसला लिया है जिसके बदले में इन देशों ने भी अमेरिका के उत्पादों पर कर बढ़ा दिया है जिसके कारण इन उत्पादों की आयातित कीमतें बढ़ना लाजिमी है।
भारत का बढ़ता व्यापार घाटा
वित्त वर्ष 2018 में भारत का व्यापार घाटा 156.8 अरब डॉलर हो गया है जो कि पिछले वित्त वर्ष में 105.72 अरब डॉलर था। अर्थात भारत के खजाने/बाजार में डॉलर कम हो रहे हैं जबकि मांग अधिक है, और "मांग के नियम" के अनुसार "जिस वस्तु की आपूर्ती घट जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है।"
राजनीतिक अस्थिरता का माहौल
विदेशी निवेशक कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगले साल यही सरकार रहेगी या बदल जाएगी और यदि नई सरकार बन जाती है तो विदेशी निवेश की नीतियों में किस तरह का परिवर्तन होगा इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
भारत से पूँजी का बहिर्गमन
इस साल अप्रैल के अंत तक भारत से 244.44 मिलियन डॉलर रुपया देश के बाहर चला गया है जो कि इसी अवधि में पिछले साल की अपेक्षा 30.78% अधिक है।
जब भारत और विदेश के निवेशक भारत के बाजार से रुपया निकालते है तो वे डॉलर में ही निकालते हैं जिसके कारण भारत में डॉलर की मांग बढ़ जाती है साथ ही इसका मूल्य भी बढ़ जाता है।

'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018'

पृष्ठभूमि

- 13 जनवरी 2018 को दिल्ली में 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 (एसएसजी 2018)' का शुभारंभ
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा।
- सभी जिलों में 1 अगस्त से 31 अगस्त 2018 तक एक स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा और इसके नतीजों की घोषणा मात्रात्मक एवं गुणात्मक स्वच्छता के पैमानों के आधार सभी जिलों और राज्यों की रैंकिंग के रूप में की जाएगी।

उद्देश्य

- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण से जुड़े महत्वपूर्ण मात्रात्मक एवं गुणात्मक पैमानों पर प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और जिलों की रैंकिंग करना।
- देशव्यापी संचार अभियान के जरिए ग्रामीण समुदायों को अपने आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई में बेहतरी लाने के कार्य से जोड़ा जाएगा।

सर्वेक्षण की संरचना और प्रक्रिया

- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के हिस्सें के रूप में देश भर के 698 जिलों के 6980 गांवों को कवर किया जाएगा।
- सर्वेक्षण के लिए इन गांवों के कुल 34,000 सार्वजनिक स्थानों जैसे कि स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों, हार्ट/बाजार/धार्मिक स्थानों का मुआयना किया जाएगा।
- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) से जुड़े मुद्दों पर 50 लाख से भी अधिक नागरिकों से उनके फीडबैक को इकट्ठा किया जाएगा।
- इस प्रक्रिया के दौरान 65 प्रतिशत भारांक (वेटेज) इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों एवं नतीजों को दिया गया है, जबकि 35 प्रतिशत भारांक सेवा क्षेत्र से जुड़े उन पैमानों को दिया गया है, जिन्हें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के आईएमआईएस से प्राप्त किया जाएगा।

एसएसजी के विभिन्न तत्वों के लिए भार

- सार्वजनिक स्थानों में स्वाच्छता का प्रत्यक्ष अवलोकन : 30 प्रतिशत।
- स्वच्छता के पैमानों पर नागरिकों से प्राप्त फीडबैक : 35 प्रतिशत
- एसबीएमजी-एमआईएस के अनुसार देश में स्वच्छता में सुधार पर सेवा स्तरीय प्रगति : 33 प्रतिशत

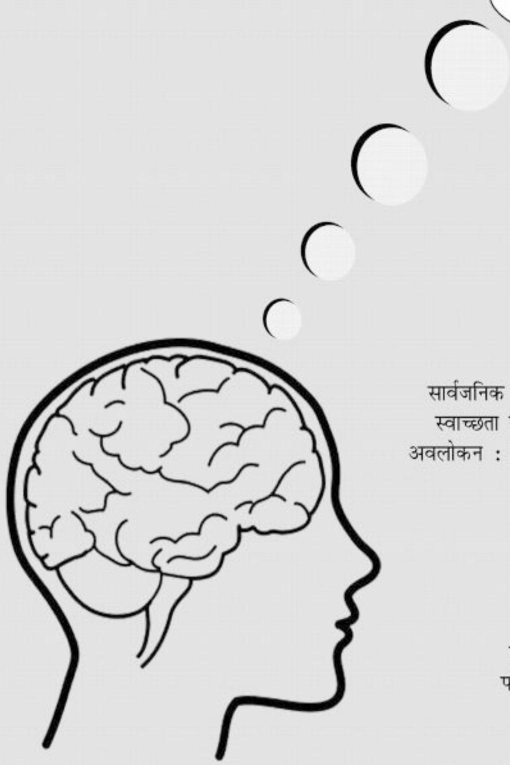

रिकॉम्बीनेंट DNA टेक्नोलॉजी

पृष्ठभूमि

- मूल रूप से, इस प्रक्रिया में जीनोम के DNA संरचना में एक विदेशी टुकड़े को प्रवेश कराया जाता है जिसमें हमारी रुचि के अनुसार जीन शामिल होते हैं। जिस जीन को प्रवेश कराया जाता है उसको रिकॉम्बीनेंट जीन कहते है।
- प्रथम रिकॉम्बीनेंट DNA का निर्माण साल्मोनेला टाइफीमूरियम के सहज प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन (Antibiotic Resistance Encryption) जीन के जुड़ने से हो सका था।
- इस तकनीक में आनुवंशिक पदार्थो DNA तथा RNA के रसायन में परिवर्तन कर उसे मेजबान जीवों (host organism) में प्रवेश कराया जाता है इससे इनके लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है।
- आनुवंशिक इंजीनियरिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वैज्ञानिक एक जीव के जीनोम को संशोधित करते हैं।

तीन मुख्य उपकरण

- **प्रतिबंधन एंजाइम** (Restriction Enzyme) जिसे आणविक कैंची भी कहा जाता है- DNA को विशिष्ट जगहों पर काटने में मदद करता है।
- **बहुलक**- संश्लेषित करने में मदद करता हैं।
- **लाइगेज** (ligases)- प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक जीन के साथ जोड़ने का कार्य करता है।

आनुवांशिक रूपांतरण में मूलभूत तीन चरण हैं

- वांछित जीन युक्त DNA की पहचान।
- चिह्नित DNA का परपोषी में स्थानांतरण।
- स्थानांतरित DNA को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना।

उपयोग

- फसलों के उत्पादन में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग कर रोग एवं कीटों के प्रति प्रतिरोधी फसलों को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से कठोर जलवायु के प्रति इनमें अनुकूलन पैदा कर फसल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।
- इस तकनीक के द्वारा खाद्य पदार्थो के पोषण में अभिवृद्धि हो सकती है।
- इस तकनीक के इस्तेमाल से Bt Cotton का निर्माण किया जा सकता है जिससे कीटों या बॉल वर्म्स (ball worms) से पौधों की रक्षा की जा सकती है।
- इस तकनीक द्वारा न केवल जीनों के स्वरूपों में संशोधन करके जीवों के आकार एवं गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है, बल्कि इससे एकदम नए जीव का निर्माण भी संभव है।
- इस तकनीक द्वारा मनुष्य के आनुवंशिक रोगों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर समस्या उत्पन्न करने वाले जीन का सटीक पता प्राप्त हो जाए तो उसे DNA या संभव हो तो जीनपूल (Gene Pool) से दूर किया जा सकता है।
- आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग पशुपालन में करके पशुओं के विभिन्न प्रकार की उन्नत किस्में एवं वांछित गुणों को प्राप्त किया जा सकता है और कई रोगों को भी दूर किया जा सकता है।
- दवाओं में इस तकनीक का उपयोग कर DNA रिकॉम्बीनेंट टेक्नोलॉजी द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जा सकता है।
- इस तकनीक का प्रयोग क्लिनिकल निदान में भी होता है जिसका ELISA एक उदाहरण है जहां पुन: संयोजन DNA तकनीक का उपयोग होता है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति में HIV की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है।

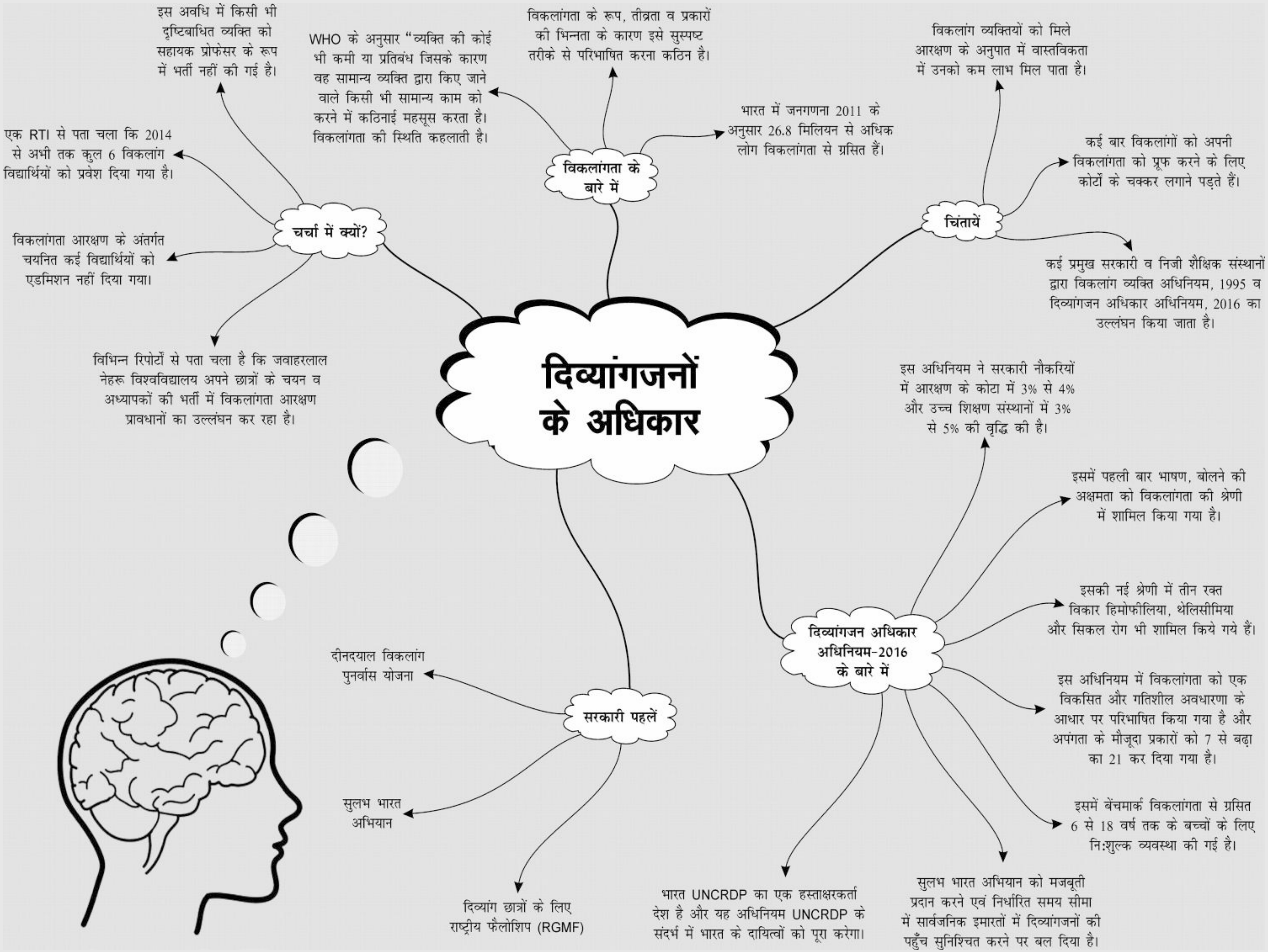
दिव्यांगजनों के अधिकार
चर्चा में क्यों?
इस अवधि में किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति को सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती नहीं की गई है।
एक RTI से पता चला कि 2014 से अभी तक कुल 6 विकलांग विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है।
विकलांगता आरक्षण के अंतर्गत चयनित कई विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं दिया गया।
विभिन्न रिपोर्टों से पता चला है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अपने छात्रों के चयन व अध्यापकों की भर्ती में विकलांगता आरक्षण प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है।
विकलांगता के बारे में
WHO के अनुसार "व्यक्ति की कोई भी कमी या प्रतिबंध जिसके कारण वह सामान्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी भी सामान्य काम को करने में कठिनाई महसूस करता है। विकलांगता की स्थिति कहलाती है।
विकलांगता के रूप, तीव्रता व प्रकारों की भिन्नता के कारण इसे सुस्पष्ट तरीके से परिभाषित करना कठिन है।
भारत में जनगणना 2011 के अनुसार 26.8 मिलियन से अधिक लोग विकलांगता से ग्रसित हैं।
चिंतायें
विकलांग व्यक्तियों को मिले आरक्षण के अनुपात में वास्तविकता में उनको कम लाभ मिल पाता है।
कई बार विकलांगों को अपनी विकलांगता को प्रूफ करने के लिए कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
कई प्रमुख सरकारी व निजी शैक्षिक संस्थानों द्वारा विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 व दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया जाता है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के बारे में
इस अधिनियम ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के कोटा में 3% से 4% और उच्च शिक्षण संस्थानों में 3% से 5% की वृद्धि की है।
इसमें पहली बार भाषण, बोलने की अक्षमता को विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है।
इसकी नई श्रेणी में तीन रक्त विकार हिमोफीलिया, थेलिसीमिया और सिकल रोग भी शामिल किये गये हैं।
इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ा का 21 कर दिया गया है।
इसमें बेंचमार्क विकलांगता से ग्रसित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क व्यवस्था की गई है।
सुलभ भारत अभियान को मजबूती प्रदान करने एवं निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक इमारतों में दिव्यांगजनों की पहुँच सुनिश्चित करने पर बल दिया है।
भारत UNCRDP का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है और यह अधिनियम UNCRDP के संदर्भ में भारत के दायित्वों को पूरा करेगा।
सरकारी पहलें
दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना
सुलभ भारत अभियान
दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (RGMF)

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. पुलिस सुधार

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश अपने किसी भी पुलिस अधिकारी को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
2. सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश यूपीएससी (UPSC) द्वारा सुझाये गये तीन नामों में से ही किसी एक को डीजीपी चुन सकेंगे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) कवेल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्याः सुप्रीम कोर्ट ने हाल में आदेश दिया कि कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश अपने किसी भी पुलिस अधिकारी को पुलिस महानिदेशक नियुक्त नहीं करेगा। राज्य ऐसे अधिकारियों की सूची यूपीएससी को प्रेषित करेंगे जिनमें से वह डीजीपी नियुक्त करना चाहते हैं। यूपीएससी द्वारा इनमें से तीन नाम चुने जायेंगे जिनमें से किसी एक को राज्य अपना डीजीपी नियुक्त कर सकेगा। ■

2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का संकल्प 2427

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. संकल्प 2427 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया।
2. संकल्प 2427 का लक्ष्य सशस्त्र संघर्षों में बच्चों की सुरक्षा से सम्बन्धित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) कोई नहीं

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने संकल्प 2427 को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। इस संकल्प का लक्ष्य सशस्त्र संघर्षों में बच्चों की सुरक्षा, गैर राज्य सशस्त्र समूहों द्वारा उनकी भर्ती पर रोक लगाना, इनको चिकित्सीय सुविधायें प्रदान करना है। ■

3. मछलियों में फार्मेलिन की विशक्तता

प्र. फोर्मेलिन (Formalin) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यह एक जहरीला, रंगहीन और अपघटित न होने वाला रासायनिक एजेंट है।
2. गिद्धों की मौत के लिए यह प्रमुख कारण रहा है।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः फार्मेलिन एक रंगहीन, गंधहीन, जहरीला, अपघटित न होने वाला रासायनिक एजेंट है। यह फार्मेल्डिहाइड से निर्मित होता है। यह कैंसरजन्य है। इसका प्रयोग मछुआरों द्वारा मछलियों को लम्बे समय तक खराब होने से रोकने में किया जाता है। हाल में कई दक्षिणी राज्यों में फार्मेलिन से संक्रमित मछलियाँ पाई गई हैं। यह स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव डालता है। ■

4. ₹ के कमजोर होने के कारण

प्र. भारतीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरते मूल्य के प्रमुख कारण हैं-

1. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि।
2. भारत का बढ़ता व्यापार घाटा।
3. अमेरिका और चीन का व्यापार युद्ध।
4. भारत में वस्तु और सेवा कर (GST) का लागू होना।

कूटः

(a) 1, 2, 4 (b) 1, 2, 3
(c) 1, 4 (d) 1, 2, 3, 4

उत्तरः (b)

व्याख्याः भारत में वस्तु व सेवाकर से रुपये को मजबूती मिली है क्योंकि सम्पूर्ण भारत में एक समान टैक्स सिस्टम बनने से व्यापार में सुविधा, कर अवसंरचना में सुधार हुआ है जिससे विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है। जबकि बाकी के तीन कारण रुपये के गिरते मूल्य के लिए जिम्मेदार हैं। ■

5. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–2018

प्र. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इसका शुभारंभ पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया गया।
2. इसका उद्देश्य "नमामि गंगे" से जुड़े महत्वपूर्ण मात्रात्मक और गुणात्मक पैमानों पर प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और जिलों की रैंकिंग करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या: स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 का शुभारंभ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी 2018 को दिल्ली में किया गया। एसएसजी 2018 का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से जुड़े महत्वपूर्ण मात्रात्मक और गुणात्मक पैमाने पर प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और जिलों की रैंकिंग करना है। ■

6. रिकॉम्बीनेंट DNA टेक्नोलॉजी

प्र. रिकॉम्बीनेंट DNA तकनीकी के सम्बन्ध में निम्न पर विचार करें-

1. इस तकनीकी द्वारा DNA व RNA में रसायनिक परिवर्तन कर उसे मेजबान जीव में प्रवेश कराया जाता है, जिससे इन मेजबान जीवों के लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है।
2. इसमें DNA को विशिष्ट जगहों पर काटने के लिए आणविक कैंची का प्रयोग किया जाता है।
3. आणविक कैंची विशेष प्रकार के एंजाइम है जो DNA को कुछ विशेष स्थानों पर तोड़ते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 1
(c) केवल 2 व 3 (d) 1, 2, 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: रिकॉम्बीनेंट DNA तकनीकी द्वारा वैज्ञानिक एक जीव के जीनोम को संशोधित करते हैं। इस तकनीकी द्वारा मेजबान जीव के DNA व RNA को संशोधित किया जाता है जिससे उसके लक्षणों में बदलाव आ जाता है। इस तकनीकी में DNA को काटने के लिए विशिष्ट एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें आणविक कैंची कहा जाता है। ■

7. दिव्यांगजनों के अधिकार

प्र. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन करें-

1. इसके द्वारा सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों को 5% आरक्षण कोटा दिया गया है।
2. इसने दिव्यांगजनों की परिभाषा को संकुचित किया है तथा इसने अपंगता के प्रकारों को 21 से घटाकर 7 कर दिया।

कूटः

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (d)

व्याख्या: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण कोटा प्रदान करता है। यह उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजनों को 5% आरक्षण कोटा प्रदान करता है। इस अधिनियम ने दिव्यांगों की परिभाषा को विस्तृत किया है तथा इसके कुल 7 प्रकारों को बढ़ाकर 21 कर दिया है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. जिस राज्य ने राज्य व्यापार सुधार आकलन 2018 के अनुसार, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

   - ***आंध्र प्रदेश***

2. वह देश जिसे एक स्थान पीछे करते हुए भारत ने विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल किया है।

   - ***फ्रांस***

3. रूस के चिबरकुल्सकी में शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के अगस्त 2018 में होने वाले साझा मैत्री सैन्याभ्यास 'पीस मिशन-2018' में भारत, पाकिस्तान और जिस देश की सेनाएं संयुक्त युद्ध अभ्यास करेंगी।

   - ***चीन***

4. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूआईपीओ) के अनुसार, 2018 में जो देश आईटी सेवाओं के निर्यात के मामले में लगातार दूसरे साल दुनिया में अव्वल रहा।

   - ***भारत***

5. वह राज्य जहां यहूदी समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया।

   - ***गुजरात***

6. थाईलैंड की वह गुफा जहां फंसे 12 बच्चों और उनके कोच को निकालने का अभियान चलाया गया।

   - ***थाम लुआंग***

7. वह कम्पनी जिसने हाल ही में नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फोन विनिर्माण फैक्ट्री आरंभ की।

   - ***सैमसंग***

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

1. कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिये।

- अब्दुल कलाम

2. आप मित्र बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं।

- अटल बिहारी वाजपेयी

3. एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है, जिसकी आवश्यकता है वो है न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था।

- बी. आर. अम्बेडकर

4. लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता है।

- लाल बहादुर शास्त्री

5. एक सच्चा इंसान उतना ही विश्वसनीय है जितनी माँ, उतना ही आदरणीय है जितना गुरु और उतना ही परमप्रिय है जितना ज्ञान रखने वाला व्यक्ति।

- भगवान महावीर

6. शांति की शुरूआत मुस्कुराहट से होती है।

- मदर टेरेसा

7. वह जो जोखिम उठाने का साहस नहीं रखता अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता।

- मुहम्मद अली

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए लाये गये HECI विधेयक का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

2. विदेशी निवेश को आकर्षित करने एवं व्यापार में आसानी लाने के लिए कर सुधार आवश्यक है। इस संबंध में भारत द्वारा उठाये गये कदमों की चर्चा करें।

3. भारत में ग्रामीण-शहरी विभाजन कम करने के लिए रोजगार को बहुपक्षीय दृष्टिकोण से बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा उठाए गये कदमों का उल्लेख करें।

4. भारत में अवैध सोने के आयात में हाल ही में देखी गई तेज वृद्धि के कारणों पर विचार करें।

5. हाल के वर्षों में राज्यसभा की भूमिका एक अवरोधक सदन के रूप में आ गई है। संविधान निर्माताओं ने लोकसभा के साथ राज्य सभा की भूमिका पर कैसे विचार किया था? परीक्षण करें।

6. डीपीसीओ 2013 (ड्रग प्राइस कंट्रोल आर्डर-2013) फार्मा बाजार में मूल्य विकृतियों को सही करने के लिए एक अनिवार्य उपकरण है। यह लोगों की दवाओं तक पहुँच को सुनिश्चित करता है। चर्चा करें।

7. एमएसपी (MSP) के बजाय, पीडीपीएस (PDPS) एक खरीद उपकरण के रूप में किसानों की स्थिति में सुधार के लिए अधिक प्रभावी होगा। आलोचनात्मक परीक्षण करें।

ध्येय IAS most trusted since 2003

EDGE for IAS

Dhyeya Student Portal

FREE REGISTRATION

ध्येय IAS (most trusted since 2003) संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान मांगों को समझते हुए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम, विशेषकर **ग्रामीण पृष्ठभूमि** के अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने हेतु, ''ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल'' के रूप में एक ई-प्लेटफार्म का प्रारंभ किया है।

''ध्येय स्टुडेंट पोर्टल'', अंग्रेजी एवं विशेषकर हिन्दी में, **प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास** एवं उनका **मूल्यांकन** तथा **निबंध लेखन** व **समसामयिक मुद्दों** पर सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी चर्चा के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।

ON LINE TEST :	DAILY Q & A CHECKING
VIDEOS:	ARTICLE ANALYSIS
CURRENT AFFAIRS:	ESSAY
DISCUSSION	AND MUCH MORE

अन्य संस्थानों एवं ई-पोर्टलों की अपेक्षा ध्येय पोर्टल की विशिष्टता-

IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता हेतु अपेक्षित मानदण्ड		ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल	अन्य पोर्टल एवं साइट्स
● उत्तर लेखन अभ्यास (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✓
● उत्तर का मूल्याकंन (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✓(कुछ साइट्स)
● मॉडल उत्तर (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✕
समसामयिक घटनाएं/मुद्दे ● विश्लेषण व प्रश्नोत्तर (दैनिक एवं साप्ताहिक)	हिन्दी	✓	✓(कुछ साइट्स)
	अंग्रेजी	✓	✓
निबंध-लेखन और Ethics case study ● अभ्यास एवं मूल्यांकन (पाक्षिक)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✕

For details Login www.Dhyeyaias.com ⟶ Students Portal Login

Toll Free: 18004194445, 9205274741/42/43/44

CALL US

FACE-TO-FACE CENTRES

MUKHERJEE NAGAR
635, Ground Floor, Main Road Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009, Ph: 011-47354625/26, +91 9205274741 / 42

RAJENDRA NAGAR
25B, 2nd Floor, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, Metro Pillar Number 117, Ph: +91 9205274745 / 43

LAXMI NAGAR
1/53, 2nd Floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi 110092, Ph: 011 43012556, +91 9311969232

ALLAHABAD
2nd & 3rd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad-211001, Ph: 0532 2260189, +91 8853467068

LUCKNOW
A-12, Sector-J, Aliganj Lucknow, U.P., Ph: 0522 4025825, +91 9506256789

GREATER NOIDA
Plot No. 28/1A Knowledge Park III, Greater Noida, U.P. 201306, Ph: +91 9205336037, 38

LIVE STREAMING CENTRES

BIHAR – PATNA 9334100961, **CHANDIGARH** - 8146199399 **DELHI & NCR**- FARIDABAD 9711394350, 01294054621, HARYANA- KURUKSHETRA 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR 9050888338, **MADHYA PRADESH** - GWALIOR 9098219190, JABALPUR 8982082023, 8982082030, REWA 9926207755, 7662408099 **PUNJAB**- PATIALA 9041030070, **RAJASTHAN**- JODHPUR 9928965998, **UTRAKHAND**- HALDWANI 7060172525 **UTTAR PRADESH**- BAHRAICH 7275758422, BAREILLY 9917500098, GORAKHPUR 7080847474, 7704884118, KANPUR 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) 7570009003, 7570009005, MORADABAD 9927622221, VARANASI 7408098888

FOR DETAILS, VISIT US ON
DHYEYAIAS.COM
011-49274400

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

ध्येय IAS की स्थापना श्री विनय सिंह और श्री क्यू.एच. खान द्वारा एक दशक पूर्व की गयी थी। अपनी स्थापना के समय से ही इस संस्थान की सफलता की कहानी अद्वितीय रही है। आज यह संस्थान सिविल सेवा की कोचिंग प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च स्थान रखता है। संस्थान योग्य उम्मीदवारों द्वारा उनके सपनों को साकार कराने में काफी सफल रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इसकी पिछले वर्षों की सफल कहानियाँ हैं।

बड़ी संख्या में ऐसे छात्र, जो इस कठिन परीक्षा में शामिल होकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उचित संसाधनों की कमी है जबकि कई अन्य छात्र जिनके पास एक मेधावी अकादमिक पृष्ठभूमि तो है लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और अकादमिक परीक्षाओं में एक बड़ा अंतर है और यह परीक्षा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से सुनियोजित मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है। यहाँ सही दिशा में रखा गया एक कदम किसी को भी निरपवाद रूप से कईयों से आगे कर सकता है। ध्येय IAS अनुभवी एवं योग्य मार्गदर्शकों की टीम तथा विशेष रूप से तैयार की हुई पाठ्य सामग्री से सुसज्जित है, जो छात्रों को उनके ऐच्छिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है।

सिविल सेवा परीक्षा निर्दिष्ट विषयों के आधारभूत ज्ञान की मांग करती है। यद्यपि ये विषय स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाये जाते हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण इस परीक्षा की दिशा में नहीं होता है। ध्येय IAS की कक्षाएँ दृष्टिकोण के मामले में स्कूल और कॉलेजों की कक्षाओं से भिन्न होती हैं। ये कक्षाएँ इस विशेष परीक्षा पर केंद्रित होती हैं। ध्येय IAS में प्रदान की जाने वाली मार्गदर्शक कक्षाएँ छात्र के केंद्रित रहने, सीखने और अन्वेषण की क्षमता की अभिवृद्धि करती हैं, क्योंकि हम इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि आप किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकते बल्कि अपने अंदर उसे खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं।

DSDL Prepare yourself from distance

जिस प्रकार **ध्येय IAS** अपनी क्लासरूम परिचर्चा कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं सही रणनीति के साथ मार्गदर्शन के लिए प्रतिभागियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनायी है, उसी प्रकार एक नए उद्देश्य के साथ ऐसे कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है जो विशेष रूप से उन प्रतिभागियों के लिए संरचित है जो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के कारण क्लासरूम कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे प्रतिभागियों को यदि समय-समय पर सही मार्गदर्शन के साथ दिशा-निर्देश दिया जाए, तो वे अपनी सीमाओं के बावजूद सफलता को आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य पर आधारित यह कार्यक्रम केवल संस्था के नाम पर नोट्स उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रतिभागियों एवं शिक्षक के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने की एक कड़ी भी है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है सारगर्भित, वस्तुनिष्ठ एवं विस्तृत अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। इस अध्ययन सामग्री निर्माण का लक्ष्य है कि हमसे कोई भी तथ्य छूटे नहीं बल्कि सही दिशा में सम्पूर्ण सामग्री का निर्माण हो। इस कार्यक्रम के तहत निर्मित अध्ययन सामग्री प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समान रूप से उपयोगी है। **हमारा विश्वास है गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री निर्माण करना जो आपके सिविल सेवा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बन सके।**